लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

4th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

विषय सूची/CONTENTS

अंक 44, बुधवार, 26 अप्रैल, 1978/6 वैशाख, 1900 (शक)

No. 44, Wednesday, April 26, 1978/Vaisakha 6, 1900 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions:	1-19
*तारांकित प्रश्न संख्या 865, 868 से 870, 872, 876, 879, 881 और 883	*Starred Questions Nos. 865, 868 to 870, 872, 876, 879, 881 and 883	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions:	20-141
तारांकित प्रश्न संख्या 864, 866, 867, 871, 873 से 875, 877, 878, 880 और 882	Starred Questions Nos. 864, 866, 867, 871, 873 to 875, 877, 878, 880 and 882	
अतारांकित प्रश्न संख्या 8120 से 8193, 8195 से 8262, 8264 से 8298 और 8300 से 8319	Unstarred Questions Nos. 8120 to 8193, 8195 to 8262, 8264 to 8298 and 8300 to 8319.	
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters Under 337—	141-142
(एक) जीवन बीमा निगम, कलकत्ता के नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा भूख हड़ताल का कथित समाचार—	(i) Reported hunger strike by Casual Workers of LIC, Calcutta—	141
श्री दलीप चक्रवर्ती	Shri Dilip Chakravarty	141
(दो) बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड कलकत्ता के प्रबंधकों द्वारा देश में कारखाने तथा बिक्री कार्यालयों को बंद करने का समाचार—	(ii) Reported decision of Bengal Immunity Ltd. Calcutta to close its factories and Sales officers—	141
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	141
(तीन) हशिश, चरस, अफीम आदि की तस्करी का कथित समाचार	(iii) Reported smuggling of Hashish, Charas, Opium etc.—	141-142
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	141-142

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
(चार) 6 अप्रैल, 1978 को कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं द्वारा बिना टिकट यात्रा करते पाये जाने के बारे में आकाशवाणी का प्रसारण—	(iv) Reported AIR Broadcast alleging ticketless travel by some Congess (I) workers on 6-4-78—	142
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	142
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table.	142–144
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	144–145
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	145
9 वां प्रतिवेदन	Ninth Report	145
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	Committee on Subordinate Legislation—	145
8 वां प्रतिवेदन	Eighth Report	145
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	145
19वां तथा 20वां प्रतिवेदन	Nineteenth and Twentieth Report	145
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bill and Resolution—	146
18वां प्रतिवेदन	Eighteenth Report	146
कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधियां (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Coal Mines Nationalisation Laws (Amendment) Bill—*Introduced.*	146
अनुदानों की मांगे, 1978-79—	Demands for Grants, 1978-79—	146–173
गृह मंत्रालय—	Ministry of Home Affairs—	146–173
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M. N. Govindan Nair	146–147
श्रीमती राणो एम० शाजा	Shrimati Rano M. Shaiza	147
श्री बलबीर सिंह जसरोतिया	Shri Balbir Singh Jasrotia	147–148
श्री जी० एम० बनातवाला	Shri G. M. Banatwalla	148–149
श्री राम देव सिंह	Shri Ram Deo Singh	149–150
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	150–151
श्री केशवराव धोंडगे	Shri Keshavrao Dhondge	151–152
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	152–153
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	153–154

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	154–156
श्री कुसुमा कृष्ण मूर्ति	Shri Kusuma Krishna Murthy	156
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh	157
श्री बी० सी० काम्बले	Shri B. C. Kamble	157
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	157–158
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	162–163
श्री ए० बाला पंजनौर	Shri A. Bala Pajanor	163
श्री एस० डो० पाटील	Shri S. D. Patil	164–165
श्री अहमद हुसैन	Shri Ahmed Hussain	165–166
श्री बकिन पर्टिन	Shri Bakin Pertin	166–167
श्री धनिक लाल मण्डल	Shri Dhanik Lal Mandal	167–168
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	158–162
कोटा के निकट हुई खान दुर्घटना में परिणाम स्वरूप होने वाली मौतों का समाचार—	Reported Mine Accident near Kota resulting in some deaths—	158–162
श्री सूरत कार	Shri Sarat Kar	158–160
श्री रविन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	159–162
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	160–161
श्री मही लाल	Shri Mahi Lal	162
श्री चतुर्भुज	Shri Chaturbhuj	162
विनियोग (संख्या 3) विधेयक	Appropriation (No. 3) Bill, 1978—*Introduced.*	174
नियम 388 के अधीन प्रस्ताव	Motion under Rule 388—	174–175
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1978 सम्बन्धी नियम के बारे में नियम 218(2) का निलम्बित किया जाना	Suspension of rule 218(2) in respect of Appropriation (No. 3) Bill, 1978	174–175
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	176
16 वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report	176
आधे घंटे की चर्चा —	Half-an-Hour Discussion—	176–178
टायरों के मूल्यों में वृद्धी—	Price Hike on Tyres—	176–178
श्री के० पी० उन्नी कृष्णन्	Shri K. P. Unnikrishnan	176–177
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	177
श्री जार्ज मैथ्यू	Shri George Mathew	177
श्री जार्ज फर्नांडीस	Shri George Fernandes	177–178

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 26 अप्रैल, 1978/6 वैशाख, 1900 (शक)

Wednesday, April 26, 1978/Vaisakha 6, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नौवहन कार्मिकों को लालच देकर बाहर ले जाना

*865. **श्री फकीर अली अंसारी :**
श्री प्रद्युमन बाल :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी नौवहन कंपनिया वरिष्ठ तकनिकी कामिकों कों देश से बाहर जाने का लालच दे रही है जैसा कि दिनांक 18 मार्च 1978 के 'बिलट्ज' में "स्टाप दि शिफिंग ब्रेन ड्रेन" शीर्षक के अन्तर्गत सभाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए क्या विषेश उपाय किए गए है; और

(ग) क्या जहाज कर्मचारियों को विदेशी नौवहन सेवा में भर्ती होने से रोकने के लिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है जैसा कि विमान कर्मचारियों पर लागू है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री श्री चांद राम : (क),(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना देनेवाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

कुछ भारतीय व्यापार नौ अधिकारी विदेशी पंजीकृत जहाजों में रोजगार के लिए विदेश जाते रहते है। वर्ष में जितने अधिकारी प्रमाणपत्र प्राप्त करते है। उनमें से यह अनुमान है कि नौ-शाखा म में लगभग 15 से 20 प्रतिशत तक तथा इंजीनीयरी शाखा के 5 प्रतिशत अधिकारी विदेशों में रोजगार खोजने के लिए भारतीय जहाजों को छोड देते है।

(2) व्यापार नौ अधिकारियो के जाने से भारतीय व्यापारी बेडा निर्बल तो नहीं होना परंतु बेड़े की कुशल व्यवस्था के लिए, अधिकारियों की कमी हो जाती है। जन शक्ति की जो

2—141 L.S.S./ND/78

मांग है उसकी निरन्तर समीक्षा की जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है।

(i) प्रशिक्षण 'पोत राजेंद्र' पर प्रवेशपूर्व योग्यताओं को हायर सेकेन्ड्री से बढ़ाकर इन्टर सांईस कर दिया गया है। तथा प्रशिक्षण की अवधि की 1975 से दो वर्ष से घटकर एक वर्ष कर दिया गया है। जिससे नेवीगेटींग कैडटो की भर्ती संख्या प्रतिवर्ष 125 से बढ़कर 250 हो गयीं।

(ii) कलकत्ता/बंबई समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय में समुद्री आधार पर 1975 से यांत्रिक तथा विद्युत स्नातक इंजोनियरों के लिए एक विशेष उद्योग-प्रधान पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह पाठ्यक्रम संस्थान में नियमित चार वर्ष के समुद्री इंजीनियरी पाठ्यक्रम के अलावा है। इससे प्रतिवर्ष प्रशिक्षित इंजिनियरों की संख्या 100 से बढ़कर 200 हो गयी है।

(iii) इस उद्योग के लिए जितने प्रशिक्षित नौ और इंजोनियरी केंडेटों की कमी होगी, नौवहन कम्पनियों को डैंक प्रशिक्षुओं तथा कनिष्ठ इंजीनियरों की सीधी भर्ती करने के लिए अनुमति दें दी गयी है।

3. सरकार व्यापार पोत अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत जारी किए गए सक्षमता प्रमाण पत्र धारियो पर उपयुक्त रुप से रोक लगाने के लिए शक्ति अधिग्रहण करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है जिससे कि उन्हे विदेशी जहाजों पर अथवा विदेशी नियोक्ताओं के अधीन नौकरी करनें से रोका, जा सके। इससें भारतोय जहाजों आदी पर नौकरी के लिए उनकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सकेगा।

Shri Faquir Ali Ansari : Mr. Speaker, it is matter of national importance. Highly Competent Indian Engineers try to go abroad. I want to know from the Hon. Minister as to how many persons went abroad during the last five years and why? I also want to know whether reducing the training period from two years to one year will not affect the quality of training. If it will affect the standard of training, what steps have been taken for giving them proper training. How much expenditure is incurred on a person for making him a marine expert? I want to know whether they are asked to sign a bond that they will have to serve in Indian ships for a specific period after completing the training?

Shri Chand Ram: We have reduced the period of training from 2 years to 1 year, but at the same time we have increased the educational qualification from Higher Secondary to Intermediate Science. Secondly, after completing this one year training, navigation training is given on the ship.

The hon. member has asked whether intake has increased or not. We have increased intake from 125 to 250.

So far as signing of bonds is concerned, it is done everywhere, because Government has to spend a considerable amount on the training of a person. They are asked to sign the bond so that they may serve in the Indian ships. Since there is demand of such persons abroad and they are prepared to pay them comparatively better salaries. Some of the senior technical personnel have gone abroad and others are desirous of going abroad. We are trying to stop them from doing so under some legislation. The Supreme Court is of the opinion that these bonds are not valid and therefore we are thinking on these lines.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते है कि गत 5 वर्षों के दौरान कुल कितने लोग भारत से बाहर गए ?

श्री चांद राम : प्रशिक्षित अधिकारियों में से लगभग 15 से 20 प्रतिशत तक व्यक्ति बाहर गए ।

Shri Faquir Ali Ansari : I want to know whether the Chairman of Shipping Corporation of India has made any suggestion or recommendation to your Ministry and the Finance Ministry for preventing this brain drain and if so, what are the main features of those recommendations? Is there any lacuna in the Marine Act of 1958? If so, by what time the amendment will be made to remove the loopholes?

Shri Chand Ram : Perhaps you are talking about Merchant Shipping Act, We are thinking of exempting them from income tax so that they may get more facilities and they may remain in the country. Negotiations are going on with the Ministry of Finance. We do not think that there is any other difficulty.

श्री जगन्नाथ राव : श्रीमन, विवरण में यह बताया गया है कि इन अधिकारियों को विदेशों में जाने से रोकने के लिए सरकार एक विधान पेश करने पर विचार कर रही है । एक उपाय यह है कि उन्हे अच्छी शर्तें प्रदान की जाए । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

श्री चांद राम : मै पहले ही कह चुका हूं कि हम उन्हे आयकर पर छूट देने की सोच रहे है । एक बात तो यह है । इसके अलावा हम उन्हे और सुविधाएं देने पर भी विचार कर रहे है । इस प्रश्न पर भी विचार हो रहा है ।

दूरदर्शन फिल्मों के निर्माण का तरीका

*868. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विषयों पर अपने प्रतिदिन के कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली दूरदर्शन फिल्मों के निर्माण का क्या तरीका है; और

(ख) क्या निजी तौर पर निर्मित फिल्मों को भी दिखाया जाता है और, यदि हां, तो किन शर्तों और परिस्थितियों में वे दिखाई जाती है और उनके लिए किस प्रकार का भुगतान किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी : (क) और (ख) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

दूरदर्शन द्वारा जो फिल्में दिखाई जाती है वे या तो उसके अपने कर्मचारियों द्वारा बनाई जाती है या रायल्टी के भुगतान पर या बाहरी स्त्रोतों से खरीद कर प्राप्त की जाती है ।

गैर सरकारी लोगों द्वारा बनाई गई फिल्में भी दिखाई जाती है, बशर्ते की वे दूरदर्शन की आवश्यकताओं को पुरी करती हो। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली इस प्रकार की फिल्में इसके कार्यक्रमों की पूरक होती है। उनको या तो विशिष्ट अवधि के लिए सम्पूर्ण क्रय आधार पर खरीदा जाता है या रायल्टी के आधार पर किराए पर लिया जाता है;

भुगतान निम्नलिखित दरों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है :

I. रायल्टी के आधार पर

1. फीचर फील्में

(i) हिन्दी फील्में

फिल्मों के रिलीज की अवधि

(क)	तीन वर्ष तक	8,500 रुपए प्रति प्रदर्शन
(ख)	तीन से पांच वर्ष तक	7,500 रुपए - तथैव -
(ग)	पांच से सात वर्ष तक	4,000 रुपए - तथैव -
(घ)	सात से दस वर्ष तक	3,000 रुपए - तथैव -
(ङ)	दस वर्ष और इससे अधिक	2,500 रुपए - तथैव -

(ii) प्रादेशिक फीचर फील्में

2,000 रुपए - तथैव

(iii) उत्कृष्ट/पुरस्कार प्राप्त फील्मे

8,500 रुपए - तथैव

2. बाल फिल्म सोसायटी

(i)	5 मिनट या उनसे कम अवधि की फील्में	200 रुपए प्रति प्रदर्शन
(ii)	5 से 15 मिनट तक की अवधि के फील्में	350 रुपए तथैव
(iii)	15 से अधिक अवधि की फिल्में : अगले 15 मिनट के लीए या उसका अंश	350 रुपए तथैव

3. फिल्म प्रभाग तथा अन्यो द्वारा बनाई गई डाकूमेंट्री फिल्में

II. सम्पूर्ण क्रय आधार पर (क) 15 मिनट तक 250/- रु० प्रति प्रदर्शन

(ख) 15 मिनट से अधिक 500/- रु० प्रति प्रदर्शन

(1) प्रतिष्ठित प्रोड्यूसरों द्वारा बनाई गई फिल्में

सादी फिल्मों के लिए सम्पूर्ण क्रय आधार पर 20 रुपए से 50 रुपए प्रति फुट तक जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है :—

(क) कोरी फिल्मों की लागत

(ख) अंतर्निहित उपकरण

(ग) आर्टिस्टों की बुकिंग

(घ) निर्देशक की फीस

(ङ) तकनीशियन की फीस

(च) संगीत निर्देशक की फीस

(छ) वादकों के लिए फीस

(ज) स्क्रिप्ट के लिए फीस

(झ) अनुसंधान के लिए फीस

(ञ) तकनिकी सुविधाओं के लिए अन्य खर्चे

(ट) अंतर्निहित स्थल

(ठ) अंतर्निहित ऐनीमेशन

(ड) दूरदर्शन की दीर्घकालिक रुचि

जब रंगीन फिल्मों को भारत में इस्तेमाल करने और आदान-प्रदान के आधार पर विदेशी टेलीविजन केन्द्रों को परिचालित करने के लिए लिया गया तब उन फिल्मों का मूल्यनिर्धारण विशेष रुप से समिति द्वारा किया गया था।

(ii) विदेशी फिल्में :

ये फिल्म विशिष्ट अवधि के लिए सम्पूर्ण क्रय आधार पर खरीदी जाती है या रायल्टी के आधार पर किराए पर ली जाती है। भुगतान अंतर्राष्ट्रीय दर ढाचें, जो एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी और एक फिल्म से दूसरी फिल्म के लिए भिन्न होता है, को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूसरों के साथ तय किया जाता है।

Shri Dharamvir Vashisht : The Hon. Minister has said that Rs. 8750 is paid for per screening of a Hindi feature film which has been released three years back and Rs. 2500 is paid for a Hindi feature film which had been released ten years back. I want to know whether some such criteria has been prescribed for a regional film for which Rs. 2000 is paid per screening?

Shri L. K. Adavani : Normally we do not get any film for screening, unless it is already commercially exploited so far as the basis of release is concerned, it is applied only to Hindi films and not to regional films.

Shri Dharam Vir Vashisht : About the children's films, you have stated that Rs. 200 are given per screening for five minutes or less and Rs. 350 per screening for a duration of 5 to 15 minutes. I want to know whether it is only for black and white films or coloured films also ? I want to know the basis on which the films are purchased on outright purchase basis or on the basis of royalty?

Shri L. K. Adavani : So far as Children's films are concerned, it is for both coloured and black and white. So far as outright purchase is concerned, while doing so we have to see how much it can be exploited, how much enduring effect it has and for how much time it can be utilised.

Shri Nawab Singh Chauhan : This issue has already been raised in the House that a contract for production of the film 'Indus Valley to Indira Gandhi' was

signed for 50 years violating the established practice and rules as no other film was ever given a contract for 50 years. Huge amount was given for this film and the payment for it was made the very same day as the contract was signed. This was against the rules. It had never happened before. D.G.T.V. was also one of the constituents of the committee appointed for this purpose. I want to know whether this violation of rules and practice will be looked into and the people who are responsible will be brought to book?

Shri L. K. Advani: This issue has already been discussed at length in the House. At that time I told the House that the decision to acquire this film was taken by a committee with which D.G.T.V. and joint secretary. Finance, were also associated and the permission for the same was given by the then Finance Minister.

श्री अलगेशन : यद्यपि मेरे पास विवरण नहीं है, किन्तु मैं समझता हूं कि आप हिन्दी फिल्मों तथा क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को जो पैसा देते हो उसमें भेदभाव किया जाता है। हिन्दी फीचर फिल्म को 8000 रुपये से 8500 रुपये तक दिया जाता है जब कि क्षेत्रीय भाषा की फिल्म को केवल 2000 रुपये दिए जाते है। केवल उस फिल्म को 8500 रुपये देते है, जिसे पुरस्कार मिला हो। इस प्रकार एक साधारण हिन्दी फिल्म को पुरस्कार प्राप्त फिल्म के समान दर्जा दिया जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार हिन्दी फिल्म उद्योग को राज सहायता देती है जब कि क्षेत्रीय फिल्म उद्योग को नही। ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : किसी प्रकार का भेदभाव नही किया जाता। यह तथ्य है कि हिन्दी फिल्मों का व्यापक क्षेत्र है और उन्हें देखन की अधिक मांग होती है जब कि क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में ऐसी बात नहीं है।

आकाशवाणी के स्टेशनों का सुचारु रूप से कार्य करना

***869. श्री के० मालन्ना :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी रेडियो स्टेशनों की शक्ति और आवाज की स्पष्टता प्रभावशाली होती है;

(ख) क्या सरकार जानती है कि हमारे रेडियो स्टेशन साफ सुनाई नही देते है और उतनी बारीकी के साथ ऊंचे स्तर का संगीत स्पष्ट रिले नहीं कर सकते है जैसा उनको करना चाहिए और विजयवाड़ा रेडियो स्टेशन पर सुनाई देने वाले वही फिल्मी गीत रेडियो सीलोन पर अधिक कर्ण प्रिय लगता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां। कई विदेशी रेडियो स्टेशन, जो उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों से युक्त है, के कार्यक्रम भारत में स्पष्ट सुनाई देते है।

(ख) और (ग) : देश के रेडियो स्टेशनों के मीडियम वेव ट्रांसमीटरों पर प्रसारित कार्यक्रम साफ सुनाई देते है और वैयक्तिक ट्रांसमीटरों के प्राथमिक सेवा क्षेत्र के अंदर उनकी गुणवत्ता अच्छी है। इन ट्रांसमीटरों के प्राथमिक के गुणवत्ता और संग्रहण संतोषजनक नहीं है।]

रेडियो सीलोन के विज्ञापन सेवा कार्यक्रम, जो भारत के शार्ट वेव चैनलों पर निदेशित किए जाते है, का भारत में उन कतिपय स्थानों पर संग्रहण बेहतर हो सकता हैं जो विजयवाड़ा सहित देश के मीडियम वेव ट्रांसमीटरों के प्राथमिक सेवा क्षेत्र के बाहर है।

श्री के० मालन्ना : माननीय मंत्री जी ने ये बातें लगभग स्वीकार कर ली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियों के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह ग्रामीण क्षेत्रों म लोगों को कृषि के बारे में औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। जहां तक देश की अर्थ व्यवस्था का प्रश्न है इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । किन्तु हमारे देश में रेडियों की स्थिति ठीक नहीं है। रेडियो की ठीक व्यवस्था न होने के क्या कारण है। और क्या सरकार ने इसमें सुधार लाने के लिए कोई कार्यवायी की है ?

श्री लाल कृष्ण अड़वाणी : मने यह स्वीकार किया है कि प्रमुख सेवा क्षेत्र से हमारे ट्रान्समीटर शक्तिशाली है तथा हमारी सेवा भलीभाति सुनाई देती है। किन्तु उस दूरी से आगे यह सम्भव है कि सीमाके पार के कुछ शक्तिशाली स्ट्रान्समीटर अधीक प्रभावी हो और कुछ मामला य तो विशेषकर भारतीय श्रोताओं के लिये ही ये कार्यक्रम प्रसारित किए जाते है सरकार को इसका पता है और इस समय सरकार ट्रान्सभीटरों को अपग्रेड करने तथा मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर विचार कर रही है।

श्री के० मालन्ना : वे योजनाएं क्या है ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : योजनाएं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करतीं हैं। यदि संसाधन उपलब्ध हुए तो हम ट्रांसमीटरो को अपग्रेड करेगें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्विकार किया है कि कुछ विदेशी रेडियो स्टेशन हमारे रेडियो स्टेशनों की तुलना म आधिक शक्तिशाली हैं। हमारे देश में कलकत्ता रेडियों स्टेशन सबसे पुराना रेडियो स्टशन है। किन्तु ढाका रेडियो स्टेशन कलकत्ता रेडियो स्टेशन से आधिक शक्तिशाली है। हम कलकत्ता में प्रसारित समाचारों को दिल्ली तथा बम्बई में नहीं सुन सकते। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या कलकत्ता रेडियो स्टेशन को अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली बनाया जायेगा ताकि इसे दिल्ली, बम्बई तथा अन्य महानगरों में सुना जा सके।

श्री लाल कृष्ण अड़वाणी : प्रश्न विशेष रूप से विजयवाडा रेडियो स्टेशन से सम्बन्धित है, जिस पर रेडियो सीलोन का प्रभाव पडता है। हम चाहते है कि हमारे देश में सभी रेडिओ स्टेशन अधिक शक्तिशाली बनाए जायें।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister has said that our radio service in primary service area is good and radio broadcast is audible. My house is at a distance of 2 furlongs from the All India Radio Station. At 9 or 10 P.M. at night Pakistan, Ceylon, Bangla Desh radio service is audible whereas All India Radio is not clearly audible. Today it does not make any difference, because there is peace in the country, but tomorrow if we are involve in a war with any country, then the results will be dangerous. The Minister has said that there

are some proposals under Government's consideration, but there are some financial implications. I want to know what are those proposals. There is a major part of the country where radio service is not audible.

Shri L. K. Advani: There is no difficulty in Delhi, because All India Radio is clearly audible here. So far as schemes are concerned, we had a discussion with Planning Commission regarding strengthening of the Radio and Television net work in the country. All the available resources will be utilized for this purpose. 90 per cent area of the country is covered and rest 10 percent area is to be covered. We want to cover maximum area expeditiously.

श्री अरविन्द बाला पजनौर : अपन उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी नीति सरकार की नीतियों का प्रचार करना तथा ग्रामीण लोगों को शिक्षित करना है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : मेरा ख्याल है कि सरकार की नीति ग्रामिण लोगों से मिलकर उन्हें शिक्षित करना है। चाहे कोई भी सरकार हो, उसकी यही नीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि 90 प्रतिशत क्षेत्र में रेडियो सुना जा सकता है। किन्तु क्या उन्ह पांडीचेरी के रेडियो स्टेशन का पता है, जो 15 किलोमिटर की दूरी पर भी नही सुना जा सकता। यह रेडियो स्टेशन करैकल के समीप गावों के लिए प्रसारण के लिए बनाया गया है। करैकल वहा से 80 मील दूर है तथा माहे 400 मील दूर है। फिर इतनी दूरी पर कैसे सुना जा सकेगा ? सीलोन रेडियो तमिलनाडु के कई क्षेत्रों, जैसे तिरुनेलवेली, तिरुची, कोयम्बटर आदि को बहुत प्रभावित कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो की सेवा उपलब्ध करने सम्बन्धी योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या उनके मंत्रालय के पास पर्याप्त धन है ?

श्री लाल कृष्ण अड़वाणी : यदि माननीय सदस्य पांडिचेरी के बारे में प्रथम नोटिस दें तो मैं उन्हें पूरी जानकारी दे सकता हूं।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : प्रश्न रेडियो सीलोन से पहुंचने वाली बाधा के बारे में है। मैंने कहा कि तिरुनलवेली, तिरुचि तथा कोयम्बटूर आदि प्रभावित होते है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख वह पहले कर चुके है। बाकी बातों का वह उत्तर दे चुके हैं।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : में जानना चाहता हूं कि क्या वह इसके लिए किसी योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है ? उन्होंने कहा है कि यदि पांडिचेरी के बारे में पृथक प्रश्न पूछा जाये तो वह उत्तर देंगे। इसके लिए मुझ 100 दिनों तक प्रतिक्षा करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

परादीप पत्तन में श्रम न्यासी

***870. श्री अमरसिंह वी० राठवा :**

श्री पवित्र मोहन प्रधान :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप न्यास बोर्ड की 1 अप्रैल, 1976 से 31 मार्च, 1978 तक की समस्त अवधि के दौरान परादीप पत्तन न्यास बोर्ड में श्रम न्यासियों के पद रिक्त रखे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या परादीप पत्तन के लिये नव गठित पत्तन न्यास बोर्ड की घोषणा श्रम न्यासियों के बिना ही 31 मार्च, 1978 को कर दी गई है;

(घ) क्या 31 मार्च, 1978 को परादीप के लिये नव गठित पत्तन न्यास बोर्ड की अधिसूचना जारी करने से पूर्व सरकार को श्रम न्यासियों की नियक्ति के प्रयोजन के लिये परादीप पत्तन पर कार्यरत पंजीकृत मजदूर संगठनों की सदस्यता के सत्यापन का परिणाम प्राप्त हो गया था; और

(ङ) यदि हां, तो परादीप के लिये नव गठित पत्तन न्यास बोर्ड में श्रमिकों के लिये स्थान फिर से खाली रखने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) बहुमत प्राप्त संघ अर्थात परादीप पत्तन श्रमिक संघ में पड़ी फूट को ध्यान में रखते हुए सरकार कानून के अनुसार अपनी राय व्यक्त करन की स्थिति में नहीं है कि पत्तन में कार्य कर रहे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने में कौन सक्षम है ।

(ग) तथा (घ) : हां, श्रीमान ।

(ङ) परादीप पत्तन पर पत्तन श्रमिकों के पंजीकृत कार्मिक संघों के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट श्रम मंत्रालय से 30-3-1978 को प्राप्त हुई थी । उड़ीसा के 12 संसद सदस्यों ने अभ्यावेदन किए हैं कि जांच समुचित ढंग से नहीं की गई है । अत: पत्तन न्यास बोर्ड में श्रम न्यासियों की नियुक्ति करने से पूर्व इस समूचे प्रश्न पर और अधिक जांच की जा रही है ।

उड़ीसा में थोरियम निक्षेप

*872. **श्री सरत कार** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में हाल ही में थोरियम के नये निक्षेप मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सरत कार : काफी समय पूर्व मैंने उड़िसा के एक स्थानीय समाचार पत्र में एक वैज्ञानिक का लेख पढ़ा था कि उड़ीसा की नदी घाटियों में थोरियम या अन्य इसी प्रकार का ईन्धन उपलब्ध है। किन्तु प्रधान मंत्री ने कहा कि ऐमी कोई चिज वहां नही मिली है । मेरा उनसे निवेदन है कि वह इस बारे में कुछ पता करें क्योंकि हमे कई चीजों का पता नहीं है । यदि हम इसकी खोज कर सके तो इससे हमे बहुत मदद मिलेगी । विशेषकर ऐसे समय में जब कि अमरिका ने हमें परमाणु इंधन देने से इन्कार कर दिया है ।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या इसके नए निक्षेपों का पता चला है ? मैंने इसका नकारात्मक उत्तर दिया है। वह मोनाजाइट सैंद के निक्षेप हैं। शायद कुछ मोनाजाइट सैंद का निर्यात हुआ है। थोरियम के मामले में भी ऐसा किया जा सकता है किन्तु इसका परिष्करण करना होगा। अभी हम उस अवस्था तक नही पहुंचे हैं। यदि हम उसका परिष्करण कर सके तो उसका उचित उपयोग किया जायेगा।

दिल्ली में जहरीली शराब से मृत्यु

*876. **श्री यादवेन्द्र दत्त** :

श्री राम सेवक हजारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में शराब पीने से सांत व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का भविष्य में ऐसी दुखःद घटनाएं रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) मृतकों के परिवारों को क्या सहायता दी गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) मार्च और अप्रेल, 1978 के दौरान तीन अलग-अलग घटनाओं में जहरीली शराब के कथित उपयोग के कारण कुल 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इनमें से छः की मृत्यु शास्त्री नगर में, दो की शाहदरा में और एक की मृत्यु हौजखास में हुई। तीन मामले दर्ज किए गए हैं और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

(ख) शास्त्री नगर में हुई घटना की मैजिस्ट्रेटी जांच किए जाने के आदेश दिये गए हैं। अवैध शराब बनाने और इसकी बिक्री में लगे हुये तत्वों पर आबकारी आसूचना-ब्यूरो और दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है और जब कभी कोई शिकायत अथवा सूचना प्राप्त होती है, कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। सीमाओं पर भी निगरानी तेज कर दी गई है।

(ग) मृतकों के परिवारों को कोई सहायता नहीं दी गई है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : श्रीमान, माननीय मंत्री जी ने अभी अभी बताया है कि गुप्तचर विभाग इन मामलों की जांच कर रहा है। गुप्तचर विभाग के होते हुए तथा सभी प्रकार की रोक लगाने के बावजूद भी यह तीसरी घटना है जब कि जहरीली शराब बेची गई और जिसके पीने से लोगों की मृत्यु हुई। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मंत्री जी ने क्या कदम उठाये है और समुचित निगरानी रखने के लिए क्या कार्यवाही की है।

श्री धनिक लाल मंडल : श्रीमान, जब कभी अवैध शराब बनाने या बेचने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल छापा मारा जाता है और अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जिस क्षेत्र में अवैध शराब बनाई और बेची जाती है, वहां चारों ओर निगरानी रखी जाती है।

Shri Yadvendra Dutt : Do not give a bureaucratic reply. Give the correct reply.

Shri Dhanik Lal Mandal : I am giving the factual information. Alround vigilance is being kept for this purpose and wherever a complaint is made we immediately look into that. We promptly investigate the matter and punish the culprits.

श्री यादवेन्द्र दत्त : श्रीमान आश्चर्य की बात है कि सतकर्ता के होते हुए भी मंत्री जी को लिखित शिकायत देकर अवगत किया जाता है। तब वह उस शिकायत की जांच करते है। गुप्तचर विभाग का काम अपराधों को रोकना तथा यह पता करना है कि क्या वास्तविक रूप से अपराध हुआ है। दिल्ली में हो रही इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय गुप्तचर विभाग को और अधिक मजबूत बनाएंगे ताकि यह विभाग ऐसे मामलों का तत्काल पता लगा सके?

श्री धनिक लाल मंडल : हां, हम ऐसा करेंगे।

श्री यादवेन्द्र दत्त : श्रीमान, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह यह करेंगे। उन्होंने आपका सुझाव स्वीकार कर लीया है।

Shri Ram Sewak Hazari : I may point out that the officials of Intelligence Bureau have a hand in these incidents. They themselves, take liquor and are in connivance with those people who distil liquor. Therefore, they do not conduct fair enquiry. I want to know whether the Hon. Minister will try to have an inquiry made into these by honest officials?

Shri Dhanik Lal Mandal : The hon. member has alleged that our officials do not conduct fair enquiry. If he produces any instance. We will certainly look into that.

Shri Bega Ram Chauhan : Government has declared some places like Bikaner and Sikar as dry areas. The result is that lakhs of litres of liquor is being supplied by trucks to these areas from Ganga Nagar and this is being done with the help of police. I want to know whether the Minister will look into it?

Shri Dhanik Lal Mandal : This question is not related to the main question......(**Interruption**).

श्री बेदब्रत बरुआ : श्रीमान, यह विशेष घटना जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, होली के दिन घटी और जिन व्यक्तियों ने शराब पी वे अधिकांशत: अनुसूचित जाति के थे और उन लोगों में होली के दिन शराब पिने का रिवाज है।

श्री कंवर लाल गुप्त : नहीं, इस तरह का कोई रिवाज नहीं है।

श्री बेदब्रत बरुआ : मैंने ऐसा इसलिए कहा कि इस तरह का रिवाज होता है।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस तरह का कोई रिवाज नहीं होता।

श्री बेदब्रत बरुआ : पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां इस तरह के रिवाज हैं। आसाम में नहीं, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे रिवाज है। म पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार तबतक चुपचाप

रहेंगी जब तक कोई उन्हें सूचित न करे ? आपको या तो गांधी जी के सिध्दान्त पर चलना होगा या लोगों को शिक्षित करना होगा। इस बारे में कुछ भी काम नहीं किया गया है। आपको सक्त निगरानी रखनी होगी। जब तक लोगों को शराब की हानियों से अवगत नहीं किया जाएगा और पूरी तरह निगरानी नहीं रखी जायेगी तब तक मद्य-निषेध की योजना सफल नहीं हो जायेगी। इससे बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनेगी और फिर जनजीवन को भारी हानी पहुंचेगी। चूंकि सरकार ने इस बारे में एक निती निर्णय ले लिया है, इसलिए इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार को समचित कार्यवाही करनी चाहिए।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि उन्हें सभी जनजाति के लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए कि उनमें इस तरह का रिवाज है। कछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां यह रिवाज हो। किन्तु ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जनजातियों के सभी क्षत्रों में ऐसा रिवाज है यह कहना गलत है कि मद्य निषेध के कारण शराब की अधिक तस्करी हो रही है। जहां मद्यनिषेध नहीं है वहां तस्करी बहुत अधिक है यह जिन क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू है वहां तस्करी बहूत कम है। जब समूचे देश में मद्य निषध पूर्णतया लागू हो जाएगा तो तस्करी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन यह समझना कि कभी यह पूर्णरूपस समाप्त हो जायेगी, कल्पना की दुनिया में रहना है।

Shri Yuv Raj : Sir, the Hon'ble Prime Minister has declared that complete prohibition will be effected in the next four years. I want to know from him whether those liquor shops will be closed down by the Government where spurious liquor is sold and people die after consuming it? The Government has declared that 25 percent of the liquor shops will be closed down every year. Will such liquor shops be also closed down?

Shri Morarji Desai : Such spurious liquor never comes out of these shops, it comes from unauthorised places. If we come to know from where it comes, we shall definitely stop this.

हिमाचल प्रदेश में निर्यात-प्रधान हथकरघा परियोजना

*879. **श्री दुर्गाचंद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात-प्रधान हथकरघा परियोजना के अन्तर्गत क्या प्रगति हुई है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में योजना के अन्तर्गत अब तक कितने बुनकरों को शामिल किया गया है ; और

(ग) क्या हथकरघा उद्योग के विभिन्न पहलुओ पर परियोजना के अन्तर्गत बुनकरों को कोई प्रशिक्षण दिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) : भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक निर्यात प्रधानसह-गहन हथकरघा विकास परि-योजना की स्वीकृति दी थी जिसमें पांच वर्षो की अवधि में कुल 66 लाख रुपये के परिव्यय से 1000 करघे लगाये जाने थे। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के

लिए प्रारम्भिक राशि के रुप म राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1976-77 के दौरान 10 लाख रुपयों का भुगतान किया गया था। परियोजना न मार्च, 1977 में कार्य करना प्रारम्भ किया था। परियोजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के सात जिले आते हैं। जनवरी, 1978 तक शिमला के प्रशिक्षण केन्द्र में कार्य प्रारम्भ हो गया था। कुल 1000 करघों में से 150 करघों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है। अभिकल्प विकास केन्द्र (डिजाइन डेवलपमेंट सन्टर शिमला, ने जनवरी, 1978 तक 25 अभिकल्प तैयार किये। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के माध्यम से विलासपूर में एक डाई-कम-फिनिशिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए भी कार्यवाही शुरु की गई है।

Shri Durga Chand: I want to know from the Hon. Minister the number of such export oriented-cum-intensive handloom development projects sanctioned for other states as has been sanctioned for Himachal Pradesh. Will the Hon. Minister ensure proper marketing facilities for the export of the products of this project? I also want to know whether such projects have been sanctioned for other states also and what is their financial outlay and what arrangements will be made for marketing facilities of the items produced for export?

Shri George Fernandes: So far as the project of Himachal Pradesh is concerned, it is being implemented through the Handicrafts and Handloom Corporation of Himachal Pradesh Government. This is a five year plan project with a total financial outlay of Rs. 66 lakhs. I would require notice for giving information regarding other states.

श्री वसन्त साठे: क्या इसका विपणन से कोई सम्बन्ध है ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस: इसका लक्ष्य पाँच वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण परियोजना के विकसित करने तथा विपणन से है इस के लिए 66 लाख रूपये की राशी आवंटित की गई है।

Shri Durga Chand: The Hon. Minister has stated that the export will be routed through the Handloom Corporation of Himachal Pradesh. But I do not think this Corporation can take the liability of such export. In view of this, what alternative arrangement will be made by the Government of India? I want to know whether any protection is being given to this project sanctioned for Himachal Pradesh? What progress has been achieved regarding designs so far?

Shri George Fernandes: A Production-cum-Training Centre has been started in January 1978. Then, according to the information available to me now, such training centres have been started in four other districts. 25 designs have been developed by these centres. Negotiations are being held for acquisition of land etc. for the proposed Dye-cum-Finishing Centre being set up at Bilaspur. So far as the marketing of items produced is concerned, it is being arranged by the Handloom Corporation of the State through the All India Handloom Board and the export arrangements are done by the institutions of the State with the help of the such institutions at all India level. It is a five year project and we earnestly want to implement this project over a period of five years.

श्री वसंत साठे: मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का पता लगा है कि हिमाचल प्रदेश के संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 25 अभिकल्पों का देश भर में हथकरघों कों आधुनिक बनाने

के लिए र्णरुप सें उपयोग किया जा सकता है। हथकरघों को विद्युतचालित करघों से पूर्णरुप से अलग करने के बजाय यदि आप इन अभिकल्पों की सहायता से उन्हें आधुनिक बना सके तो इससे देश के हथकरघा उद्योग को बहुत सहायता मिलेगी। अत: क्या ऐसा कोई प्रयोग किया गया है और क्या सुधरे प्रौद्योगिकी और मशीनी उपकरणो सें देश के हथकरघों का आधुनिकीकरण करने की दिशा में ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या निर्यात निगम के माध्यम से निर्यात की बात करते समय आपने सुनिश्चित मण्डि की व्यवस्था की है अथवा मण्डि का सर्वेक्षण किया है। मुझे बताया गया है कि हथकरघो कि वस्तुएं विदेशों में काफी लोकप्रिय होती जा रही है। क्या इस निगम के लिए भी विदेशों में सुनिश्चित मण्डि पहले सें विद्यमान हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है?

श्री जार्ज फर्नानडिस : हमारी समस्या अभिकल्पों की नही है। अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान अधिक संख्या में अधिकल्प तैयार करने में लगा हुआ है। प्रत्येक राज्य के अपने अलग अलग अभिकल्प होते है और हथकरघों की संस्थाएं तथा संगठन इन अभिकल्पो में सुधार करते रहते है। इस संस्थान में विकसित अभिकल्प यदि हथकरघो का उत्पादन करने वालें अन्य राज्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हुये, तो वहा भी प्रयोग में लाये जा सकते है। जहां तक विपणन का प्रश्न है, यह सच है कि विदेशों में हथकरघों के कपडों के लिए विशाल मण्डि है, लेकिन आयात करने वाले देशों द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ तथा अन्य प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही यह माल निर्यात किया जाता है। वस्तुत: कपडे के निर्यात के सम्बन्ध में पिछले वर्ष से इस प्रतिबन्ध का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी हथकरघो के लिए देश और विदेशों में मण्डि की तलाश करना कोई समस्या नही है। आगामी पाच वर्ष में हम देश में हथकरघों का उत्पादन 250 करोड़ मीटर सें बढ़ाकर 370 करोड़ मोटर करने का प्रयास कर रहे है। हम यह लक्ष्य प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करेंगें।

Chaudhry Balbir Singh : Previously, Pashmina used to be brought from Tibet Border. Now the shawl manufacturing Handloom industry, which uses Pashmina for making shawls is facing shortage of Pashmina and thereby incurring heavy loss. I would request the hon. Minister that arrangements should be made for making Pashmina available even by importing it or importing good quality sheep from abroad so that the Handloom industry making Pashmina shawls in Himachal Pradesh may survive.

Shri George Fernandes : If the hon. member has any suggestion for increasing the number of sheep, we will definitely consider that suggestion.

Choudhry Balbir Singh : I would request the hon. Minister to import sheep from abroad.

श्री वयालार रवी : हाथ करघा उद्योग ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग है। केरल, तामिलनाडू, कर्नाटक राज्यों और अन्य स्थानों में धागे की भारी कमी है और धागे के मूल्य दुगुने हो गये है। मंत्री महोदय ने स्वागत योग्य वक्तव्य दिया है कि हाथ करघे का

उत्पादन 250 करोड़ मीटर स बढ़ाकर 370 करोड़ मीटर किया जा रहा है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे है ? हाथ करघो बुनकरों की धागे की कमी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें धागे को दुगना मूल्य देना पड़ रहा है। धागा विद्युत चालित करघा उद्योग से आता है। यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है।

श्री जार्ज फर्नानडीस : यह मामला पहले भी उठाया जा चुका है और मैंने उस समय एक वक्तव्य दिया था। बाद में हमने इसकी जांच भी की है। लेकिन धागे की मल्य वृद्धि के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। कुछ सामायिक उतार चढ़ाव के कारण कभी-कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है लेकिन उसके अलावा और कोई शिकायत नहीं है। यदि कोई विशिष्ट शिकायत हमारे ध्यान में लाई गई तो हम सुनिश्चित करेंगें की कारगर कदम उठाये जाये ताकि सभी क्षेत्रों में धागा पहुंचाया जाये।

Shri Lalu Prasad : I want to know whether the hon. Minister is aware of the fact that as a result of the scarcity of yarn, thousands of Handlooms where poor artisans work are lying closed ? Have Government formulated any scheme to give any aid to these closed landlooms?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता। मूल प्रश्न हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली सप्लाई में कटौती

*881. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23-3-78 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस आशय के समाचार की और गया है कि राजधानी में अप्रैल के अन्तिम दिनों से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली सप्लाई में ग्यारह घंटे को कटौती करने के कारण अंधकार छा जायगा;

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने तथा दिल्ली वालों को इससे बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचंद्रन) : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) और (ग): दिल्ली में बिजली की किसी गम्भीर कमी की आशंका नहीं है।

दिल्ली की बिजली संबंधी आवश्यकताएं दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विद्युत केन्द्रों और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के उत्पादन से पूरी की जाती है। ये उत्तर क्षेत्रीय बिजली ग्रिड में समेकित रुप से प्रचालित होते है। दिल्ली की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इन विद्युत केन्द्रों में काफी प्रतिष्ठापित क्षमता है। एक या अधिक ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों की जबरन बन्दी के स्थिति में, कमी को पूरा करने के लिए, उत्तरी क्षेत्र की पडौसी प्रणालियों से सहायता की आवश्यकता पडेगी। अलग-अलग प्रणालियों

में होने वाली कमियों को पूरा करने और समग्र तौर पर, क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल उपलब्ध उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग पूरे-पूरे और अधिक लाभप्रद तरीके से करने के लिए पडौसी प्रणालियों के बीच विद्युत का आदान प्रदान किया जाना विद्युत प्रणालियों और ग्रिडो के समेकित प्रचालन को एक आम विशेषता है। बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में 210 मेगावाट का एक यूनिट शीघ्र चालू किए जाने की आशा है। आशा की जाती है कि इसके बाद दिल्ली में स्थिति में और सुधार होगा। तथापि, दिल्ली के ताप विद्युत केन्द्रों के एक से अधिक उत्पादन यूनिटों की एक साथ जबरन बन्दी की दु:संभाव्य स्थिति में, अल्प अवधियों के लिए बिजली संबंधी बाधाओं की संभावनाओं से इन्कार नही किया जा सकता और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में क्रम-क्रम से बहुत ही सीमीत अवधियों के लिए लोड शेडिंग करनी पड सकती है।

श्री यशवंत बोरोले : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली की दैनिक खपत के लिए कुल कितनी बिजली की आवश्यकता है और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के उत्पादन एककों में कितनी बिजली पैदा होती है तथा गर्मी के मौसम म बिजली की कितनी कमी रहेगी?

श्री पी० रामचन्द्रन : दिल्ली की अबाध्य या अनियंत्रित आवश्यकता के लिए मई में 400 मेगावाट, जून में 420 मेगावाट और जुलाई में भी 420 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी जबकि नियंत्रित आवश्यकता लगभग 380 मेगावाट बिजली की होगी। इस समय दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में 170 मेगावाट बिजलो और बदरपर तापीय बिजली घर में 150 मेगावाट बिजलो तैयार होती है। हम दिल्ली की पूरी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे है। इस समय दिल्ली में बिजली की खपत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और ना ही पावर शेडिंग है।

श्री यशवंत बोरोले : बदरपुर संयंत्र में 300 मेगावाट बिजली उत्पादन होने की सम्भावना है। लेकिन इस समय वहां प्रतिदिन 80 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है। हम संयंत्रों की मरम्मत पर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं फिर भी हम उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे है। इसलिए दिल्ली के लिए बिजली की सप्लाई में कमी होने की सम्भावना है। अब स्थिति क्या है?

श्री पी० रामचन्द्रन : बदरपुर में तीन एककों में से दो एककों में कम बीजली पैदा हो रही है। जों लगभग 140 से 150 मेगावाट बिजली है। एक एकक खराब पड़ा है। इसकी मरम्मत हो रही है जिसके ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे। हम बदरपुर बिजली घर में अधिकतम बिजली उत्पादन करने के लिए हर सम्भव कदम उठा रहे हैं।

Shri R. L. Verma: I want to know the reasons for less power generation in the units of D.E.S.U. and "Badarpur Thermal Power Station than their installed generation capacity and the steps being taken by the chief engineer to ensure power generation to full capacity?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिजली घरों का सम्बन्ध है उनकी कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 320 मेगावाट है जिस में से हरियाणा सरकार के साथ किए गए समझौते के अन्तर्गत हरियाणा को 62.5 मेगावाट बिजली सप्लाई करनी होगी क्योंकि हरियाणा ने संयंत्रों को लगाने में साथ वचन दिया था। वास्तविक उपलब्धता लगभग 257

मेगावाट बिजली है। इन्द्रप्रस्थ एस्टेट बिजली घर में एक संयंत्र खराब पड़ा है। इसकी मरम्मत होने में कुछ समय लगेगा। जहां तक बदरपुर बिजलीघर का सम्बन्ध है, उसमें तीन संयंत्र है जिनमें से एक संयंत्र खराब पड़ा है। दो संयंत्रों में बिजली पैदा हो रही है। एक में 85 मेगावाट और दूसरे में 65 मेगावाट बिजली पैदा हो रही हैं।

Shri Vijay Kumar Malhotra : In accordance with an agreement, Delhi has been getting power from Bhakra for the last fifteen or tweaty years, and this power was cheaper also. During emergency, this supply of electricity was stopped. Electricity from Badarpur plant is supplied to Haryana. During summer season, Delhi has to face acute power shortage. May I know from the Minister that the electricity which Delhi used get from Bhakra under that agreement will be restored so as to make cheap electricity available to Delhi.

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक भाखड़ा की पावर सप्लाई का प्रश्न है, यह बात तो भागीदार राज्यों की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह दिल्ली को सप्लाई देने के लिए राजी हो जायें। जैसे हम बिजली की बढ़ी हुई खपत को पूरा करने के लिए भी भाखड़ा से दिल्ली के लिए बिजली लेते हैं। यों दिल्ली में बिजली की इतनी अधिक कमी नहीं है। केवल कुछ ही क्षेत्रों में कुछ सीमित स्तरों पर मामूली किस्म को कटौती लागू की गई है। मैं माननीय सदस्य महोदय को यह आश्वाशन देना चाहता हूं कि गर्मी में भी दिल्ली का ध्यान रखा जायेगा तथा बिजली में कभी कमी नहीं होने दी जायेगी।

भारतीय जूट मिल एसोसिएशन

*883 **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या उन्हें पता है कि भारतीय जूट मिल एसोशिएशन और जूट उद्योगों के प्रबन्धकों ने मई महिने के मध्य में आंशिक या पूर्ण रुप में कारखानों को बन्द करने का निर्णय किया है जिससे अपरिष्कृत जूट को सुरक्षित रखा जा सके और सम्पूर्ण भारत में जूट कारखानों द्वारा जूट की वस्तुओं के उत्पादन में कमी हो सके ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की विनाशकारी कार्यवाही को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या 1 अप्रैल से हेसियन के निर्यात के लिए नकद सहायता को बन्द करने के निर्णय पर विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक उसकी घोषणा किये जाने की सम्भावना है और इस बारे में सरकारी अधिसूचना कब तक प्रकाशित की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) तथा (ख) : मालूम हुआ है कि पटसन मिलों की प्रबन्ध समितियों द्वारा लिये गये ऐसें निर्णयों का भारतीय पटसन मिल्स संघ को पता नहीं है।

(ग) और (घ) : हेसियन के निर्यातों पर दी जाने वाली नकद सहायता 1 अप्रैल, 1978 से हटा ली गई है।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो उत्तर दिया गया है उससें ऐसा लगता है कि भारतीय जूट मिल एसोसिएशन ने इन्हें बहुत गुप्त बनाये रखा है। परन्तु तथ्य यह है कि

जूट उद्योग ने मई के मध्य स आंशिक या पूर्ण रूप से मिलबन्दी लागू कर दी थी । इस सम्बन्ध में उनकी अनेक बैठकें भी हुई ताकि पटसन सन वाली वस्तुओं के उत्पादन में क ी की जा सके और कच्चे पटसन को सुरक्षित रखा जा सके। बिजली के कमी के बारे में भी उनकी बातचीत हुई । इन परिस्थितियों के सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह पटसन उद्योग के प्रबन्धकों के साथ बातचीत करेंगे तथा उससे कहेंगे कि वे पहली को तरह ही अपना उत्पादन जारी रखें ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : मैं समझता हूं कि पटसन उद्योग के प्रबन्धकों के साथ किसी प्रकार की बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश में पटसन के कच्चे माल की कोई कमी नहीं है । गत वर्ष देश में 68 लाख गांठों का उत्पादन हुआ । पिछले साल की ही लगभग 10 लाख गांठें थीं । इस प्रकार कुल मिलाकर 78 लाख गांठें हो गई । अतः चालू मौसम के लिए हमारे पास काफी स्टाक है । जुलाई के मध्य में नया स्टाक भी बाजार में आना आरम्भ हो जायेगा । इस बार हमारी फसल भी अच्छी है। अतः इस वर्ष पटसन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होगी । पटसन मिल मालिकों को तो इस प्रकार का शोर गुल मचाने की आदत है। कुछ महिने पहले भी उन्होंने कहा था कि हम श्रमिकों की छंटनी कर देंगे । वे उत्पादन कम करना चाहते हैं । हमने पटसन की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं । हमने मिलों को पटसन की कुछ मात्रा अपने पास सुरक्षित रखने के लिए कहा है। ये सभी कदम कारगर सिद्ध हुये हैं । यदि केवल पटसन मिल मालिकों पर ही बात छोड़ दी जाती, तो लगभग 4 महीने पहले ही वे उत्पादन बंद कर देते । मिलें अब सुचारु रूप से चल रही हैं । सभी मिलों में पूरा उत्पादन हो रहा है तथा किसी प्रकार की समस्या नहीं है। चालू मौसम में पटसन के कच्चे माल की किसी प्रकार की कमी की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है ।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : क्या मंत्री महोदय की इस बात को जानकारी है कि हजारों कर्मचारियों को पहले ही छंटनी के नोटिस दिये जा चुके हैं तथा क्या वह इस सुझाव पर बातचीत करने के लिए तैयार है कि रूग्ण उद्योंगों को स्वस्थ उद्योगों के साथ मिला दिया जायें ? अनेक पटसन उद्योग ऐसे भी है जो अभी भी बंद पड़े हुये हैं। क्या मंत्री महोदय उन्हे खोलने के लिए हर सम्भव उपाय करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि से रूग्ण या बंद उद्योगों को स्वस्थ उद्योगों के साथ मिला दिया जाये ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : मुझे नोटिसों की कोई जानकारी नही हैं । कल मैं कलकत्ता में ही था और जो लोग मझसे वहां मिले उनमें कुछ लोग पटसन उद्योग से सम्बध्द कार्मिक संघों के प्रतिनिधि भी थे । उनमें से किसी एक ने भी मुझे यह नही बताया कि छंटनी या मिल के बंद किये जाने सम्बन्धी कोई नोटिस दिया गया है।

जहां तक रुग्ण मिलों को स्वस्थ्य मिलों के साथ मिलाने का सम्बन्ध है, हम जब भी इसके बारे में विचार करेंगे, उस समय इस सुझाव को दृष्टिगत रखा जायेगा। अभी भी कुछ रूग्ण मिलें है। उनमें से कुछ को पुनः खोला जा रहा है। किन्नीसन पटसन मिल को भी शीघ्र ही चालू किया जा रहा है तथा कुछ अन्य बंद मिलों को खोलने के बारे में भी शीघ्र निर्णय लिये जा रहे है।

Shri Hukam Dev Narain Yadav : It has been stated by the hon. Minister that Government in contemplating of reviving the sick mills. I would like to know from the hon. Minister whether he is also planning to reopen the Mills closed long back such as R.P.H.M. Jute Mill of Katihar as no relief could be given by Bihar Government at the time of its closure? I would also like to know the steps being taken by the Government to ensure the sale of jute produced by poor farmers in that area as the jute business has virtually come to a stop? The jute industry should not be left at the mercy of big capitalists; it should be allowed in small and cottage industries sector so that the production of the jute could be readily utilised.

Shri George Fernandes : Sir, at present there is no scheme under the consideration of the Government under which jute industry may be brought under cottage industry sector. Regarding the Katihar Mill, I may submit that it is a very old issue. We had discussed this issue with Bihar Government. It is a very old mill and according to our report, there are so many problems in re-opening this Mill. Still in view of the fact that livelihood of four thousands labourers is connected with this Mill. We will soon take a decision in regard to this mill.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि बाजार में पटसन के मूल्यों को गिराने के लिए पटसन मिल मालिक हर वर्ष मिलों को कुछ समय के लिए बंद करने का हथकंडा अपना लेते है ? दूसरे, उद्योग मंत्रालय में आने से पूर्व, वाणिज्य मंत्री ने सदन में यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि विभिन्न पटसन मिलों द्वारा नौकरी से हटाये ग य 80,000 श्रमिकों को, सरकार किसी न किसी रुप मे रोजगार उपलब्ध करायेगी ? इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की गई है ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : इस समय हमारे समक्ष छंटनी किये गये मजदूरों की कोई समस्या नहीं है । इस वर्ष हम पिछले साल की समस्या नही सुलझा सकते, इस समय कोई ऐसी समस्या नही है । मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि अब हम मिल मालिकों को ऐसा किसी प्रकार का हथकंडा नहीं अपनाने देंगे ।

श्री त्रिदिब चौधरी : यह खुशी की बात है कि कल कलकत्ता में मंत्री महोदय ने कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की । क्या उनको 27 तारीख की की जाने वाली सांकेतिक हड़-ताल के बारे में जानकारी दी गई थी क्योंकि यह हड़ताल भी तो श्रमिकों द्वारा प्रस्तावित बंद के विरोध में की जा रही है ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : मुझे इस बात की जानकारी है कि पटसन श्रमिक एक दिन की सांके-तिक हड़ताल करने जा रहे है तथा उनकी मांग है कि मिल मालिक उनकी विभिन्न समस्याओं के बारे में उनके साथ बातचीत करें । मैं उस समय केवल सम्बध्द पक्षों से यही निवेदन कर सकता था कि वह श्रमिकों या उनके संगठनों के साथ बातचीत करें । पश्चिम बंगाल सरकार को भी इस की जानकारी है । कल मेरी वहां के मुख्य मंत्री के साथ भी बातचीत हुई थी और उन्होंने भी मुझे बताया था कि वह भी समस्या के प्रति पूर्णतया जागरुक है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Appointment of Producers for various Languages in A. I. R.

*864. **Shri T. S. Negi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state. :

(a) whether there is a provision for appointment of experts of various languages and dialects as producers in All India Radio;

(b) if so, whether scholars of Kumaoni, Garwali and Sanskrit working at Lucknow and other stations have been appointend or propose to be appointed producers;

(c) whether all such scholars who have been working as staff artistes for the last 15-20 years and are experts of some language or dialect, are proposed to be appointend as producers; and

(d) if so, the time by which this is likely to be done?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) Appointment of experts at a station in any field depends upon programme requirements. This is subject to the Station being entitled to such posts in accordance with the norms prescribed by Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance.

(b) No posts of producers are sanctioned for Kumaoni, Garhwali or Sanskrit specifically at Lucknow or other stations as the criteria mentioned in (a) are not fulfilled.

(c) & (d): Posts of Producers in All India Radio are filled by limited selection from amongst all categories of staff artistes provided they fulfil the prescribed qualifications, failing which by direct recruitment. During the last 3 years, 53 Producers were, appointed in AIR, out of which 32 were selected through limited selection from the categories of staff artistes in All India Radio and 21 by direct recruitment.

राष्ट्रीय एकता पर सम्मेलन

*866. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल में विशेष रूपसे उत्तर प्रदेश राज्य में हुए दंगों के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता पर एक संम्मेलन बुलाने का विचार है;

(ख) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की पिछली बार हुई बैठक में की गई सभी सिफारिशें लागू कर दी गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी सिफारिशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए कोई स्थायी समिति नियुक्त करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) : राष्ट्रीय एकता परिषद की पिछली बैठक जून 1968 में हुई थी। इसने साम्प्रदायिक पहलुओं, क्षेत्रीय पहलुओं, शैक्षिक पहलुओं और संचार माध्यम के बारे में सिफारिशें की थी। ये सभी सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को भेजी गई थी। उन सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है जिनके लिए विधायन या विशिष्ट प्रशासनिक प्रबन्ध किए जाने आवश्यक थे। अन्य सिफारिशें मार्गदर्शी सिद्धान्तों के स्वरूप की हैं जिन्हे लगातार ध्यान में रखना होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद ने 1968 में परिषद की सिफारिशों के कार्यान्वयन का निरिक्षण करने के लिए एक स्थायी-समिति के गठन की सिफारिश की थी। इस स्थाई समिति की पिछली बैठक 1970 में हुई थी। परिषद ने साम्प्रदायिक स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए एक उप-समिति के गठन को भी सिफारिश की थी। इस उप-समिति की बैठक पिछली बार 1969 में हुई थी। सरकार ने राष्ट्रीय एकता संबंधी सम्मेलन अथवा इसकी किसी समिति के गठन के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

विभिन्न देशों से फिल्मों का आयात

***867. श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से जितनी फिल्मों का आयात किए जाने का प्रस्ताव है, उनकी संख्या का देश वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से फिलमों के आयात पर लगी रोक को समाप्त कर दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बधो ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत को जो देश फिलमों का निर्यात करते हैं उन्हें कितनी मात्रा में आय स्वदेश भेजने की अनुमति दी जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) चालू वर्ष के दौरान फिल्म वित्त निगम का 20 देशों से 60 फिल्में (परिशिष्ट) आयात करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ अमरिका की सदस्य कम्पनियों को भारत सरकार के साथ उनके करार के अनुसार 1.00—1.50 फिल्में प्रति वर्ष आयात करने को इजाजत है।

(ख) अमरीका से फिलमों का आयात करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमेरीका को उसके द्वारा भारत सरकार के साथ अप्रैल 1975 में किए गए करार के अनुसार प्रतिवर्ष 1.00—1.50 फिल्में आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ग) मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका की सदस्य कम्पनियों को उनकी 15 प्रतिशत आय या प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए, उनमें से जो भी कम हो, प्रत्यावर्तित करने की इजाजत है। फिल्म वित्त निगम विदेशों से फिल्में सम्पूर्ण खरीद आधार पर प्राप्त करता है, इसलिए उनके मामले में, आय प्रत्यावर्तित करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन फिल्मों की देशवार संख्या जिनकी फिल्म वित्त निगम का वर्ष 1978-79 के दौरान आयात करने का प्रस्ताव है :

क्रम संख्या	देश	फिल्मों की संख्या
1.	कनाडा	4
2.	अमरीका	9
3.	युगोस्लाविया	2
4.	पोलैंड	3
5.	इटली	6
6.	इंग्लैंड	4
7.	श्रीलंका	1
8.	जापान	3
9.	फरांस	10
10.	स्पेन	2
11.	अल्जीरिया	1
12.	पश्चिम जर्मनी	1
13.	हंगेरी	6
14.	यूनान	1
15.	मोरक्को	2
16.	स्विट्जरलैंड	1
17.	मिस्र	1
18.	चकोस्लोवाकिया	1
19.	स्वीडन	1
20.	हांग कांग	1
		योग : 60

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ब्रांड नामों के उपयोग पर प्रतिबंध

श्री निर्मल चन्द्र जैन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लक्स, कैडबरी, एनासिन आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों का उपयोग करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपना बाजार बढाती हैं, लाभों में वृद्धि करती हैं तथा प्रसिद्धि बढाती हैं जिससे वास्तव में वे एकाधिकार प्राप्त करती हैं; और इस प्रकार देश के उत्पादों को धक्का पहुंचाती है;

(ख) उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों से भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को पहुंचाई जा रही हानि को रोकने के लिए सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क): व्यापार चिन्ह, लक्स, कैडबरी और एनासिन का सम्बन्धित उत्पादकों द्वारा भारत में पिछले अनेक वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। सम्बन्धित उत्पादक व्यापार तथा पण्य वस्तु चिन्हांकन अधिनियम 1958 के अधिन इन व्यापार चिन्हों के पंजीकृत उपयोक्ता के रुप में दर्ज हैं। अधिनियम के अधिन व्यापार चिन्हों का उपयोग करने के लिए अनुमति देते समय निम्नलिखित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है :—

(i) व्यापार चिन्हों का उपयोग आम जनता के हितों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए।

(ii) चिन्हों के उपयोग का देशी उद्योग, व्यापार अथवा वाणिज्य पर प्रतिकूल प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए।

(iii) उपयोक्ता का प्रबन्ध ऐसे नहीं होना जाना चाहिए जिससे व्यापार चिन्हों के अवैध-पणन (क्रय-विक्रय) किया जा सके।

(ख) नए विदेशी सहयोग प्रस्ताओं को स्वीकार करते समय एक शर्त यह लगाई जानी चाहिए कि आन्तरिक बिक्री के लिए बनी वस्तुओं पर सामान्यतः विदेशी ब्रांड नामों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) व्यापार तथा पण्य वस्तु चिन्हाकन अधिनियम 1958 और विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के मौजूदा उपबन्ध भारतीय उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए काफी समझे जाते हैं।

धार्मिक संस्थाओं को विदेशी वित्तीय सहायता

***873 श्री एस० एस० सोमानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में कुछ ऐसी धार्मिक संस्थाएं है, जिन्हे विदेशों से वित्तीय सहायता लेने की अनुमति दीं गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधीं ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में ऐसी संस्थाओं द्वारा कुल कीतनी विदेशी सहायता प्राप्त की गई; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रबन्ध किये है कि इस प्रकार प्राप्त हुई सहायता वास्तव में उस प्रयोजन के लिये, जिसके लिये वह दी गई हो, उपयोग की जाय?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख): विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम की धारा 6 के अधीन, निश्चित, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, या सामाजिक कार्यक्रमों वाली संस्थाओ को उनके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की राशि के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचना देनी होती है।

(ग) धार्मिक संस्थाओं द्वारा 5-8-76 से विदेशी-अभिदाय (विनियम) अधिनियम के प्राख्यापन की तारीख 31-12-77 तक प्राप्त विदेशी सहायता की कुल राशि के बारे में सूचना संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उपर्युक्त संस्थाओं को इस बारे में सूचना देनी होती है कि किस प्रयोजन के लिए तथा किस तरीके से ऐसे विदेशी अभिदाय का उपयोग किया गया। उन्हें लेखों के अलग सेट तथा रिकार्ड भी रखने होत हैं जिन्हें सिर्फ प्राप्त हुए विदेशी अभिदाय के लिए रखा जाता है और चार्टरड एकाउटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक लेखे सरकार को प्रस्तुत करने होते हैं।

हरिजनों पर अत्याचार

*874. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या गृह मंत्री मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार हरिजनों तथा आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए अन्य समुदायों पर निर्मम और पाशविक हमलों को कम करने और समाप्त करने के मामले में पुरे देश में की जा रहीं कारगर कार्यवाही को व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने का है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) से (ग) : अनुसूचित जातियों के सदस्यों के प्रति किए गए अपराध देश के कानूनों के अन्तगर्त दंडनीय हैं और वे "लोक व्यवस्था" के क्षेत्र में आते हैं जो कि राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखता है और ऐसे अपराधों को रोकने और कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने और उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने से संबंधित उपायों के बारे में समय-समय पर सुझाव देता है। प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भी इस संबंध में राज्य सरकारों को लिखा है और इस मामले की लगातार समीक्षा की जा रहो है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में नये निदेशक की नियक्ति

*875 **श्री० डी० डी० देसाई :**
श्री० समर गुह :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में नये निदेशकों की नियुक्ति की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरराजी देसाई): (क) तथा (ख) : भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में नये निदेशक की नियुक्ति के प्रश्न पर यथा समय विचार किया जायेगा। इस पद के जून 1978 से पहले रिक्त होने की संभावना नहीं है।

Implementation of Official Languages Act, 1963

*877. **Shri Shambhu Nath Chaturvedi :** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether his Ministry/Department has informed their attached and subordinate offices to implement the provisions of Official Languages Act, 1963 and the rules made thereunder in June 1976 ;

(b) if so, whether the Ministry/Department have ensured full implementation of the above provisions and rules; and

(c) if not, the reasons therefor and the steps being taken to ensure full implementation of rules relating to Official Languages Act ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) : There are no attached or subordinate offices under the administrative control of the Prime Minister's Office.

नया विज्ञान नीति-संकल्प

*878 **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की गत वर्ष हुई पहली बैठक में स्वर्गीय डा० श्रीमन नारायण द्वारा एक नया विज्ञान नीति संबंधी संकल्प तैयार करने का जो प्रस्ताव रखा गया था उसे राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने त्याग दिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) नई विज्ञान नीति संकल्प की मुख्य बातें क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख): राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने 29-30 सितम्बर, 1977 और 23 मार्च, 1978 को हुई अपनी बैठकों में विज्ञान नीति संकल्प के संशोधन के प्रश्न पर विचार विमर्श किया और अन्त में यह निर्णय किया कि इस संकल्प को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि संकल्प की बुनियादी आधारिकाएं अभी वैध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय नागरिक परिषद

*880. **श्री के० राममूर्ति :** क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय नागरिक परिषद् समाप्त की जा रही ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण है !

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) केन्द्रीय नागरिक परिषद अगस्त, 1977 में समाप्त कर दी गई थी।

(ख) परिषद ऐसी प्रकृति और महत्व का कार्य नहीं कर रही थी जिसके लिए ऐसी संस्था का बने रहना आवश्यक हो। यह विचार किया गया कि इस संस्था द्वारा किया जाने वाला कार्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा अधिक उपयुक्त रूप में किया जा सकता है।

प्राकृतिक रबड़ के समर्थन मूल्य को बढ़ाना

*882 **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या भारत में टायर उद्योग को प्राकृतिक रबड़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के मामले में कोई आपत्ति है;

(ख) क्या वे वित्त मंत्रालय तथा रबड़ बोर्ड द्वारा प्राकृतिक रबड़ के न्यूनतम मूल्य के बारे में लागत अध्ययन प्रतिवेदन से जो कुछ समय पूर्व पेश किया गया था, सहमत हैं; और

(ग) क्या वे इस बात से सहमत हैं कि भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादकों को न्यूनतम लाभप्रद उचित मूल्य अदा किया जाना चाहिए?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : सरकार ने सितम्बर, 1970 में आर०एम०ए० I ग्रेडके रबड़ के 520 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किये गये न्यूनतम मूल्य को अन्य ग्रेडों के अन्तर के साथ 6 अगस्त, 1977 को बढ़ाकर 655 रुपये प्रति क्विंटल कर दिये थे तथा ये मूल्य 31 मार्च 1978 तक मान्य थे, ऐसा वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा की शिफारिशों तथा सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता तथा टायरों ट्यूबों आदि जैसे अंतिम उत्पादों पर इसका कम से कम असर पड़ने देने को ध्यान में रखते हुए किया गया था। टायर उद्योग ने रबड़ की बढ़ी हुई संशोधित कीमतों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है जबकि रबड़ उत्पादकों ने यह अभ्यावेदन दिया है कि सरकार द्वारा निश्चित किए गए रबड़ के संशोधित न्यूनतम मूल्य लाभप्रद नहीं है तथा उन्होंने मूल्य बढ़ाने की मांग भी की है।

सरकार ने अब 6 अगस्त, 1977 को रबड़ के निश्चित न्यूनतम मूल्यों की मान्य अवधी बढ़ाकर 31 मई, 1978 तक कर दी है। इस बीच स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

Installation of Babul Fruit Grinding Mill near O. C. F., Kanpur

8120. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether any babul fruit grinding mill has been set up outside the boundary of Ordnance Equipment Factory, Kanpur;

(b) if so, whether the work of setting it up was done by a contractor; and

(c) if so, whether the factory workers were made to work for it and if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c): A contractor was given only the work of supply and erection of Conveyor and Dust Collection System. No part of the work included in the contract was done by the Factory workers.

एम० ई० एस० का विसैन्यीकरण

8121. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को "एम० ई० एस० का विसैन्यीकरण : प्राक्कलन समिति 1957-58 की सिफारिशों का कार्यन्वयन" के बारे में "एम० ई० एस० एम्पलाइज यूनियन, पूणे क्षेत्र (महाराष्ट्र)" से 3 अक्तूबर, 1977 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या की गई कार्यवाही की सूचना संबंधित व्यक्तियों को दे दी गई है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में निर्णय कब तक किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) एम० ई० एस० और इंजीनीयर्स कोर की शान्ति स्थापना को उसके वर्तमान स्तर पर बनाए रखना जरूरी समझा गया है ताकि इस तरह की स्थापना आसानी से उपलब्ध हो सके जिसे आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर युद्ध संगठन के रूप में चालू कर दिया जाय ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Truck Transport Conference

†8122. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a truck transport conference was held in Ahmedabad during the 2nd week of March in which Shri Chand Ram, the Minister of State in the Central Ministry of Shipping & Transport also participated;

(b) the demands made in the conference;

(c) the action taken or proposed to be taken by the Central Government in respect of each of the demands; and

(d) the number of truck transporters who participated in the conference and the nature of suggestions given by them and what and when the Central Government propose to take action thereon ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) Yes, Sir.

(b) to (d): A number of points concerning the Government of Gujarat and different Ministries of the Government of India were made at the Conference. As several authorities are involved, it is not possible to indicate the action taken or proposed to be taken on each point. The proceedings of the Conference, which was arranged by the Ahmedabad Motor Transport Association, have not been received in the Ministry of Shipping and Transport. It is, therefore, not possible to indicate the number of truck transporters who participated in the Conference.

मुगल लाइन्स के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

8123. **श्री बाबू साहिब परूलेकर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के कोंकण के पश्चिमी तट पर परिचालित जहाजों में कार्य कर रहे मुगल लाइन्स के कर्मचारियों ने हड़ताल करने की धमकी दी है ;

(ख) उन कर्मचारियों की मांगें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं। केवल तट कर्मचारी जिसका प्रतिनिधित्व जहाजी मजदूर संघ ने किया तट में 18-2-1978 को हड़ताल का नोटिस दिया।

(ख) तट कर्मचारियों ने मांग की, कि उनके प्रबंधकों से समझौते की समीक्षा की जाए। मुगल लाइन लिमिटेड के अन्य कर्मचारियों की लागू शर्तों को उन पर भी लागू किया जाय तथा कोंकण सेवा यूनिट के अन्य कर्मचारियों द्वारा मांगे गए अन्तरिम भत्ता अथवा अग्रिम की अदायगी की जाए।

(ग) सभी मामलों पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचारविमर्श के पश्चात् 10-4-1978 को एक अन्तरिम समझौता किया गया तथा संभावित हड़ताल टाल दी गई।

Construction of Guest House in BHEL, Jhansi

8124. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether 20 lakhs of rupees had been spent on the construction of a guest House in the BHEL, Jhansi Unit though a building with all the modern amenities was already available there; and

(b) if so, the reasons for incurring such infructuous expenditure and action taken by Government to check it in future?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) & (b): A building with all the modern amenities was not available at BHEL, Jhansi. No building with even meagre amenities which could serve as a Guest House was available at Jhansi. M/s BHEL, Jhansi had therefore to construct a Guest House and the expenditure on this account can not be deemed as infructuous. The cost of the Guest House building inclusive of development charges and electrification came to Rs. 7.61 lakhs and not Rs. 20 lakhs.

Thein Project

8125. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether Thein project is an inter-State project and if so, whether the Rajasthan Government and Punjab Government have arrived at a complete agreement in regard to the said project and if not, whether the Central Government are fully seized of the dispute about the said project;

(b) whether the Punjab Government have started working on the Thein Project without resolving the dispute;

(c) if so, the steps proposed to be taken by the Central Government against the Punjab Government; and

(d) the quantum of electricity likely to be produced by the Thein Project and the quantum of electricity, in megawatts, that would be made available to Rajasthan?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) to (d): At a meeting held on 3-10-1977 under the Chairmanship of the Prime Minister when the Chief Ministers/Irrigation & Power Ministers of Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh, Haryana and Jammu & Kashmir were present, it was decided that work on the Thein Dam Project could be commenced. The Punjab Government has since initiated preliminary action. The project envisages an installed capacity of 480 MW.

Regarding the claims of Rajasthan for a share in the Thein power, it was decided that the question be settled separately.

जेल अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव

8126. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जेल अधिनियम 1894 की धारा 30 में जिसके अन्तर्गत मृत्युदण्ड के आदेश से पूर्व बन्दी को एकाकी कारावास में रखा जाता है, संशोधन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक संशोधन होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान । "जेलें तथा उनमें बन्दी बनाए गए व्यक्ति" राज्य के विषय हैं और इसलिये जेल अधिनियम में कोई संशोधन करना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Hindi Advisory Committee

8127. **Shri Surendra Bikram:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether the Hindi Advisory Committee has been constitued in Prime Minister's Office; and

(b) if so, the names of the members thereof and the number and names of members among them who have been included in the Committee on the basis of the recommendation of the Official Languages Committee?

Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir. The Prime Minister's Office being a small organisation, a Joint Secretary has been designated to keep a watch on the implementation of various instructions issued by the Deptt. of Official Language for the progressive use of Hndi.

(b) Does not arise.

Appointment of Hindi Advisory Committee

8128. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the Hindi Advisory Committee has been set up in his Ministry; and

(b) if so, the names of the members thereof and the number and names of members among them who have been included in the Committee on the basis of the recommendation of the Official Languages Department?

The Minister of Information and Broadcasing (Shri L. K. Advani): (a) & (b): The Committee has not so far been re-constituted.

मिजोरम में गैर-सरकारी जमीन पर सुरक्षा चौकियों की स्थापना

8129. **डा० आर० रोथुअम** : क्या रक्षा मंत्री 29 **मार्च**, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4641 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैण्ड में गांवों के बीच में गैर-सरकारी जमीन, बागों आदि पर सुरक्षा सेनाओं द्वारा कब्जा न किये जाने के क्या मुख्य कारण हैं जो मिजोरम की भांति ही अशान्त क्षेत्र है ;

(ख) क्या उन गैर-सरकारी जमीनों, बागों, मकानों पर कब्जा करने के लिए सुरक्षा सेनाओं ने गांव के अधिकारियों से कानूनी परमिट प्राप्त किये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(घ) यदि नहीं, तो राज्य अथवा केन्द्र के किस अधिकार के अन्तर्गत उन्होंने गांवों के बीचों बीच अपनी चौकियों की स्थापना की और क्या उनके कानूनी दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) जिन परिवारों की जमीनों, मकानों और परिसरों पर कब्जा किया गया है, उन सभी परिवारों को मुआवजा अथवा मकान किराये की सही राशि दिये जाने, तथ्यों और आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) : वह मानने का कोई कारण नहीं है कि मिजोरम के गांवों के बीच में निजी भूमियों, बागों आदि पर अंधाधुंध कब्जा किया गया है अथवा उनमें कोई भेदभाव रखा गया है। नागालैंड तथा मिजोरम दोनों में ही-अन्य स्थानों की भांति-सुरक्षा सेनाओं की चौकियों के स्थान बिलकुल सुरक्षा की दृष्टि से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने और कानूनप्रिय नागरिकों को विद्रोही तथा हिंसात्मक गतिविधियों के विरुद्ध संरक्षण देने के विचार से निश्चित किए जाते हैं।

(ख) से (ङ) : मिजोरम में सुरक्षा सेनाओं की चौकियां स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य सिविल प्रधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। उन सभी मामलों में जहां सुरक्षा सेनाएं निजी भूमि पर कब्जा करती हैं, ऐसे के लिए स्थानीय राजस्व प्रधिकारियों के माध्यम से मुआवजा दिया जाता है। इस बारे में संबंधित सिविल प्रशासन के पास उपलब्ध होगा।

Number of Civilian Teachers in Army

8130. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of civilian teachers in various units of Indian army during the last three years and the number of permanent and temporary teachers among them separately; and

(b) whether there are such civilian teachers in Indian army who are working in temporary capacity for many years and if so, whether the Ministry propose to make them permanent?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : The information relating to the number of civilian teachers during the last three years, the number among them who are permanent and temporary and the number of years for which the temporary teachers are working is being collected and will be placed on the Table of the House.

Civilian teachers working in units in the Army are at present held against combatant posts. When they become surplus, attempts are made to absorb them in regular civilian posts subject to the eligibility of the candidates and the availability of vacancies. Further, the feasibility of creating a separate cadre of civilian school masters is also under examination.

जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ

8131. श्री अब्दुल अहमद वकील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975, 1976, 1977 में और अब तक पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के हिस्से से कितने व्यक्ति भारतीय सीमा क्षेत्र में घुस आये है;

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उनको दी गई सजा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार जो व्यक्ति घुस आये थे वे जम्मू और काश्मीर राज्य के भारतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा उन्हें "आजाद काश्मीर" में वापस भेज दिया गया है और तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

एम० ए० एम० सी० में कर्मचारियों की भर्ती

8132. **श्री रोबीन सेन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० ए० एम० सी० दुर्गापूर के विभिन्न विभागों में 1972 से 1975 तक कितने कर्मचारी और श्रमिक विभाग-वार और श्रेणी-वार भर्ती किये गये;

(ख) उनमें से कितने रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गये; और

(ग) जो श्रमिक और कर्मचारी रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे जाने पर साक्षात्कार के बाद भर्ती किये गये उनके नाम क्या क्या है और उनके रोजगार कार्यालय कार्ड की संख्या क्या क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है । **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०-21/90/78]**

(ख) 99 व्यक्ति, जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है (अन्य तरीकों से की गई नियुक्ति को भी उत्तर के अन्त में स्पष्ट किया गया है) ।

1	अधिकारी	1
2	पर्यवेक्षक	53
3	अनुसचिवीय	41
4	पैरा-मेडिकल	3
5	अकुशल श्रमिक	1
		99

(ग) जानकारी नीचे दी जाती है :—

रोजगार केन्द्र सें भेजे गए और बाद में साक्षात्कार के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के नाम	रोजगार केन्द्र कार्ड की संख्या
1	2
1 श्रीमती एम० कार (दास)	डब्ल्यू-1249/71
2 श्रीमती अमिनिमा ए० के०	डब्ल्यू-334/72
3 श्री जे० पी० कर्मकर	359/70
4 श्री पी० के० मुजुमदार	8892/70

1		2
5	श्री आर० के० दे	1370/72
6	श्री ए० के० बिशनु	3766/69
7	श्री बी० एन० मुखर्जी	डी-1082/72
8	श्री पी० गोस्वामी	डी-6316/69
9	श्री जी० सी० बेसरा	डी-12915/72
10	श्री के० मोन्डल	डी-4711/72
11	श्री जे० एन० मन्डल	डी-14080/71
12	श्री एन० एन० बख्त	डी-292/71
13	श्री डी० के० शाह	डी-11588/71
14	श्री एस० के० एस० हक	डी-6476/71
15	श्री के० रसूल	डी-6475/71
16	श्री जी० सी० कर्मकर	डी-6470/71
17	श्री ए० गोस्वामी	20668/70
18	श्री डी० एन० चक्रवर्ती	डी-6380/71
19	श्री एस० दास	6381/71
20	श्री एम० के० गंगोपाध्याय	डीसीएआईडब्ल्यू डब्ल्यू पीएक्सयूक्यू/71
21	श्री आर० के० गुइटा	77651/71
22	श्रीमती ए० के० सर्नाकिर	डब्ल्यू-599/70
23	श्री बी० बोस	जी-5990/71
24	श्री एस० के० गुप्ता	डी-4810/71
25	श्री एम० सी० भारती	टी-1313/70
26	श्री जे० डी० मोइत्रा	5589/71
27	श्री बी० पी० गुई	07/4 : 750
28	एम० सी० गोहुप	1563/70
29	श्री डी० के० रे	8388/69
30	श्री जे० एन० पत्तरा	डी-9931/71
31	श्री पी० एस० घोष	डी-3564/71
32	श्री ए० मुखर्जी	टी-2876/71

4—141 L.S.S./ND/78

	1	2
33	श्री एस० चौधरी	टी-2430/72
34	श्री ए० के० चन्दा	टी-2227/71
35	श्री ए० दास	टी-4986/67
36	श्री एन० पाल	टी-3013/70
37	श्री एस० के० शाह	टी-3040/70
38	श्री आर० एन० बनर्जी	टी-1593/72
39	श्री एन० के० ओरई	ठी-1938/71
40	श्री एस० के० अचर्जी	टीबोएक्यूओओडब्ल्यूएक्सयूक्यू
41	श्री डी० जी० बेन	टी-2539/71-टी
42	श्री वी० जे० अदाक	टीटी-2893 डब्ल्यूक्यू
43	श्रीं टी० महाते	टी-315 सं० 7
44	श्री एम० बिट	टी-3381/71-टी
45	श्री बी० एस० लमीगी	टी-379यूक्यूओ
46	श्री एच० पी० भट्टाचारजी . . .	टी-3647/71
47	श्री ए० के० सेनगुप्ता	टी-3811/71
48	श्री एस० के० मन्डल	टी-5629/71
49	श्री ए० के० पाल	टी-5809/71
50	श्री एन० के० मजुमदार	टी-5929/71
51	श्री ए० के० मन्डल	टी-6008/71
52	श्री एस० के० मन्डल	टी-1052/71
53	श्रीं ए० के० बेग	टीं-5761/71
54	श्री के० एन० चौधरी	टीं-1104/72
55	श्री आर० एन० अचर्जी	टी-4641/66
56	श्री जी० सी० बनर्जी	टी-2262/67
57	श्री एस० एस० गंगोपाध्याय . . .	टी-2573/68
58	श्री एच० एस० पाल	टी-4040/71
59	श्री एस० एन० दास	टी-1491/72
60	श्री एस० के० सरकार	टी-167/71
61	श्री आर० राय	टी-802/71

	1	2
62	श्री ए० मन्डल	टी-929/71
63	श्री एस० चक्रवर्ती	टी-930/71
64	श्री एस० कर्नागिया	टी-435/69
65	श्री पी० के बनर्जी	टी-1449/69
66	श्री एन० सी० दत्ता	टी-2331/69
67	श्री जे० मुजुमदार	टी-1370/70
68	श्री एस० के० पम्पन	टी-1203/70
69	श्री डी० के० चक्रवर्ती	टी-1327/70
70	श्री ए० के० सेनगुप्ता	टी-1447/70
71	श्री एस० के० मल्लिक	टी-2236/70
72	श्री डी० चौधरी	टी-574/71
73	श्री ए० के० मन्डल	टी-929/71
74	श्री एस० के० चक्रवर्ती	टी-930/71
75	श्री एस० के० नाग	टी-1148/71
76	श्री ए० के० बन्धोपाध्याय	टी-1417/71
77	श्री एन० सी० सोम	टी-1271/70
78	श्री पी० सी० पाठक	टी-1312/70
79	श्री बी० रे	टी-860/69
80	श्री डी० डो० पालिट	टी-460/71
81	श्री एस० सरकार	टी-464/71
82	श्री सी० आर० नन्दी	टी-600/71
83	श्री एम० एस० बिसवास	टी-767/71
84	श्री एस० सी० भट्टाचारजी	टी-1083/71
85	श्री एस० के० सरकार	टी-1669/71
86	श्री बी० पी० कर्मकर	7046/71
87	श्रीमती के० राय चौधरी	डब्ल्यू-12052/72
88	श्री ए० चक्रवर्ती	डी-7303/71
89	श्री एस० के० दास	डी-6193/71
90	श्री एस० सरकार	डी-5930/71
91	श्रीमती एस० बिसवास	डब्ल्यू-480/70
92	श्री एस० बी० भट्टाचारजी	7166/69
93	श्री एस० सरकार	डी-6007/71

	1	2
94	श्री ए० के० शाह	4645/68
95	श्री डी० बी० कर्मकर	डी-6747/71
96	श्री एस० देव गुप्ता	डी-7431/71
97	श्री डी० सी० बोस	डी-7562/71
98	श्री पी० के० बनर्जी	5493/71
99	श्री एम० जी० ओझा	पीई-4347/73

1. यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारियों को छोड़कर विभिन्न पदों पर और कुछ पदों जिनके लिए व्यासायिक और विशिष्ट अर्हताओं की आवश्यकता है, पर भर्ती निम्नलिखित श्रेणियों से भी की गई थी—

(1) 1971 में हुए त्रिपक्षीय समझौते और उसके बाद, अपनाई गई रीतियों के आधार पर, उपयुक्तता के आधीन, एक्स-एक्ट अप्रेंटिसेज।

(2) मस्टर रोल/एक्स मस्टर रोल कर्मचारी भर्ती में इन कर्मचारियों के नियमित रिक्तियों पर भर्ती करने के लिए वरीयता दी गई थी।

(3) मृत/अपंग/सेवा निवृत्त कर्मचार्यीयों के आश्रित—एम० ए० एम० सी० के भर्ती नियमों के उपबंधों के अंतर्गत और त्रिपक्षीय समझौते में किए गए उपबंधों के अनुसार भर्ती की गई।

(4) एम० ए० एम० सी० के भूतपूर्व कर्मचारियों की दुबारा नियुक्ति करुणामुलक कारणों के आधार पर, विशेष विचार के योग्य या ट्रिब्यूनल के अवार्ड पर या समझौता तंत्र के जरिए।

2. एम० ए० एम० सी० की भर्ती नीति के अनुसार, अधिकारियों की श्रेणी में भर्ती रोजगार केन्द्रों को सूचित करते हुए अखिल भारतीय आधार पर प्रेस विज्ञापन के जरिए की गई थी। कुछ पदो पर भर्ती जिनके लिए व्यावसायिक और विशिष्ट अर्हताएं अपेक्षित थी, खुले विज्ञापन के जरिए की गई थी।

3. यह भी कहा जाता है की एक समय तो स्थानीय रोजगार केन्द्र ने इस क्षेत्र के काम चाहने वाले व्यक्तियों द्वारा पैदा की गई कठिनाई और आंदोलन के कारण अकुशल श्रमिकों के लिए एम० ए० एम० सी० की मांग पर अभ्यर्थी प्रायोजित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए भर्ती

8133. **श्री किशोर लाल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश संख्या 18(2) और तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश संख्या 98 के अनुसार द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए सीधी भर्ती जिसके पदधारी प्रथम श्रेणी के जूनियर अधिकारियों को निर्धारित की गई ड्यूटी के समान कार्य करते है, सिध्दांत रूप से सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख से स्वीकार किया गया था और नई नीती के अनुसार कितने मामलों पर निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि यह सिध्दांत आर्मी आर्डनेंस कोर पर लागू नहीं किया गया है और उसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : सिफारिशों को 11-4-75 से स्वीकार कर लिया गया है। अत: निम्नलिखित उन मामलों में श्रेणी ii की सेवाओं में सीधी भर्ती बंद कर दी जाएगी जिनमें :—

(i) श्रेणीं ii (अब ग्रुप 'ख' राजपत्रित) सेवा और जूनियर श्रेणी। (अब ग्रुप 'क')के स्केल में भर्ती एक ही प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है;

(ii) ग्रुप 'ख' के अधिकारियों और ग्रुप 'क' के जूनियर स्केल के अधिकारियों के कार्य लगभग एक जैसे है ;

(iii) ग्रुप 'ख' के पदों के कार्य और उत्तरदायित्वों का स्वरूप और इन पदों के लिए आवश्यक अर्हताएं ऐसी होती है जिन्हें निम्न ग्रेड के कर्मचारीं पदोन्नति के समय पूरा कर सकते है ; और

(iv) ग्रुप 'ख' पदों के लिए फीडर ग्रेड अथवा सेवा काफी विस्तृत है। रक्षा मन्त्रालय में जिन मामलों में सरकारी निर्णय लागू किया गया था, उनके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) यह सच है कि आर्मी आर्डनेंस कोर के सिविलियन संवर्गों पर सरकारी निर्णय लागू नही किया गया है क्योंकी वे उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा नही करते हैं।

कच्छ और खम्भात के क्षेत्र में समुद्री ज्वार भाटे से बिजली बनाये जाने पर प्रतिवदन

8134. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ और खम्भात के बेसिन में समुद्री ज्वार भाटे से बिजली बनाये जाने के बारे में राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के प्रो० ई० एम० विल्सन ने भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचंद्रन) : (क) जी, हां।

(ख) भौगोलिक ज्वारीय तथा अन्य उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रो० विल्सन ने अपनी रिपोर्ट में खम्भात और कच्छ दोनों ही खाड़ियों में ज्वारीय विद्युत् के विकास की अनेक वैकल्पिक संभाव्यताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इन विकल्पों की मुख्य विशेषताएं संलग्न

विवरण में दी गई है। शक्यता निर्धारित करने के लिए अन्वेषण और अध्ययन करने, विकास की स्कीमें तैयार करने, उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने आदि के लिए उन्होंने एक सोपानबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश की थी।

(ग) से (ङ) : प्रोफेसर विल्सन की रिपोर्ट पर विचार किया गया था। कच्छ और खम्भात की खाड़ियों में अन्वेषण कार्य शुरु करने के लिए गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी थी।

दिन में तथा चन्द्रमा के घटने-बढ़ने से ज्वार की तरंगे घटती-बढ़ती रहती हैं और परिणाम-स्वरुप ज्वारीय स्कीमों से विद्युत उत्पादन घटता-बढ़ता रहता है। इसको विद्युत प्रणालियों में शामिल करने के लिए, विद्युत के अन्य स्रोतों से प्रतिपुरक प्रचालन करके इसे सुस्थिर करना आवश्यक है। यह महसूस किया गया था कि प्रो० विल्सन की रिपोर्ट में यथा परिकल्पित खम्भात और कच्छ की खाड़ियों में विकास की क्षमता इतनी अधिक होगी कि इससे होने वाली घटते-बढ़ते उत्पादन को पूर्वानुमानित भविष्य में गुजरात/पश्चिमी क्षेत्रीय ग्रिड में खपाना कठिन होगा। इस बात को ध्यान में रखते हूए, कच्छ की खाड़ी में एक छोटी स्किम विकसित करने की संभावना पर विचार किया गया है। छोटी ज्वारीय स्कीमों से उत्पन्न होने वाली विद्युत को भीं ताप विद्युत प्रधान गुजरात प्रणाली में खपाना एक समस्या होगी। विकास की स्कीम को अन्तिम रुप देने तथा इसकी तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक औचित्य सुनिश्चित करने के लिए आगे विस्तृत अन्वेशण और अध्ययन अपेक्षित हैं। ज्वारीय विद्युत के विकास हेतु अन्वेशण करने और स्कीम तैयार करने के लिए बहुविधायुक्त दृष्टिकोण अपेक्षित है जिसमें अनेक संगठनों को भाग लेना होगा। विभिन्न संगठनों द्वारा किए जाने वाले अन्वेषणों और अध्ययनों के संबंध में एक व्यापक दृष्टीकोण अपनाना होगा।

विवरण

	खम्भात की खाडी		कच्छ की खाडी		
प्रचालन को वैकल्पिक स्कीमें	सो[1] सिंगल बेसिन	सो[2] सिंगल बेसिन	के[1] सिंगल बेसिन	के[2] सिंगल बेसिन	के[3] बिना पम्प के दो बेसिन प्रणाली
औसत ज्वारोय तरंग (एम)	6.8	6.8	5.3	5.3	5.3
संरचनाओ की लम्बाई (कि० मी०)	26	32.1	26	31	34
प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	7364	5510	1182	1182	586
वार्षिक उर्जा उत्पादन (जी० डब्ल्यू० एच०)	15394	11583	3037	2984	1266
अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	1925.1	हिसाब नहीं लगाया गया है	593.5	हिसाब नहीं लगाया गया है	468

समुद्र विज्ञान और औद्योगिकी एजेन्सी की स्थापना करना

8135. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेन्सी की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां तो कब; और

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान इसने क्या कार्य किया ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां, ओशन साईंज एंड टैक्नालाजी एजेन्सी (समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजन्सी) के लिए एक विभागीय बोर्ड का गठन किया गया है।

(ख) दिसम्बर, 1976 में।

(ग) उपयोक्ता मंत्रालय/विभागों के प्रतिनिधियों की एक अंत: मंत्रालयीय समिति ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा अभिकरणों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों और समूद्री स्त्रोतों के विकास के लिए बहुविषय-शास्त्रीय तथा अंत: अभिकरण अनुसंधान के लिए सुविधाओं की आवश्यकताओं का गहन परीक्षण किया है। समिति ने एक वृहद् रिपोर्ट को अंतिम रुप प्रदान किया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान जहाज प्राप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग करने सम्बन्धी प्रस्ताव

8136. **श्री राजेश्वर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताले की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों म राजभाषा के रूप में हिन्दो अथवा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने संबंधो कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कानूनी पुस्तकों/कानूनों/विधानों और आल-इंडिया रिपोर्टरस को हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किये गये आधार भूत कार्य की मुख्य बाते क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) : इस समय उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में राजभाषा के रूप में हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने से संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अधिन, राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अथवा किसी निर्णय, डिग्री अथवा उच्च न्यायालय द्वारा उस राज्य के लिए पारित अथवा दिए गए आदेश के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

अब तक, राष्ट्रपति ने इलाहाबाद, पटना, राजस्थान और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में, निर्णय आदि में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग के लिए स्वीकृती प्रदान की है।

अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा के संबंध में राज्य सरकारें स्वयं निर्णय करती है।

817 केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है जिनमें से 776 अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधिन प्रकाशित किए जा चुके हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5(1)(ख) के अधिन सांविधिक नियमों के हिन्दी अनुवाद के भी लगभग 6000 पृष्ठ प्रकाशित किए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों के साथ हुए करार के अन्तर्गत, केन्द्रीय अधिनियमों का क्षेत्रीय भांषाओं में अनुवाद किया जा रहा है और इस संबंध में प्रगति निम्नलिखित हैं :—

भाषा का नाम	केन्द्रीय अधिनियमों की सं० जिनके अनुवाद को अन्तिम रूप दिया जा चुका है
असमी	27
बंगला	23
गुजराती	25
कन्नड	47
मलयालम	124
मराठी	135
उडीया	183
पंजाबी	27
तामिल	66
तेलुगु	56
उर्दू	166

(2) महत्वपूर्ण ग्रंथों के अंग्रेजीं से हिन्दी से अनुवाद करनें एक योजना विद्यमान है इस समय 6 पूस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है।

(3) मूल पूस्तके हिन्दी में लिखनें की भी एक योजना चल रही है। 6 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी है और 22 पुस्तके लेंखन, सम्पादन और मुद्रन की विभिन्न स्थितियों में है।

(4) सरकार मल रूप से हिन्दी में लिखी गयी उत्तम कानूनी पुस्तकों के लिए पुरस्कार देने की एक योजना भी चल रही है। हर वर्ष 10-10 हजार रुपए के दस पुरस्कार दिए जाते है।

(5) भारत के उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट योग्य निर्णय, "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" नामक पत्रिका में हर महिनें हिन्दी में प्रकाशित किए जाते है। जबकि विभिन्न उच्च न्यायालयों के चुने हूए निर्णय "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" नामक पत्रिका में हिन्दी में प्रकाशित किए जा रहे है।

उड़ीसा के परिवहन वाहनों के बारे में प्रस्ताव

8137. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार से परिवहन वाहनों के अधिकतम सुरक्षा लदे हुए भार और अधिकतम सुरक्षा धुरी भार के बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

नौवहन ओर परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव सर्व प्रथम राज्य सरकार से जून, 1976 में प्राप्त हुआ। इस पर अगस्त 1976 में हुई परिवहन विकास परिषद की बैठक में विचार विमर्श किया गया, इसमें यह सिफारिश की गई को यथास्थिति रखो जाए और निर्माताओं द्वारा यथा प्रमापित अधिकतम सुरक्षित एक्सल लदान भार जो कि 125% सकल गाडी भार से अधिक न होने को जारी रखा जाए।

राज्य सरकार ने 1965 में अथवा इसके पश्चात निर्मित गाड़ियों में लदान भार/एक्सल भार को निर्माताओं द्वारा यथा प्रमाणित अधिकतम लदान भार तथा एक्सल भार को $13\frac{1}{3}\%$ तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया। परिवहन विकास परिषद की सिफारिश की और सड़कों की स्थिति और सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

एथाटन वैस्ट, तथा लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कानपूर के अधिग्रहण में विलंब

8138 : **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की एथाटन वैस्ट तथा लक्ष्मी रतन काटन मिल्स नामक दो मिलों का अभी तक राष्ट्रीय करण नहीं किया गया है जब कि सरकार ने इनके प्रबंध को बहुत पहले अपने अधिकार में ले लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) राष्ट्रीय करण कब तक संभावित है और इतने बडे विलम्ब के क्या कारण है ;

(घ) क्या सरकार इन मिलों का प्रबंध मालिकों को लौटाने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है'?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्र (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : इन उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(झ) जी, नहीं।

(ड) प्रश्न ही नहीं उठता।

Examination for Police Wireless Operators

8139. **Shri K. Lakkappa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any departmental examination of Police Wireless operators in Delhi has been held since 1975 to date and if so, whether the successful operators have been promoted;

(b) the number of successful operators belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been given promotion;

(c) if the successful operators have not been promoted since 1975 to date, the reasons therefor; and

(d) whether special allowance is given to Head Constable Police Wireless operators and if so, the amount thereof and if not, the reasons therefor, when it is given in BSF, CRP etc.?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) to (c): Departmental examinations of Police Wireless Operators in Delhi have been held since 1975. However, the successful operators could not be given promotion for want of vacancies.

(d) No special allowance is given to the Head Constables, Police Wireless Operators as the Third Pay Commission did not recommend the same.

विज्ञापन देने के लिए मानदण्ड

8140. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित समाचारपत्रों, पत्रिकाओं आदि की संख्या कितनी है और उनमें दैनिक समाचारपत्रों, साप्ताहिक, मासिक और पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं की पृथक-पृथक संख्या कितनी है; और

(ख) उन पत्र-पत्रिकाओं आदि के नाम क्या हैं जिन्हें सरकारी विज्ञापन दिये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) 31-12-1976 को बिहार से कुल मिलाकर 360 समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र प्रकाशित किए गए जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है : —

(क) दैनिक	19
(ख) साप्ताहिक	162
(ग) त्रि-द्वि-साप्ताहिक	2
(घ) पाक्षिक	42
(ङ) मासिक	95
(च) त्रैमासिक	26
(छ) वार्षिक	5
(ज) अन्य आवधिकता	9
योग :	360

(ख) विज्ञापन उन पत्रों को दिए जाते हैं जो अपने को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल करने के लिए आवेदन करते हैं और जो सरकार की विज्ञापन नीति में निर्धारित मूल मापदंड को पूरा करते हैं। बिहार के जिन प्रकाशनों को वर्ष 1977-78 के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय विज्ञापन दिए गए, उनकी सूची संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2191/78]

अनुसंधान एवं विकास संस्थान

8141. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति) के वर्ष 1970-71 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी प्रतिवेदन पृष्ठ 157 से 159 के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त (मार्च, 1978) में केन्द्रीय सरकार के अधीन कुल कितने अनुसंधान और विकास संस्थान थे; और

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में और पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1977-78) में इन अनुसंधान एवं विकास संस्थानों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन अनुसंधान और विकास संस्थाओं की कुल संख्या पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में 169, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 333 तथा पांचवी योजना के अन्त में 387 थी।

(ख) इन अनुसंधान और विकास संस्थाओं पर इनके अनुसंधान और विकास तथा अन्य संबंधित कार्यकलापों पर कुल व्यय पहली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में 12.14 करोड रुपये, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में 79.12 करोड़ रुपये था तथा पांचवी योजना के अंतिम वर्ष (1977-78) का प्रत्याशित व्यय 412.27 करोड़ रुपये था।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति

8142. **श्री डी० जी० गवई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 में आयोजित आम सभा की गत बैठक में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० के तत्कालीन महा-प्रबन्धक के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के आरोप लगाये गये थे ;

(ग) क्या महा-प्रबंधक ने उन वस्तुओं के लिए धनराशी जमा करा दी थी जो उन्होने ली थी; और

(घ) यदि हां। तौ कब और किन दरों पर ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान। महा प्रबन्धक के विरुद्ध दो आरोप लगाए गए थे। एक आरोप उनके द्वारा यात्रा भत्ते को अग्रिम राशि को काफी समय तक अपने पास रखने के बारे में था। हालांकि उन्हें दौरा नहीं करना पड़ा था। दूसरे आरोप का संबंध ज़ब्त की गई उन वस्तुओं के मूल्य पर ब्याज की हानि से संबंधित था, जिन्हें महा-प्रबन्धक ने अनुमोदन के आधार पर लिया था किन्तु जिन्हें वास्तव में बेचा नहीं गया था।

(ग) तथा (घ) : महा-प्रबन्धक ने अप्रैल-मई, 1975 में रु० 7374.10 की लागत को कुछ जब्त की गई वस्तुएं अनुमोदन करने के लिए गोदाम से ली थी और उन्हें मुख्यालय के कार्यालय में इस उद्देश्य से रखा था ताकि उन्हें वी०आई०पी० ग्राहकों तथा समिति के कार्य से संबंधित ऐसे अन्य कर्मचारियों को प्रदर्शित किया जा सके, जो इन्हें भारी भीड़ के कारण सामान्य रीति से स्टोर से प्राप्त नहीं कर सकते थे । बाद में, उन्होंने इन वस्तुओं को जुलाई, 1977 में समिति के मुख्य गोदाम को लौटा दिया । अतः महा-प्रबन्धक द्वारा अनुमोदन करने के लिए ली गई वस्तुओं का मूल्य जमा कराने का प्रश्न ही नहीं उठा ।

ग्रेड 'सी' के स्टेनोग्राफर

8143. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली खुली प्रतियोगी परीक्षा में ग्रेड 'सी' के योग्यता प्राप्त स्टेनोग्राफरों की उपलब्धता बहुत कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार ग्रेड 'सी' के स्टेनोग्राफरों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाने का है ताकि यह कमी पूरी करने के लिये सक्षम और योग्य व्यक्ति आकर्षित हो सके ;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सीधे भर्ती हुए असिस्टेंट्स के मूकाबले सीधे भर्ती हुये ग्रेड 'सी' के स्टेनोग्राफरों के लिये एक जैसे वेतनमान तथा सरकारी सेवा को एक जैसी श्रेणी होते हुए भी पदोन्नति के अवसरों में भारी असमानता है; और

(घ) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ताकि पदोन्नति के मामले में ग्रेड 'सी' के स्टेनोग्राफर सीधे भर्ती हुये असिस्टेंट्स के समान स्तर पर लाये जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०डी०पाटील) : (क) जी हां, श्रीमान; 1976 तथा 1977 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रेड 'सी' के योग्यता प्राप्त स्टेनोग्राफरों की उपलब्धता में कमी हुई है ।

(ख) इस कमी के कारणों तथा इसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए अपेक्षित उपायों पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ग) यह नहीं कहा जा सकता कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सीधी भर्ती हुए असिस्टेंट्स के मुकाबले में सीधी भर्ती हुए ग्रेड 'सी' के स्टेनोग्राफरों के लिए पदोन्नति के अवसरों में भारी असमानता है । इसके अलावा, ग्रेड 'सी' के स्टेनोग्राफर तथा असिस्टेंट्स अलग-अलग सेवाओं के होते है और वे अलग-अलग सेवा नियमों द्वारा शासित होते है । इस प्रकार इन दो ग्रेडों के पदोन्नति के अवसरों को तुलना करने का कोई प्रश्न नहीं हो सकता, फिर भी उनके सामान्य वेतनमान है और दोनों ही समूह 'ख' सेवा से सम्बन्धित है ।

(घ) प्रश्न ही नही उठता ।

भारतीय वायू सेना के असैनिक स्टोर कीपिंग संवर्ग का वेतनमान

8144. **श्री एस०डी० सोमसुंदरम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के असैनिक स्टोरकिपिंग संवर्ग में जिसमें कर्मचारियों की अनिवा तः न्यूनतम अर्हता स्नातक होती है, अपने वर्तमान अल्प वेतनमानों के बारे में निराशा और असन्तोष व्याप्त है, क्योंकि उनके वर्तमान चार ग्रेड है और उच्चतम ग्रेड का अधिकतम केवल 750 रुपये तक ही जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि एस० के०, एस० एस० के०, एस० एस० एस० एस० एस० के विभिन्न ग्रेडों में अनेक कर्मचारियों को प्रत्येक ग्रेड में 10 से 12 वर्ष की सेवा कर चुकने के बाद भी पदोन्नति का कोई अवसर प्राप्त नही है और अपने वर्तमान वेतनमानों के अधिकतम पर जो बहुत कम होता है उन्हें रुका रहना पड़ता है;

(ग) क्या उनकी शैक्षणिक अर्हताओं और वारिष्ठता के अनरूप और ऊंचे ग्रेडों की ज्यादा जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनके वेतनमान में उच्चतर पुनरीक्षण करने का सरकार का विचार है; और

(घ) क्या उन्हें बेहतर वेतनमानों की अच्छी नौकरियों की खोज में भारतीय वायू सेना छोड़ने से रोकने के लिए अपनी सेवा में ही पदोन्नति के अवसर देना उपयोगी नहीं होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) वेतन-मान तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

(ख) ग्रुप "सी" [एस० के०, एस० एल० के०, एस० एस०, एस०एस० एस०] और बाद में ग्रुप "सी" और ग्रुप "ए" के पदों में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

(ग) मामले की जांच की जा रही हैं।

(घ) वायु सेना में स्वयं ही पदोन्नति के अच्छे अवसर है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा किराये पर ली गई प्राईवेट बसों में भीडभाड

8145. **श्री सूरज भान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा लगाई गई प्राईवेट बसों में बहुत भीडभाड और जेब कतरने की घटनाएं होती है;

(ख) क्या ऐसा अनुपयुक्त सीटिंग व्यवस्था के कारण होता है जो 'सिटी बसों' की जरूरतो के अनुरूप नहीं है;

(ग) यदि हां, तो बसों में सीटिंग व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए बस आपरेटरों से क्यों नहीं कहा गया;

(घ) क्या सोटिंग व्यवस्था में अब वांछित परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या बस कन्डक्टर बस की आखिरी सीट पर बैठा रहता है और यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए उसके आगे भीड लगानी पडती है; और

(च) क्या सरकार इस प्रणाली में परिवर्तन किये जाने और बस कण्डक्टर द्वारा चल फिर कर टिकट देने का आदेश दिये जाने के प्रश्न पर विचार करेंगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां । अधिकतम समय में इन बसों में भोडभाड होती है । परन्तु इसमें जेब काटने की विशेष अधिक घटनाएं नही होती ।

(ख) जो, हां। किसी हद तक क्योंकी गैंगवें तंग होता है यात्रियों के आने-जाने में अडचन पडती है ।

(ग) परिचालकों की अपनी बसों में कोई हेरफेर करने की अनिच्छा तथा दिल्ली परिवहन निगम की अतिरिक्त निजी बसों को लगाकर अपनी वाहन क्षमता बढाने की जोरदार मांग के कारण निगम के लिए यह संभव नही हुआ है कि निजी बसों को लगाने से पूर्व उनकी सीटों में हेरफेर पर जोर दे ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है । निजी परिचालकों में सीटों में हेरफेर करन की अनिच्छा पायी गई है क्योंकि जब कभी इन बसों को दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन के अन्तर्गत चलाया जाता है तो प्रायः इन बसों को कन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में प्रयोग किया जाता है अथवा अन्तर्शहरी यातायात में लगाया जाता है क्योंकि इनमें कई अधिक सीटें होती है ।

(ङ) तथा (च) : इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है परन्तु दिल्ली परिवहन निगम न अपने संवाहकों को कोई ऐसे आदेश नही दिए है कि वह बसों में किसी सीट पर बठे । सिवाय इसके जब कि बस में उनके बैठने की अलग स व्यवस्था न की गई है । दिल्ली परिवहन निगम द्वारा ऐसे निर्देश जारी किए जा रहे है कि निगम द्वारा लगाई गई निजी बसों में जहां संवाहकों के बैठने की अलग से व्यवस्था न की गई हो, संवाहकों को टिकट देने के लिए चलते-फिरते रहना चाहिए ।

खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा खादी ग्रामोन्नयन केन्द्र, वयानोर से खरीद

8146. **श्री राम नरेश कुशवाह** : क्या **उद्योग** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्लो ने खादी ग्रामोन्नयन केन्द्र, वयानोर, पश्चिम बंगाल से खादी रशम उत्पादों की खरीदें की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त खरींद किन तारीखों को की गई थी और कितनी कीमत की खरीद को गई थी तथा तत्सम्बन्धो ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल के उक्त संगठन को खादी आयोग के प्रमाणपत्र पर समिति द्वारा कब अनधिकृत घोषित किया गया था;

(घ) उसे कितनी अवधि तक "अनधिकृत" रखा गया और उसे कब पुन: अधिकृत घोषित किया गया; और

(ङ) क्या खादी भवन कर्मचारी संघ ने उक्त अनधिकृत संगठन से खरीद किये जाने के बारे में कोई शिकायतें की थी और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मैती) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

कर्मचारियों और प्रशासन के बीच मतभेदों को दूर करने के मंच (फोरम)

8147. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्र कार्यालयों सहित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों/विभागों के नाम क्या है जिनमें कर्मचारियों और प्रशासन के बीच मतभेदों को दूर करने के लिये कोई मंच नही है ;

(ख) क्या इस प्रकार के मंच की स्थापना करने के लिये सभी विभागों को कोई अनुदेश जारी किये गये थे ; यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक दोषी कार्यालय/विभाग द्वारा इस बारे में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धातों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) : अक्टूबर, 1966 में भारत सरकार ने सरकार और इसके कर्मचारियों को सामान्य सभा के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ाने तथा उनमें अधिकतम सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक संयुक्त परामर्श तंत्र तथा अनिवार्य विवाचन (आरबिट्रेशन) की योजना लागू की थी (योजना की प्रति संलग्न है) [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-2192/78**] । उक्त योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय परिषद पहले ही स्थापित की जा चुकी है, जो नियमित रुप से कार्य कर रही है। राष्ट्रीय परिषद एक शीर्षस्थ निकाय है, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के सामान्यत: सभी कर्मचारी आ जाते है। संयुक्त परिषदों का अगला स्तर मंत्रालय/विभागीय स्तर है, जिसके अन्तर्गत सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित अलग-अलग मंत्रालय/विभाग के कर्मचारी आ जाते हैं। ऐसी 17 परिषदे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में स्थापित की गई हैं। परमाणु उर्जा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, औद्योगिक विकास मंत्रालय, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय तथा पुनर्वास विभाग में पांच और विभागीय परिषदें अभी स्थापित की जानी हैं । अगले निम्न स्तर पर कार्यालय परिषदें हैं, जो कार्यालयों तथा इसके कर्मचारियों से सम्बन्धित केवल स्थानीय समस्याओं पर ही कारंवाई करती है । लगभग ऐसी 1000 कार्यालय परिषदे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित की गई है । ऐसी और अधिक परिषदें क्रमिक रुप से स्थापित की जा रही हैं। मंत्रालयों/विभागों

को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें उनसे यह कहा गया है कि जहां पर उनको कार्यालय परिषदें नहीं हैं, वहां पर उनका गठन किया जाए तथा यह देखा जाय कि वे नियमित रुप से कार्य करती है। उनसे यह भी कहा गया है कि वे अपने अधीन विभिन्न अधीनस्त संगठनों में कार्यालय परिषदें स्थापित करने के उपाय करे। इन विभागीय कार्यालय परिषदों के स्थापित करने में देरों का कारण सामान्यत: कर्मचारियों को ऐसी मान्यता प्राप्त एसोसिएशनो का उपलब्ध न होना है जो स्वयं ही संयुक्त परिषदों मे भाग ले सकती हैं तथा उन परिषदों में कर्मचारी पक्ष का नामांकन कर सकती है।

गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा उन कोयला खानों में खुदाई कार्य जहां खुदाई कार्य नहीं हुआ हैं

8148. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन माइनिंग फैडरेशन ने सरकार से मांग की हैं कि जिन कोयला खानों पर अभी कार्य नहीं किया गया है उनका खुदाई कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

भारतीय सड़क परिवहन कांग्रेस के 38वें अधिवेशन में पारित किया गया संकल्प

8149. **श्री डी० अमात :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शांतिनिकेतन, कलकत्ता में हाल ही में आयोजित भारतीय सड़क परिवहन कांग्रेस के 38वें अधिवेशन में स्वीकृत हुए संकल्पों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : इंडियन रोड्स कांग्रेस से कलकता में दिसम्बर, 1977 में हुए अपने 38वे सत्र के बारे म अभी तक कोई प्रस्ताव या सिफारिश प्राप्त नहीं हुई हैं।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की उत्पादन क्षमता

8150. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि० की उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) वर्ष 1977-78 के लिए उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) क्या लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मैती) : (क) कम्पनी की अधिष्ठापित क्षमता प्रतिवर्ष 61.5 लाख वर्ग मीटर है।

(ख) तथा (ग) : कम्पनी ने 92.92 लाख वर्ग मीटर के लक्ष्य की तुलना में 92.11 लाख वर्ग मीटर का उत्पादन किया जो निर्धारित लक्ष्य का 99.12 प्रतिशत है।

स्कूल जानेवाले बच्चों को दिल्ली परिवहन निगम की बसों में चढनें में कठिनाई होना

8151. **श्री के० ए० राजन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे भारी भीड़भाड के कारण डी० टी० सी० की बसों तथा अन्य बसों मे चढने में कठिनाई महसुस करते है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्कूल जाने वाले बच्चों की सहायता करने के लिये डी० टी० सी० के प्राधिकारियों का विचार इन बच्चों को अगले गेट से बस में चढने और 'लेडीज स्पेशल्स' बसों में यात्रा करने की अनुमति देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) अधिकांशत: स्कूलों के खुलने तथा बन्द होने के समय, कार्यालयों के व्यस्ततम समय एक साथ नहीं होते और उस समय बस स्टापों पर यात्रियों की भीडभाड नहीं होती । दिल्ली परिवहन निगम के संवाहकों को बच्चों को बसों में चढाने में सहायता करने के लिये स्थायी निर्देश भी जारी कर दियें गए है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) आगे का दरवाजा यात्रियों को बाहर निकलने के लिए होता है, यदि बच्चों को आगे के दरवाजे से बस में चढने दिया जाए तो यात्रियों को बसों से उतरने में असुविधा होगी तथा बच्चों की जान का जोखिम भी होगा । सामान्यत: स्कूलों के खुलने तथा बन्द होने के समय महिलाओं के लिये विशेष फेरे नहीं लगाये जाते ।

बिजली की कमी, हडताल और तालाबन्दियों के कारण बडे, मध्यम स्तर के और लघु क्षेत्र के कारखानों को हानि

8152. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 के दौरान बडे, मध्यम स्तर के और लघु क्षेत्र के कारखानों में औद्योगिक उत्पादन में बिजली की कमी और हडतालों एवं तालाबन्दियों के कारण हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये अध्ययन किये गये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष में निर्बाध उत्पादन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा मैती) : (क) और (ख) : तकनीकी विकास का महानिदेशालय उद्योगवार सावधिक संवीक्षाएं करता है जो संगठित क्षेत्र के चुनेहुए उद्योगों के उत्पादन रूखों को बताती है पता लगाए गए अवरोधों में विद्युत की कमी तथा औद्योगिक संबंधों की समस्याएं सम्मिलित हैं । अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 तक की संवीक्षा से यह मालूम हुआ है कि औद्योगिक मशीनों के उत्पादन में कमी कुछ मुख्य उत्पादों को, कम क्रयादेश

5—141 L.S.S./ND/78

मिलने के कारण आई है, विद्युत तथा उससे संबन्धित उद्योग में कमी इलैक्टोलिटिक ग्रेड अल्युमिनियम की कम उपलब्धि के कारण आई है, परिवहन उपकरण उद्योग श्रम प्रबन्धक झगडों के कारण संकटग्रस्त रहा तथा आटो टायरों के उत्पादन में कमी एक कारखाने में मांग की कमी व तालाबंदी के कारण हुई किन्तु इनमें से किसी एक के कारक के कारण हुई उत्पादन की हानि का निश्चित रूप से अनुमान लगाना कठिन है। लघु क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन की सूचना देने की कोई औपचारिक पद्धति नहीं है और 1977-78 में इस क्षेत्र विद्युत में की कमी तथा हडतालों व तालाबंदियों के कारण हुई हानि का निर्धारण करने के लिए किसी प्रकार के अध्ययन नहीं किए गए है।

(ग) सरकार देश में एक उत्तम औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए प्रयास कर रही है और देश में थर्मल, तथा हाईडल संयंत्रों को स्थापना करके और विद्यमान विद्युत संयंत्रों से अधिकतम बिजली का जनित्रण करके विद्युत पैदा करने की क्षमता बढाने के लिए कदम उठाए जा रहे है।

नमक उपकर

8153. **श्री अनन्त दवे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक उद्योग से उनके मंत्रालय को एक ज्ञापन मिला है जिसमें यह उल्लेख है कि उसे नमक उद्योग के विकास के लिए नमक उपकर में से कोई भी राशि नहीं दी जा रही है ;

(ख) वर्ष 1977 में नमक ऊपकर के रुप में कितनी राशि जमा की गई ; और

(ग) क्या 10 एकड़ प्लाट वाले छोटे नमक उत्पादकों को नमक उपकर से सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मैती) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1976-77 में नमक उपकर के रुप में 1,12,59,213 के रुपये की राशि इकट्ठी की गई थी।

(ग) नमक उपकर में से सहायता देने के बारे में प्राप्त प्रस्ताव नमक के संबंधित क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड के सम्मुख रखे जाते हैं तथा बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर ही कार्रवाई की जाती हैं। सहायता केवल 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र रखने वाले नमक उद्योंगो को दी जाती है और 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र न रखने वाले उद्योंगो को केवल तभी सहायता दी जाती हैं यदि उनके पास नमक का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस हो।

रक्षा नीति

8154. **डा० रामजी सिंह : क्या रक्षा** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार की रक्षा नीति में और भूतपूर्व सरकार द्वारा अपनाई गई नीति में कोई अन्तर है ;

(ख) क्या सरकार से यह जाँच करने के लिए कोई समिति गठित की है कि सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्द्ध-सैनिक संगठन भविष्य में भी बने रहेंगी और या वे असैनिक अधिकारियों द्वारा असैनिक प्रशासन के कार्य के सम्बन्ध में नियुक्त किए जाएंगे ;

(ग) क्या सरकार का विचार सशस्त्र सेनाओं का उपयोग रचनात्मक तथा राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में करने का है न कि उनका उपयोग केवल दैवी प्रकोपों से निपटने का, जिसे भी इन सेनाओं ने सराहनीय ढंग से सम्पन्न किया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान तथा अन्य देशों में की जा रही तैयारियों को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में परमाणु बम बनाने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हमारी रक्षा नीति अपनी प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाये रखने की रही है और अब भी हमारी यही नीति है ।

(ख) खर्चे में कमी करने की दृष्टि से सचिवों की एक समिति विभिन्न अर्द्ध सैनिक संगठनों की संख्या शक्ति की समीक्षा कर रही है । इस संबंध में गृह मंत्री द्वारा लोक सभा में 22 फरवरी, 1978 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(ग) ऐसा करने कोई प्रस्ताव नहिं हैं क्योंकि यह उनकी संक्रियात्मक और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप नहिं होगा ।

(घ) जी नहीं ।

सेंट्रल साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेन्ट आर्गेनाइजेशन चण्डीगढ में रिक्त पद

8155. **श्री भगत राम :** क्या विज्ञान और औद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) सेन्ट्रल साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेंट आर्गेनाइजेशन, चण्डीगढ़ में कितने पद रिक्त पड़ हु तथा कब से;

(ख) रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण है ;

(ग) क्या कछ वर्तमान पदों का दर्जा बढाकर उनमें वर्तमान कर्मचारियों को पदोन्नत करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि, तो इसका औचित्य क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिनांक 1-4-73 को केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी० एस० आई० ओ०) चण्डीगढ में 208 पद रिक्त थे । वर्ष वार स्थिति इस प्रकार है:—

1971	2
1972	3
1973	4
1974	15
1975	35
1976	45
1977 } 1978 }	104
योग .	208

(ख) मितव्यय संबंध भारत सरकार के समय समय पर जारी किये गये आदेश, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भरने पर प्रतिबन्ध और निर्धारित भरती के नियमों को पालन करने संबंधी तरीकों से विलम्ब जैसे कुछ कारणों से पद रिक्त रखे गये है। इसके अतिरिक्त, बहुत से अराजपत्रित रिक्त पद (चतुर्थश्रेणी के अलावा) विभागीय कर्मचारियों द्वारा भरने के लिये सुरक्षित रखे गये है। रिक्त पदों में से पिच्चासी पदों को भारत सरकार के मितव्यय संबंधी निर्देशनों के आधार पर स्थगित रखा गया है। अन्य बहुत से रिक्त पदों को भरने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कार्यालय का स्थानान्तरण

8156. **श्री के० राममूर्ति :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कार्यालय को मद्रास से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय को रद्द करने के लिए तामिलनाडु सरकार के अभ्यावेदन पर कोई कारवाई की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो राज्य सरकार के अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : जब दूरदर्शन आकाशवाणी का अंग था तब दूरदर्शन केन्द्रों से सम्बन्धित प्रतिष्ठापन और अनुरक्षण संम्बन्धी कार्य की देखरेख आकाशवाणी के बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली स्थित चार प्रादेशिक इंजिनियरों के कार्यालयों द्वारा की जाती थी। 1-4-76 से दूरदर्शन के आकाशवाणी से अलग हो जाने के बाद, सरकार ने निर्णय लिया कि दूरदर्शन का अपना एक प्रादेशिक इंजीनियर का कार्यालय होना चाहिए।

मूल प्रस्ताव यह था कि आकाशवाणी के वर्तमान प्रादेशिक इंजीनियरों के जो कार्यालय है, उनमें से एक दूरदर्शन को हस्तांतरित कर दिया जाए। चूंकि दक्षिण क्षेत्र की तुलना म उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में वर्तमान और निर्माणाधीन रेडियो प्रतिष्ठापनों की संख्या काफी अधिक थी, अतः यह निर्णय लिया गया था कि मद्रास स्थित प्रादेशिक इंजीनियर के कार्यालय को दूरदर्शन को हस्तांतरित कर दिया जाए।

तथापि, बाद में मामलें पर पुनर्विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि आकाशवाणी के एक प्रादेशिक इंजीनियर के कार्यालय को दूरदर्शन को हस्तांतरित करने के बजाय, प्रत्येक श्रेणी के 25 प्रतिशत कर्मचारी प्रत्यक प्रादेशिक इंजीनियर के कार्यालय से वापस ले लिए जाए और इन कर्मचारियों से दूरदर्शन एक प्रादेशिक इंजीनियर का कार्यालय और दो उप-कार्यालय स्थापित करें।

तथापि, विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त होने पर मामले पर पुनर्विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि दूरदर्शन के लिए एक प्रादेशिक इंजीनियर के कार्यालय की स्थापना सम्बन्धी समुचे प्रश्न की नए सिरे से जांच की जाए।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलोर में असैनिक साज-सामान बनाने का लक्ष्य

8157. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलोर आदि में वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 में सैनिक साज-सामान बनाने का लक्ष्य किसी भी वर्ष पूरा नहीं हुआ ;

(ख) सरकार ने इसके उत्पादन में सुधार लाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की है ;

(ग) प्रत्येक वर्ष लक्ष्य प्राप्त न होने के लिए सरकार ने कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ;

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है;

(च) क्या यह सच है कि प्रत्येक वस्तु की मूल्य काफी बढ़ गया है ;

(छ) यदि हां, तो क्यों ; और

(ज) गत तीन वर्षों में समयोपरि भत्ते के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) हिदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 में सैनिक साज-सामान के निर्माण का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

(च) और (छ) : हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड श्रमिक उत्पादकता तथा तकनोकी क्षमता की बढ़ी हुई दक्षता के माध्यम से विभिन्न उत्पादनों की निर्माण लागत को कम करने का लगातार प्रयत्न कर रहा है। परन्तु देश और विदेशों में आम मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के कारण कुछ मदों की कुल लागत बढ़ती रही है।

(ज) गत तीन वर्षों में दिए गए समयोपरि भत्ते की राशी इस प्रकार है :—

वर्ष	दिया गया समयोपरि भत्ता (करोड रुपयों में)
1975–76	1.66
1976–77	2.01
1977–78	1.75 अनुमानित

Setting up of a Second BHEL unit in M.P.

8158. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh has demanded the setting up of one more unit of Bharat Heavy Electricals in the State ;

(b) if so, the action taken by the Central Government in this regard ;

(c) when a decision on the setting up of a new unit in the State will be taken ; and

(d) the difficulty experienced by Government in fulfilling this demand ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Smt. Abha Maiti) : (a) No, Sir.

(b) to (d) : Do not arise.

आपात-काल के दौरान सरकारी कर्मचारीयों की सेवानिवृत्ति

8159. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की पृथक् पृथक संख्या कितनी कितनी है जो आपतकाल के दौरान अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिये गये थे ;

(ख) क्या शाह आयोग ने यह सिफारिश की है कि इन कर्मचारियों के मामलों कि सरकार द्वारा जाँच की जानी चाहिये ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या शाह आयोग ने ऐसी इच्छा भी व्यक्त की है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से जांच पेनल स्थापित करने, किये गये गलत कामों को ठीक करने और जहां कार्यवाही अनुचित पायी जाये वहां उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कहे ; और

(ङ) यदि हां, तो यदि इस बारे मे कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) आपतकाल के दौरान 5,477 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्त किया गया था। इन कर्मचारियों के राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नही है।

(ख) जी हां श्रीमन्।

(ग) इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि शाह आयोग द्वारा मंत्रालय/विभागों को भेजे गये समयपूर्व सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदनों को पुनरिक्षा के प्रयोजन के लिए सरकार को प्रस्तुत अभ्यावेदनों के रूप में माना जाये और उन पर की गई कारवाई से आयोग को सूचित किया जाए।

(घ) जी हां, श्रीमन्।

(ङ) विभिन्न मंत्रालय और विभागों के लिए यह आवश्यक था कि वे अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और अपने प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन सरकारी क्षत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के संबंध में उपर्युक्त (ग) के अनुसार कारवाई करें।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के पदों का भरा जाना

8160. आर० एन० राकेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री कार्यालय तथा उससे सम्बद्ध और उसके अधीन कार्यालयों में प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद भरे गये और उन में से कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा भरे गये तथा प्रत्येक श्रेणी में मार्च, 1977 से कितने पद अनारक्षित किये गये और इसके क्या कारण है; और

(ख) पदों की प्रत्येक श्रेणी के पदों में कितनी विभागीय पदोन्नतियां हुई/कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया और इनमें अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों के लोगों को कितने पद प्राप्त हुए ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना निचे दी गई है :

पद की श्रेणी	भरे गए पदों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित पदों की संख्या	नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या	भर्ती की प्रणाली	टिप्पणी
चपरासी	1	..	..	सीधी भर्ती	
सलेक्शन ग्रेड दफ्तरी	1	1	..	पदोन्नति	
जमादार	1	1	1	पदोन्नति	
सलेक्शन ग्रेड चपरासी	4	1	1	पदोन्नति	
सलेक्शन ग्रेड स्वीपर	1	1	1	पदोन्नति	

किसी भी श्रेणी के पदों को अनारक्षित नहीं किया गया है। इस कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कोई सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

वर्ष में पहला रिक्त स्थान होने के कारण इस पद को अनारक्षित माना गया है। बाद के रिक्त स्थान को आरक्षित माना जाएगा। आरक्षण अगले तीन सालों तक जारी रहेगा। इस विषय पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशों के अनुसार यह किया गया है।

Charges Against the Management of the erstwhile 'Samachar Bharati'

8161. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Subhash Ahuja :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at the time of the merger of 'Samachar Bharati' into 'Samachar' its employees had submitted a memorandum in which there were serious charges of bungling against the management; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) No, Sir. However, a letter from the Samachar Bharati Karamchari Union, Maharashtra

Branch (Head Office: New Delhi) was received by the former Minister for Information and Broadcasting on 19th October, 1975 making certain charges about mis-management of financial affairs of the News Agency.

(b) No action in the matter was taken since the restructuring of news agencies was in the offing.

तारापुर आणविक संयंत्र में गिरफ्तार किया गया अमरीकी नागरिक

8162. **श्री ए० अशोकराज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत माह तारापुर आणविक संयंत्र मे अत्यन्त संदिग्ध परिस्थितियों में कोई अमरिकी नागरिक गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : 14 फरवरी, 1978 को सुरक्षा कर्मचारियों ने तारापुर आणविक संयंत्र के वर्जित क्षेत्र में एक अमरीकी राष्ट्रीक को देखा था। उसे स्थानिय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया जिन्होंने उसके खिलाफ बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 120-ख के अधीन अतिक्रमण का मामला दर्ज किया। उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट, पालघर (जिला थाना) के सामने पेश किया गया और उसे दोष सिद्ध करार दिया गया तथा दो दिन की साधारण कैद का दण्ड दिया गया। यह भी मालूम हुआ है कि जी० टी० अस्पताल, बंबई में उसके मानसरोग की मनश्चिकित्सा चल रही है।

एक उप-चुनाव में दयानन्द विश्वविद्यालय के उप-कुलपति द्वारा चुनाव-प्रचार

8163. **श्री इंद्र सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 31 जनवरी, 1978 के "ट्रिब्यून" में छपे इस समाचार की ओर गया है कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा) के उपकुलपति ने 29 जनवरी, 1978 को छाड़ा गांव में एक जन-सभा में भाषण दिया था, जिसका आयोजन राजनीतिक दलों में से एक ने हरियाणा के बादली चुनाव क्षेत्र के लिए 5 फरवरी, 1978 को हुए चुनाव के सिलसिले में आयोजन किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उप-कुलपति ने बादली निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनाव के लिए 3 फरवरी, 1978 और 4 फरवरी, 1978 को एक उम्मीदवार के लिए घर-घर प्रचार किया था ;

(ग) क्या यह सच है कि बादली निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव-प्रचार के लिए इस उप-कुलपति ने विश्वविद्यालय की स्टाफ कार का उपयोग किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस उप-कुलपति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"कोल फैमीन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

8164. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1978 के "हिंदुस्तान स्टैण्डर्ड" में "माइनर्स वार्न आफ कोल फमीन" शीर्षक समाचार में आई० एम० एफ० के चेअरमैन के कथित वक्तव्य की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिनांक 23-3-78 के "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित, इंडियन माइनिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के वक्तव्य में उठाए गए मुद्दे और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया नीचे दी गई है

इं० मा० फे० के अध्यक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे	सरकार की प्रतिक्रिया
1. अप्रयुक्त कोयला खानों और कोयलाधारी क्षेत्रों में काम करने के लिए सरकार प्राइवेट पार्टियों को अनुमति दे।	1. सरकार का इस समय कोयला खानों में प्राइवेट पार्टियों को कोयला निकालने की अनुमति देने का कोई विचार या प्रस्ताव नहीं है।
2. साफ्ट कोक को 9 मि० टन मांग की तुलना में उसका उत्पादन घटकर 3.5 मि० टन रह गया है।	2. 1977-78 के दौरान 4 मि० ट० की अनुमानित मांग की तुलना में साफ्ट कोक का उत्पादन लगभग 3 मि० टन हुआ।
3. इस्पात संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए अच्छे किस्म के कोयले का आयात करने का प्रस्ताव है।	3. इस्पात संयंत्रों द्वारा, कम राख वाला कोककर कोयला प्राप्त करने के लिए कोककर कोयले का आयात करना आवश्यक समझा गया है।
4. राष्ट्रीयकृत कोयला क्षेत्र जिस कुव्यवस्था का शिकार है उसे साफ करने के लिए यदि पूरा प्रयत्न न किया गया तो देश को कोयले के अकाल का सामना करना पड़ सकता है।	4. कोयले की मांग को पूरा करने लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। कोयले का अकाल पड़ने की कोई संभावना नहीं है।
5. राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति पारी उत्पादन 0.67 है जब कि टाटा ग्रुप की कोयला खानों में यह 3.32 है।	5. टाटा ग्रुप की कोयला खानों में वर्ष 1977 में हुआ प्रति व्यक्ति प्रति पारी उत्पादन 0.63 था जो कोल इंडिया लि० से कम है।

मध्य प्रदेश की कोयला खानों में मजदूरों की संख्या

8165. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की इस समय मध्य प्रदेश की कोयला खानों में कुल कितने मजदूर काम कर रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : कोल इण्डिया लिमिटेड के अधीन मध्य प्रदेश की कोयला खानों में काम कर रहे कामगारों की संख्या 89,575 है।

कोयला खानों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और उनके उत्पादन में कमी

8166. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के कर्मचारियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और कोयला खानों को नियंत्रण में लेने के बाद से कोयले के उत्पादन मे कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इनका राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व और 31 मार्च, 1978 को कर्मचारियों की संख्या श्रेणीवार कितनी थी तथा इनको नियंत्रण में लेने से पूर्व और 31 मार्च, 1978 को सोफ्टकोक का उत्पादन कितना था?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों मे 30-4-73 और 1-3-78 को काम कर रहे लोगों की संख्या इस प्रकार थी —

	30-4-73 को	1-3-78 को
अधिकारी	4234	8057
स्टाफ	516350	578675

कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पहले 1971-72 में और फिर 1977-78 में साफ्ट कोक का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन (मि० टन)
1971-72	2.46
1977-78	2.93 अनन्तिम

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्टाफ के अधिकांश लोग कोयले के उत्पादन में लगे हुए हैं और कोक तैयार करना कोलियरियों के बहुत से कार्यों में से केवल एक कार्य है।

प्रयोग में ला चुकी खानों के उन्नत तरीके का प्रयोग

8167. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस के विशेषज्ञों के सहयोग से किन कोयला खानों मे प्रयोग में ला चुकी खानों के उन्नत तरीके के प्रयोग को अपनाया जा रहा है तथा वे कहां स्थित हैं; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप कोयले के उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) शून्य।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिलिटरी फार्मों के सिविलियन कर्मचारियों को राशन की राशि का भुगतान न किया जाना

8168. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान "ओप काक्टस लो लिल्ली" क्षेत्र के अधीन रखे गये क्षेत्रों में रक्षा प्रतिष्ठानों में सेवा कर रहे सभी सिविलियन कर्मचारियों को राशन की राशि (फील्ड भत्ता) का भुगतान किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि मिलिटरी फार्मों के सिविलियन कर्मचारियों को नहीं दी गयी थी यद्यपि उन कर्मचारियों में से कोई कर्मचारी अपने प्रधान स्टेशन से बाहर नहीं गया था और इन क्षेत्रों के सभी रक्षा सिविलियन कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तें समान हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) मिलिटरी फार्मों के सिविलियन कर्मचारी मुफ्त राशन अथवा राशन के बदले में पैसा जैसी फील्ड सर्विस रियायतें पाने के पात्र नहीं हैं। लेकिन छम्ब में विशेष स्थिति तथा वहां रहने की कठिन परस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वहां कार्यरत मिलिटरी फार्मों के कर्मचारियों के लिए अपवाद किया गया था।

राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, नागपुर में रेत में जल साफ करने की परियोजना

8169. **श्री० के० सुर्यनारायण :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, नागपूर द्वारा रेत में धीरे धीरे जल साफ करने की परियोजना के क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है और देश में ऐसी परियोजनाएं कहां कहां क्रियान्वित की जा रही हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : डब्लू० एच० ओ० (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के अंतराष्ट्रीय संदर्भ केन्द्र, दी हेग के साथ रेत से धीरे धीरे जल साफ करने की परियोजना पर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (एन ई ई आर आई) नागपुर सहयोग कर रहा है। डिजाईन, निर्माण, जल साफ करने के यंत्र संचालन की मार्गदर्शिका विकसित करने संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। डब्लू० एच० ओ० की सहमति से चार गांवों में क्षेत्रीय प्रदर्शन एकक— हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और तामिलनाडु प्रत्येक में एक स्थापित करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को कुछ रियायत देने के लिए उड़ीसा को सहायता

8170. **श्री. के० प्रधानी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों को कुछ रियायत दी है जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोग बड़ी संख्या में हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या मानदंड रखा है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में उड़ीसा राज्य को गत दो वर्षों में दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पांचवी पंच वर्षीय योजना में, राज्यों की जन-जातीय क्षेत्रों की उप-योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रयत्नों में सहायता करने के लिए 1974--79 की पांच वर्ष की अवधी में राज्यों को 190 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल की गई थी।

(ख) किसी राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित करने में, अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या, जनजातीय बहुलता के भौगोलिक क्षेत्र और क्षेत्र के अपेक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखा गया है।

(ग) उड़ीसा राज्य को 1976–77 में 532 लाख रु० की और 1977–78 में 758 लाख रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई।

अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जन-जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दरें

8171. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1954 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति की मासिक दर सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए होस्टल में न रहने वाले छात्रों के लिए 27/– रुपये और होस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए 40/– रुपये तथा उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक अध्ययन के लिए होस्टल में न रहने वाले छात्रों के लिए 60/– रुपये और होस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए 75/– रुपये निर्धारित की गई थीं ;

(ख) क्या शैक्षिक वर्ष 1974–75 से ये संशोधित दरें सामान्य पाठ्यक्रम के लिए होस्टल में न रहने वाले छात्रों के लिए 40 रुपये और होस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए 70 रुपये तथा उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक अध्ययन के लिए क्रमशः 75/– रुपये और 125/– रुपये की गई है और तब से निर्वाह खर्च में चार गुना से अधिक की वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या 1954 को आधार वर्ष मानते हुए निर्वाह सूचकांक के साथ इन दरों को जोड़ते हुए इन्हें संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) : जी हां, श्रीमन्, दरें जैसी बताई गई थीं, 1974-75 में संशोधित की गई थी। 1954 को आधार वर्ष मानते हुए दरों को निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ते हुए उनमें और संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि होस्टल में रहने वाले मेडिकल तथा इंजीनियरिंग डिग्री के छात्रों की छात्रवृत्तियों की दरों में पहली जनवरी, 1978 से प्रतिमाह 60 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई है।

हुगली नदी पर दूसरे हावड़ा ब्रिज का निर्माण

8172. **श्री मुकुन्द मण्डल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हुगली नदी पर दूसरे हावड़ा ब्रिज के निर्माण के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की आशा है;

(ग) निर्माण कार्य में यदि कोई विलम्ब है तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) इसको पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) यह मुख्यतः एक राज्य परियोजना है क्योंकि पुल राज्य सड़क पर पड़ेगा, और निविदा निर्माण इत्यादि से संबंधित सभी मामले वे ही देख रहे हैं। परन्तु, राज्य सरकार की वित्तीय सहायता करने के लिए भारत सरकार इस परियोजना के लिए ऋण की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गई है। इस परियोजना के तीन भाग है : भाग 1 और भाग 2 (कलकत्ता और हावड़ा की और वायाडक्ट तथा पहुंचमार्ग) तथा भाग 3 (मुख्य पुल)। काम चालू हो जाने के बाद पुल के पांच वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) वायाडक्टों और पहुंचमार्गों का काम प्रगति में है; परन्तु इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विदेशी सलाहकारों द्वारा डिजाइन स्वीकृत हो जाने के बाद उक्त पुल का काम अभी शुरू किया जाना है। विलंब का कारण डिजाइन के विस्तृत सिद्धान्तों को अंतिम रूप देने के लिए निर्माण फर्म तथा सलाहकारों द्वारा अपेक्षित समय और कुछ संविदा संबंधी मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया समय है।

(घ) राज्य सरकार मामले की अत्यावश्यकता के प्रति पहलेही जागरूक है और वह निर्माण फर्म तथा सलाहकारों द्वारा डिजाइनों को अंतिम रूप दिलाने के लिए हर संभव कार्रवाई कर रही है।

मथुरा में प्रक्षालक (डिटरजेंट) संयंत्र

8173 **डा. विजय मंडल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड द्वारा मथुरा में स्थापित किए जा रहे सरकारी क्षेत्र के प्रथम प्रक्षालक (डिटरजेन्ट) संयंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि यह परियोजना छोड़ दी गई है;

(ग) यदि हां तो क्यों और किसके कहने पर; और

(घ) क्या इस परियोजना के छोड़े जाने तथा इसके छोड़ने के साथ ही कुछ गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा नया प्रक्षालक संयंत्र लगाये जाने के बीच कोई सम्पर्क है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती आभा माईति : (क) मैसर्स इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कं० लिमिटेड को राजस्थान, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में से किसी राज्य में (बाद में मथुरा, उत्तर प्रदेश में एकक स्थापित करने का निश्चय किया गया) प्रतिवर्ष 10,000 मी० टन की क्षमता के लिए सिन्थेटिक डिटरजेंट के उत्पादन हेतु नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए आशय पत्र सं० 15(10)/72/सी० एच-2, दिनांक 10 अक्तूबर, 1973 स्वीकृत किया गया था।

(ख) तथा (ग) : चूंकि कंपनी आशय-पत्र में निर्दिष्ट शर्तों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में असफल रही और उसने आशय-पत्र वापिस कर दिया। अतः उक्त आशय-पत्र 23-10-1976 को रद्द कर दिया गया।

(घ) इस प्रकार का कोई सम्पर्क सरकार की जानकारी में नहीं है।

Loss Iucurred by State Electricity Boards

†8174. **Shri Anant Ram Jaiswal :**
Shri O. V. Alagesan :
Shri Ahmed M. Patel :

Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Electricity Boards of the States are running in loss and if so, the loss suffered by the Electricity Boards of the States, State-wise during 1975-76, 1976-77 and 1977-78 and the estimated loss likely to be suffered in 1978-79; and

(b) the causes of the aforesaid loss ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Yes, Sir. A statement indicating the losses for the years 1975-76 and 1976-77 in respect of State Electricity Boards who have submitted the accounts and for 1977-78 (estimated) is attached herewith. An estimation in regard to losses in 1978-79 has not yet been made.

(b) The main reasons for the losses incurred are inadequate capacity utilization, power system losses, unsatisfactory inventory control and inadequate revision of tariffs to meet the total revenue expenditure of the Board which includes O & M expenditure, depreciation charges, interest on bonds and debentures and interest on institutional and State Government loans.

STATEMENT

Statement showing the losses in respect of various State Electricity Boards

(Figures in Rs. in crores)

Sl. No.	Name of the Board	During the year 1975-76			Accumulated upto 1975-76	During the year 1976-77			During the year 1977-78 (estimated)		
		Interest on Govt. loans	Depreciation	Total		Interest on Govt. loans	Depreciation	Total	Interest on Govt. loans	Depreciation	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Andhra Pradesh	1·2		1·2	38·1	..	N.A.	..	..	..	..+ (4·53)
2	Assam (upto 20-1-75)	2·8		2·8	35·1	..	N.A.	..	3·43		3·43
3	Bihar	*12·4		12·4	92·5	*12·3	..	12·3	15·28		15·28
4	Gujarat	8·3		8·3	33·0	..	N.A.	..	..		..+ (0·84)
5	Haryana	9·0		9·0	36·0	12·1	..	12·1	14·33	..	14·33
6	Himachal pradesh	2·5		2·5	9·9	2·7	0·6	3·3	3·10	1·10	4·20
7	Karnataka	..		..	..	..	..	..	5·80	..	5·80
8	Kerala	9·2		9·2	40·3	3·2	..	3·2	..	..	..+ (1·45)
9	Madhya Pradesh	..	..	..	..	..	..	..	8·53	..	8·53
10	Maharashtra	..	..	..	...	@11·4	..	11·4	..	..	..+ (30·89)
11	Meghalaya	Included in Assam							1·70	0·75	2·45
12	Orissa	3·8	..	3·8	15·7	4·8	..	4·8	7·35	..	7·35
13	Punjab	13·7	..	13·7	83·0	13·7	..	13·7	28·10	..	28·10
14	Rajasthan	1·6	..	1·6	N.A.	..	N.A.	..	12·11	..	12·11
15	Tamil Nadu	..	..	..	..	..	..	..	20·45	5·00	25·45
16	Uttar pradesh	34·5	1	34.5	80·5	43.5	..	48·5	74·61	..	74.61
17	West Bengal	2·9	..	2·9	30.4	8·0	..	8·0	8·46	..	8·46
	Total	101·9	..	101·9	494.5	111·7	0·6	112.3	203·25	6·85	172·39 (37.71)

NOTE :—* Includes Rs. 5·02 and Rs. 6·54 interest on Institutional loans.

@Includes Rs. 10·3 crores provisionally frozen.

+Figures in brackets represents surplus for the year.

"डानी" सिविल सेवा

8175. **श्री पायस टिर्की** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में "डानी" सिविल सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण और उनकी पदोन्नति करने का क्या मानदण्ड है;

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए क्या आयु सीमा है;

(ग) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण से छूट प्राप्त है, परन्तु भारतिय प्रशासनिक सेवा में जिनकी पदोन्नति कर दी गई है; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : दिल्ली और अण्डमान निकोबार दीप समूह सिविल सेवा के अधिकारियों को दिल्ली प्रशासन के अधीन विभिन्न पदों पर तैनात किया जाता है और ऐसा करते समय उनकी योग्यता तथा प्रशासन के विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है । डानी सिविल सेवा के सलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता को शासित करने वाली शर्तें दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार दीप समूह सिविल सेवा-नियम 1971 में निर्दिष्ट की गई है और राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की पदोन्नति भारतीय प्रशासन सेवा में करने के लिए उनकी पात्रता और आयु-सीमा को शासित करने वाली शर्तें भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति विनियम, 1955 में निर्दिष्ट है । जिस वर्ष में चयन समिति की बैठक होती है उस वर्ष की 1 जनवरी 52 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले व्यक्तीयों के बारे में सामान्यतः विचार नही कया जाता है ।

(ग) डानी सिविल सेवा के किसी अधिकारी को दिल्ली प्रशासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में उसका स्थानान्तरण किए जाने से छुट नही दी गई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जे. सी. बी. के भर्ती नियमों में असंगती

8176. **श्री मही लाल** :
श्री चतुर्भुज :
श्री उग्रसेन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे. सी. बी. के विभिन्न वर्गों/पदों के बारे में भर्ती नियमों में विद्यमान असंगति पर विचार विमर्श करने के लिए 28-3-1978 को ए. एफ. एच. क्यू. यूनियन के अध्यक्ष जे. सी. बी. के

कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ संबंधित प्राधिकारियों को मिले थे और उस पर संशोधन प्रस्तुत किए थे;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है और उसमें उठाये गए प्रत्यक मुद्दे के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त यूनियन के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए इन संशोधनों को अपनाने का है और यदि हां, तो कब तक ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : जे०सी०बी० में विभिन्न पदों के भर्ती नियमों में संशोधन करने के प्रश्न की जांच की जा रही है। भर्ती नियमों को अन्तिम रूप देते समय कर्मचारी पक्ष द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि संगठन की तकनीकी आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना कर्मचारियों को पदोन्नति के पर्याप्त आवसर उपलब्ध कराए जाएं।

यद्यपि भर्ती नियमों को सम्बधित प्राधिकारियों के परामर्श से यथा शिघ्र अन्तिमरूप दिए जाने के बारे में प्रयत्न किए जा रहे हैं फिर भी इसके लिए किसी तरह की समय सीमा बता पाना सम्भव नहीं है।

दृष्य और श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा दिये गये संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन

8177. **श्री. जार्ज मैथ्यू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दैनिक समाचार पत्रों और साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं के नाम क्या हैं जिन्हें 31 मार्च, 1978 को दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा भारत में संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन दिये गये हैं और वर्ष 1976 में उनकी प्रसारण संख्या कितनी थी ;

(ख) केरल से प्रकाशित उन दैनिक समाचारपत्रों और साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं के नाम और प्रकाशन स्थलो के नाम क्या हैं, जिन्हें दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय ने 1 जनवरी 1975 से संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन दिये हैं ; और

(ग) केरल से प्रकाशित उन दैनिक समाचारपत्रों और साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं के नाम क्या हैं, जिन्हें 1 जनवरी, 1975 के बाद संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन दिये गये और केरल से प्रकाशित उन दैनिक समाचारपत्रो और साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं के नाम क्या हैं जिनको 2 जनवरी, 1975 और 31 मार्च 1978 के अवधि में विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया, वर्ष 1978 में उनकी प्रसारण संख्या कितनी थी और इस अवधि के दौरान किन तारीखों को उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन दिये गये और किन तारीखों को उन्हें विज्ञापन दिया जाना बन्द किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) एक विवरण परिशिष्ट-1 पर है [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2193/78]

(ख) और (ग) : केरल से प्रकाशित होने वाली दैनिकों के सम्बन्ध मे अपेक्षित सूचना परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-3 में दी गयी है। [ंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०.-2193/78] केरल से प्रकाशित होने वाली किसी भी साप्ताहिक का उपयोग संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों के लिए नहीं किया गया।

टाटा मर्सीडीज ट्रकों के लिए पंजीकरण और उनकी सप्लाई

8178. श्री जगदीश प्रसाद माथूर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में राजस्थान मे विभिन्न डीलरों के यहां कितने टाटा मर्सीडीस ट्रकों के लिए नाम दर्ज कराये गये थे और कूल कितने ट्रक वास्तव में सप्लाई किये गय;

(ख) क्या राजस्थान के लिए नियत कोटा पर्याप्त है और यदि नही, तो क्या सरकार का मांग के अनुरुप कोटे मे वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इन ट्रकों की अभी तक चोर बाजारी हो रही है जिसके परिणाम-स्वरुप वास्तविक उपभोक्ताओं कों ये ट्रक उचित मुल्य पर नही मिल रहे है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) 1977-78 में राजस्थानमें विभिन्न डीलरों के पास 1368 टाटा गाड़ियों के लिए आर्डर बूक किए गए थ और 505 गाडियों रिलीज की गई थी।

(ख) तथा (ग) : वाणिज्यिक गाडियों की बिक्री तथा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए कोई कोटा निर्धारित नही किया जाता है। टाटा गाड़ियों के निर्माण में मुख्यरुप से बिजली की कठिनाइयों के कारण गिरावट आई है। "चोर बाजारी" की कोई विशिष्ट शिकायत नही मिली है। किन्तु निर्माता पहले-आओ पहले-पाओ के आधर पर सिविलीयन ग्राहकों को गाडियों की उपलब्धता का सुनिश्चय करने के लिए पद्धतियों को चला रहे है और राज्य परिवहन उपक्रमों और सरकारी विभागों की आवश्यकताओं कों उचित महत्व दे रहे है।

"प्लाट टू नैब बाबूजी फॉर मर्डर"

8179. श्री बलबीर सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय के जांच एजेंसी ने "करेंट" साप्ताहिक के दिनांक 10 सितम्बर, 1977 के अंक में "इंदिरा प्लाट टु नैब बाबुजी फॉर मर्डर" शीर्ष के अन्तर्गत लगायें गये कुछ गम्भीर आरोप के बारे म कोई निश्चित जांच कर ली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : संभवतः समाचार पत्र रिपोर्ट का सम्बन्ध भारत रक्षा नियम की धारा 36/43 के साथ पठित भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 25/24/59 और भारतीय दंड संहिता 120-ख के अधीन पोलिस स्टेशन विनय नगर, नई दिल्ली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट मामला संख्या 356 की जांच से है। मामले की अभी जांच की जा रही है।

रिजर्व सैनिक को पेंशन-दर में वृद्धि

8180. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रिजर्व सैनिक को पेंशन दर में और ओ० आर० रिजर्व सैनिक के लिए साधारण परिवार-पेंशन की दरों में वृद्धी करने के आदेश दिए है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रिजर्व सैनिकों और संसद सदस्यों ने सरकार से अनुरोध किया है कि ये आदेश 1952 से लागू किए जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने अब तक क्या निर्णय किया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी 1973 से सैनिक कर्मिकों की पेंशन की दरों में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप थल सेना के अन्य रैंक के उन सभी रिजर्विस्टों तथा नौसेना और वायुसेना के उनके समकक्ष रिर्जविस्टों, की पेंशन दरें भी बढ़ा कर 50 रुपए प्रति मास कर दी गई हैं, जो 1-1-73 को या इसके बाद पेंशन पर चले गए हैं।

(ख) इसी प्रकार इन रिर्जविस्टों के मामले में सामान्य परिवार पेंशन की दरें भी 1-1-73 से बढ़ा कर 44 रुपए प्रति मास कर दी गई है। संशोधित दरें उन अन्य रैंक के रिर्जविस्टों के परिवारों पर भी लागू होंगी जो 31 दिसंबर, 1972 को रिजर्व में थे, इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जीनकी उस तारीख को मृत्यु हो गयी और वे भी शामिल हैं जो 1-1-73 को अथवा उसके बाद रिजर्व में भेज दिए गए थे/भेज दिए जाए तथा रिजर्व में रहते हुए अथवा सेवा निवृत्ति के बाद रिर्जविस्ट पेंशन लेते हुए—असंबन्धित कारणों से जिनकी मृत्यु हो गयी हो/हो जाए।

उपर्युक्त रिर्जविस्ट पेंशन और सामान्य परिवार पेंशन के अतिरिक्त इस समय उन्हें 35 रुपए प्रति मास सामायिक राहत भी दी जाती है और इस प्रकार इनकी कुल रिर्जविस्ट पेंशन 85 रुपए और परिवार पेंशन 79 रुपए प्रति मास हो जाती है।

(ग) और (घ) : इस संबंध में व्यक्तिगत तथा संसद सदस्यों के माध्यम से प्रतिवदन प्राप्त हुए हैं की पैंशन की ये बढी हुई दरें उन कर्मिकों पर भी लागू होनी चाहिए जो 1-1-73 से पहले गर प्रभावी हो गए थे। लकिन चूंकि तृतिय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप सेना कर्मिकों के अन्य सभी वर्गों की पेंशन की दरें 1-1-73 से लागू की गई थी इसलिए रिर्जविस्टों के मामलों में इस प्रक्रिया को नहीं छोडा जा सकता है।

Amount paid by Song and Drama Division to Persons and Organisations for Cultural Programmes

8181. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of the persons or organisations which were given contracts by Song and Drama Division of the Ministry for performing cultural programmes and dramas at various places during the last three years; and

(b) the amount paid to such persons or organisations for the contract and the details thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा विक्रय डिपूओं की स्थापना

8182. : **श्री रामदेव सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा, राज्यवार, पिछड़े क्षेत्रों में कितने बिक्रय डिपू स्थापित किए जाएंगे तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रस्तावित विक्रय डिपु कब से काम आरम्भ करेंगें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) : राष्ट्रीय वस्त्र निगम (धारक कम्पनी) का मार्च, 1980 के अन्त तक विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में 50 और खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने का विचार है। इन बिक्री केन्द्रों का स्थान अभी निश्चित किया जाना है।

नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में परिवर्तन

8183. : **श्री चित्त बसू :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार नियंत्रित कपड़े के उत्पादन की विद्यमान योजना में कोई परिवर्तन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ये परिवर्तन किस प्रकार के है; और

(ग) ये परिवर्तन कब तक क्रियान्वित होंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) स (ग) : नियंत्रित कपड़ा योजना की इस समय जांच तथा समीक्षा की जा रही है ताकि सरकार इस योजना के भविष्य पर सुविचारित निर्णय लेने में समर्थ हो सके।

मणीपूर में लोक टक पनबिजली परियोजना

8184. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) मणिपूर में लोक टक पन बिजली परियोजना को कब मंजूर किया गया था;

(ख) इसको कब तक चालू किया जायेगा; और

(ग) इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) लोक टक जल विद्युत परियोजना चरण-एक (2 × 35 मेगावाट) फरवरी, 1970 में स्वीकृत की गई थी। परियोजना का चरण-दो जिसमें 35 मेगावाट की एक और यूनिट की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना है, मई, 1973 में स्वीकृत किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय जल विद्यूत निगम ने, जो कि परियोजना का कार्यन्वियन कर रहा है बताया है कि वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार परियोजना 1982 में चालू हो जाने की आशा है ।

(ग) जनवरी, 1975 में सुरंग के एक मुहाने पर मैथेन गैस का विस्फोट होने के कारण उस मुहान पर कार्य रोक देना पड़ा था तथा सुरंग बनाने के कार्य को इससे काफी धक्का लगा । अन्य कुछ पहूंचों में अप्रत्याशित तथा प्रतिकुल भु-वैज्ञानिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मुहाना 0 तथा 1 के बीच प्रवाही भूमि संबंधो परिस्थियों का सामना करना पड़ा । इन सभी कारणों से तथा भूभाग दुर्गम होने के फलस्वरुप इस परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ ।

कोककर और गैर-कोककर कोयला खानों में नियुक्तियां

8185. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोककर और गैर-कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करत समय उनमें बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या क्या है और उन्हें किन श्रेणियों में नियुक्त किया गया; और

(ग) क्या अधिकांश व्यक्तियों को हट्टे-कट्टे व्यक्तियों के लिए समय दर अनुत्पादक काम में लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा गार्डों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई जबकि उत्पादक खनिकों को निकाल दिया गया तथा इसके परिणामस्वरूप उनकी संख्या में कमी हुई; यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : कोककर और अकोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कामगारों की अनुचित नियुक्ति के लगभग 17000 मामलों का पता चला था जिनमें से अधिकांश उजरती दर पर नियुक्त किए गए व्यक्ति थे । इन लोगों को हटा दिया गया था ।

(ग) जहां भी अनुचित नियुक्ति के मामलों की पुष्टि हुई वहां से इस प्रकार नियुक्त लोगों को हटा दिया गया था । अतः उन्हे सुरक्षा गार्डों के पद पर रखने का प्रश्न ही नहो उठता।

आर्थिक संकटग्रस्त मिलों के लिए रूई की खरीद और बाजार में रूई की भरमार

8186. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम की वर्तमान नीति राष्ट्रीय कपड़ी निगम के अधीन आर्थिक संकट-ग्रस्त मिलों के लिए ही रूई की खरीद करने की है;

(ख) क्या यह सच है कि इन प्रतिबन्धों के कारण विभिन्न राज्यों की मंडियों में रूई की भरमार हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी तथ्य क्या है; और

(घ) बाजार में रूई की भरमार में कमी करने की सुनिश्चित करने के लिए किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है और लक्ष्य की प्राप्ति में ये उपाय कहां तक सहायक हुए है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) : भारतीय रूई निगम की भूमिका मूल्य समर्थन कार्यों, आयातित रूई का प्रणालीकरण तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की आवश्यकताओं के लिए खरीद करने तक ही सीमित है । यह कहना सही नहीं है कि इसके फलस्वरुप काफी मात्रा में रूई इकट्ठी हो गई है । वास्तव में रूई की उपज की मात्रा आवश्यकता से कम ही पाई गई है । पिछले वर्ष के मौसम में रूई के असामान्य ऊँचे मूल्यों की तुलना में रूई के चालू मौसम में कुल मिलाकर रूई का मूल्य-स्तर नीचा ही दिखाई पड़ता है । बाजार में अब तक बेची गई रूई के स्तर को पिछले वर्षों की इसी अवधि में बेची गई रूई के स्तर की तुलना की दृष्टि से देखते हुए यह बात सिद्ध नहीं होती कि बाजार में काफी रूई इकट्ठी हो गई है ।

मैसर्स कोलगेट पामोलिव द्वारा खेल-कूद सामान का निर्माण

8187. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल-कूद सामान का निर्माण लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों को अनुमति दी जाती है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय फर्म मसर्स कोलगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैसर्स बारक्राफ्ट इन्कारपोरिटेड जो उसकी सहायक फर्म है के सहयोग से जम्मू और काश्मीर में खेल-कूद के सामान का निर्माण करने के लिए दिया गया एक आवेदन विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारें में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति आभा माईति) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । किन्तु समग्र उत्पादन का निर्यात करने की वचनबद्धता वाले प्रस्तावों पर गुणावगुण के अनुसार विचार किया जा सकता है ।

(ग) सरकार को इस संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Construction of Houses for Officers of Defence Ministry

8188. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the proposal to construct new houses for the high ranking and other officers of his Ministry has since been approved;

(b) if so, the time by which the work in this regard is likely to be completed and the total number of quarters/flats proposed to be constructed in the first phase; and

(c) the additional amount earmarked for the purpose in the budget for 1978-79 ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) to (c): Construction of residential accommodation both for officers and other Ranks of the Armed

Forces is a continuous process. Government have approved a scheme for stepping up construction of family accommodation so as to eliminate the deficiencies within a period of 13 years from 1978-79. This programme envisages construction of nearly 20,000 units for officers and 1,12,000 for Other Ranks and is expected to cost Rs. 500/- crores, at present level. Works of the value of Rs. 50 crores will be sanctioned each year for a period of 10 years from 1978-79. All these works are expected to be completed by 1990-91. Funds for the projects will be made available out of the Defence Budget from year to year. Additional funds of approximately Rs. 6 crores required during 1978-79 will be catered for in the Budgetary review for 1978-79.

कृत्रिम रेशम के मूल्यों में वृद्धि

8189. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृत्रिम रेशम और नाईलोन के धागे के मूल्यों म हाल ही में हुई वृद्धि की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने कातने वालों से परामर्श करके कृत्रिम रेशम के धागे की बिक्री के लिए मूल्य निर्धारित किया था;

(घ) क्या कातने वाले उस समझौते को मान रहे हैं; और

(ङ) कातने वालों द्वारा पंजाब को कृत्रिम रेशम का कितना धागा सप्लाई किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मईति) : (क) हाल ही में विस्कोस फिलोमेन्ट धागे तथा नाईलोन फिलामन्ट धागे के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इन उद्योगों के मुख्य डेनियर की कीमतें वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित उचित मूल्यों से कम चल रही हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। वस्त्र आयुक्त ने विस्कोस तथा नाईलोन फिलामैन्ट धागे की उचित कीमतें लागत अध्ययन के आधार पर निर्धारित की हैं।

(घ) अभी तक कोई स्वैच्छिक करार कातने वालों तथा बुनकारों द्वारा नहीं किया गया है।

(ङ) कृत्रिम रेशम के धागे के राज्यवार संभरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु कातने वालों ने इस बात पुष्टि की है कि वे पहले की तरह माल भेज रहे है।

तिब्बिया कालेज की घटना

8190. **श्री रसीद मसूद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 18 मार्च 1978 को करौल बाग, नई दिल्ली, स्थित तिब्बिया कालेज की घटना की जानकारी है जिसमें 12 छात्र घायल हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) और (ख) : 18-3-78 का तिब्बिया कालेज के विद्यार्थीयों के दो दलों के बीच झगडे के फलस्वरूप 9 छात्रों तथा एक लेकचरर को चोटें आई। पुलिस स्टेशन ओरिजनल रोड में भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/323/325 के अन्तर्गत तारीख 18-3-78 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 236 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। साक्ष्य के आधार पर 20-3-78 को 11 विद्यार्थी तथा एक लेकचरर गिरफ्तार किए गए थे। मामले का चालान कर दिया गया है और नियमित मुकदमा चलाए जाने के लिए न्यायालय में शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इस बीच एस० डी० एम०, ओरिजनल रोड के न्यायालय में प्रत्येक दल के 14 व्यक्तियों के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/150 के अन्तर्गत एक शिकायत भी भजी गई थी। सभी को न्यायालय द्वारा सम्मन भेजे गए हैं और मुकदमा चल रहा है। पुलिस स्टेशन ओरिजनल रोड में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत 19-3-78 को एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 240 दर्ज किया गया था और जांच की जा रही है क्योंकि लेकचरारों में से एक की धमकी भी प्राप्त हुई थी।

दूरदर्शन के कर्मचारीयों के रिश्तेदारों की नैमित्तिक ठेके पर नियुक्ति

8191. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के स्थायी कर्मचारीयों के किसी भी रिश्तेदार को किसी पद पर नैमित्तिक ठेके के आधार पर नियुक्त नही किया जा सकता;

(ख) यदि हां तो इस प्रकार की रोक के लिये किन श्रेणियों के रिश्तेदारों को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां तो दूरदर्शन के किसी कर्मचारी का रिश्तेदार होने के कारण योग्य और पात्र अभ्यर्थियों पर रोक लगाने का क्या औचित्य है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) : दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा दूरदर्शन के कर्मचारियों के रिश्तेदारों को नैमित्तिक बुकिंग किये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है यदि इस प्रकार के व्यक्ति विशिष्ट पदों के लिए योग्य हों। तथापि, लम्बी अवधि को नैमित्तिक बुकिंग के लिए सभी आवेदकों से चयन के लिए उनका इन्टरव्यू लेने से पहले, यह बताने के लिए कहा जाता है कि उनका/उनके कोई रिश्तेदार सूचना और प्रसारण मंत्रालय या मंत्रालय के किसी माध्यम एकक में काम कर रहा/रहे है या नहीं। यद्पि 'रिस्ता' शब्द की कोई परिभाषा नही की गई है तो भी इसमें 'खून' या 'विवाह' का सम्बन्ध शामिल होगा परन्तु बहुत दूर का नही यदि ऐसा सम्बन्ध रखने वाले किसी आवेदक को दीर्घकालिक नैमत्यिक बुकिंग की सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो समूची सूची को दूरदर्शन महानिदेशक से स्वीकृत करवाना होता है ताकि भाई-भतीजावाद या पक्षपात की कोई गुंजाइश न रहे।

दूरदर्शन केन्द्र मद्रास से फिल्मों के प्रसारित होने पर खर्च की गई धनराशी

8192. **श्री जी० भूवाराहन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान मद्रास दूरदर्शन केन्द्र से फिल्मों के दिखाये जाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान तमिल फिल्मों पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) 15 अगस्त, 1975 से 31 मार्च, 1978 तक की अवधि के दौरान मद्रास दूरदर्शन केन्द्र द्वारा भाषायी फिल्मों के दिखाए जाने पर 11,08,000/- रु० की राशि खर्च की गई। (इस केन्द्र का उद्घाटन 15-8-1975 को हुआ था और इसने 3 वर्ष पूरे नहीं किए है)।

(ख) उपरि उल्लिखित राशि में से, 6,31,000 रुपए तमिल फिल्मों पर खर्च किए गए।

Compensation to Contractors Working in Coal Mines

8193. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Government propose to pay compensation to those colliery owners, whose properties were acquired after nationalisation of coal mines;

(b) whether at the time of nationalisation, an assurance was given that properties of small contractors working in coal mines would not be acquired but their properties were acquired by Government despite this assurance; and

(c) if so, whether compensation will also be paid to petty contractors working in coal mines ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) The Coal Nationalisation Acts specify the amounts to be paid to the owner of every nationalised coal mine. The specified amounts will be paid by the Commissioner of Payments appointed under the Act after meeting the claims filed against the owners under the Act.

(b) 'Mine' has been defined in the Nationalisation Act to include all lands, buildings, machinery, stores etc., in or adjacent to a mine and used for the purposes of the mine. Accordingly, all machinery equipment and other assets in or adjacent to a mine and used for the purpose of a mine have vested in the Government on nationalisation.

(c) The amount specified in the Acts includes the amounts due on account of all such assets as have vested in the Government.

National Textile Policy

8195. **Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have failed to prepare a national textile policy even after the lapse of a period of 30 years of independence;

(b) if so, the reasons therefor and the action taken by Government for preparing a national textile policy; and

(c) the manner in which Government propose to accord priority to mills, handloom, powerloom and khadi village (Gramodyog) industry in order to meet the demand of cloth in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) to (c) : It is not correct to say that there is no textile policy. Government have been following certain directions in regard to the textile sector, comprising of the organised and the handloom & powerloom sectors. The need, however,

has been expressed for clearly enunciating the jurisdiction of each sector and also the policy relating to use of cotton and non-cotton fibres. A beginning has been made in this respect by the announcement as part of the statement on Industrial Policy laid on the Table of the House on 23rd December, 1977, that no expansion in the weaving capacity in the organised mill and powerloom sectors will be allowed; the clothing needs of the masses will be progressively met through the development of handloom and khadi sectors.

पिछड़े क्षेत्रों के लिए रोजगार प्रधान योजना

8196. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक रोजगार प्रधान योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए किन किन क्षेत्रों को चुना गया है और क्या संघ राज्य क्षेत्र, अण्डमान तथा निकोबार द्विप को भी योजना में सम्मिलित किया गया है; यदि नही, तो उसके क्या कारण है ?

पंतप्रधान (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : 1978–83 की पंच वर्षीय योजना में, जिसे राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श करके अंतिम रूप दिया जाना है, राज्य स्तर पर क्षेत्रीय कार्यक्रमों में क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के उपायों की व्यवस्था की जाएगी। पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्र योजना, जिसे दस वर्ष की अवधि में प्राप्त किया जाएगा, विकास कार्यनीति की एक मुख्य विशेषता होगी। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ के शासित क्षेत्र की योजना इन्हीं उद्देश्यों को लेकर तैयार की जाएगी।

मद्रास मे आयोजित फिल्मोत्सव पर खर्च हुई धनराशि

8197. **डा वसंत कुमार पंडित :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 जनवरी से 17 जनवरी, 1978 के बीच मद्रास में आयोजित फिल्मोत्सव पर सरकार द्वारा कूल कितनी धनराशी खर्च की गई है ;

(ख) विदेशी फिल्मों को दिखाकर, विज्ञापनों और अन्य स्त्रोतों के माध्यम से उपर्युक्त राशी में स कितनी राशि वसूल की गई थी; और

(ग) समारोह के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा के व्यापार के लिये बातचीत हुई, सौदा हुआ और वस्तुत: प्राप्त की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सरकार ने "फिल्मोत्सव 78" पर इस रूप में सीधा कोई खर्च नहीं किया। समारोह का आयोजन फिल्म समारोह निदेशालय तथा फिल्म वित्त निगम द्वारा एक व्यवस्था के अन्तर्गत संयुक्त रूपसे किया गया था। जिसके

अनुसार सारा सीधा खर्चा फिल्म वित्त निगम द्वारा किया गया था। यह 20.57 लाख रुपये आया। सरकार की सहायता विशिष्ट व्यक्तियों की सेवाएं उपलब्ध करने की पर्यवेक्षक भूमिका तथा सामान्य प्रशासनिक सहायता तक सीमित थी।

(ख) विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन से बिक्री प्राप्तियों (24.44 लाख रूपए), विज्ञापनों के माध्यम से (0.89 लाख रुपये) तथा भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन से बिक्री प्राप्तियों (0.49 लाख रू०) के रूप में कुल मिला कर 25.82 लाख रूपए वसूल हुए थे।

(ग) भारतीय फिचर फिल्मों के निर्यात के लिए भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा 71.08 लाख रूपये को विदेशी मुद्रा के व्यापार के बारे में बातचित की गई थी जिसमें से 31.22 लाख रूपए की राशी का सौदा हुआ और वस्तुत: प्राप्त की गई। इसी प्रकार, इस सम्बन्ध में अन्य संगठनों द्वारा 0.50 लाख रूपए का सौदा किया गया।

Development Schemes for Himachal Pradesh in Sixth Plan

8198. **Shri Balak Ram :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate development schemes under the Sixth Five Year Plan, independent of those framed for the plains, for the development of hill areas of the country from geographical and climatic point of view; and

(b) if so, the main features thereof and how and to what extent the Himachal Pradesh will be benefitted as a result of these schemes ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) Sub-plans will be prepared under the State Plans for hilly regions of the country, with special reference to agro-climatic conditions, terrain, natural resources and socio-cultural features. In the case of Himachal Pradesh, which is predominantly hilly, the State Plan as a whole is designed to meet their special requirements, and the Plan is supported by Central Assistance on a very liberal scale.

Employees in Central Translation Bureau

8199. **Shri Ugrasen :**

Shri Mahi Lal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Technical Assistants, Translators, Translation Officers, Assistant Directors and other officers working in the Central Translation Bureau of the Department of Official Language;

(b) the number of persons out of them belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes post-wise and category-wise and whether their reserved quota of posts has been filled;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether some of the officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been representing for promotion since July, 1976; and

(e) if so, the action taken on the said representations under the Ministry's Office Memorandum No. 27/2/71-SCT dated 27-11-1972 and Office Memorandum No. 10/41/73-SCT dated 20-7-1974 and the steps being taken by the Government to fill the reserved quota in respect of each category?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) to (c) : The information is attached.

(d) and (e) : Yes, Sir. The representation was duly considered but the case of the applicant, in accordance with the recruitment rules, was not in the purview of selection zone. The Government is making every effort to fill up the quota reserved for each Class in accordance with the policy of the Government.

Statement

Class	Deisgnation	No. of Posts	Officers/Staff of SC/ST	Remarks
Class I	. Director	1		No quota is prescribed
Class I	. Jt. Director	1		No quota is prescribed
Class I	. Dy. Director	2		No quota is prescribed
Class I	Asstt. Director	4		One post is reserved but at the time of selection no SC/ST candidate came within the purview of the selection zone, hence the post was deserved
Class II (Gazetted)	Administrative Officer .	1		No quota is prescr bed
Class II (Gazetted)	Transplation Officer	14	3 Scheduled Castes	According to quota
a ss II . (Non-Gazetted)	. Seinor Translator .	36	5 Scheduled Castes	According to quota
Class III .	. Technical Asstt. .	8	..	Suitable candidates were not available for the reserved post hence the quota could not be completed.

Road Accidents in Delhi

8200. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of fatal road accidents is increasing in the Capital; and

(b) whether the cause of these accidents is that defective vehicles ply on the roads and the drivers lack physical soundness?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) 178 cases of fatal road accidents were reported from 1-1-1978 to 31-3-78 as compared to 165 during the corresponding period in 1977.

(b) Sometimes accidents are caused because of defective vehicles and lack of physical fitness of the drivers. However, the main reasons for traffic accidents are:—Phenomenal increase in the number of motor vehicles and slow moving vehicles, heterogeneous modes of transport and reckless and negligent driving.

रुग्ण एककों को बन्द करना अथवा बेचना

8201. **श्री पी० के० कोडीयन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने अधिग्रहण में लिए गये ऐसे कुछ रूग्ण एककों, जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, को बन्द करने अथवा उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र को बेचनेका कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या हैं :

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) : उद्योग (विकास तथा विनियमन), अधिनियम, 1951 में निहित कुछ विधानों के अनुसार केन्द्र सरकार को ओद्यौगिक उपक्रम जिसका उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन प्रबंध अधिग्रहण कर लिया गया है, के "प्राधिकृत व्यक्ति" से रिपोर्ट मांगने का अधिकार है । प्राधिकृत व्यक्ति से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ठ है कि रूग्ण ओद्यौगिक उपक्रम का स्वामित्व ग्रहण करने वाली कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा अन्य हालत ऐसे है कि वह चालू परिसम्पत्तियों स वर्तमान दायित्वो की पूरा कर सकने, की स्थिति में नहीं है तो यदि आम जनहित में सरकार यह आवश्यक समझे तो वह उक्त ओद्यौगिक उपक्रम को चालू कम्पनी के रूप में बेचने का निर्णय ले सकती है । किन्तु किसी विशेष ओद्यौगिक उपक्रम, जिसका प्रबंध उद्योग (विकास तथा विनिमय) अधिनियम 1951 के अधिन अधिग्रहण कर लिया गया है, के सम्बन्ध में फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन नहीं है ।

लाइसेंस और आशय-पत्र के लिए विचाराधीन आवेदन और प्रक्रिया का सरलीकरण

8202. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1978 के अन्त तक लाइससो ओर आशय-पत्रों के लिए कितने आवेदन-पत्रों विचाराधीन थे ;

(ख) मध्य प्रदेश के ऐसे कितने आवेदन-पत्र विचाराधिन हैं ;

(ग) क्या उक्त आवेदनो के शीघ्र निपटान के उद्देश्य से वर्तमान प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) नये उपक्रमों की स्थापना करने, पर्याप्त विस्तार करने तथा/अथवा नई वस्तुएं बनाने के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु 208 आवेदन 31-3-1978 को निपटान के लिए शेष थे ।

(ख) 31-3-1978 को मध्य प्रदेश से प्राप्त 10 आवेदन पत्र निपटान के लिए शेष थे ।

(ग) लाइसेंसीकरण तथा उससे सम्बन्धित प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है ताकि अपेक्षित स्वीकृतियों के जारी करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके । विभिन्न अनापत्तियों को शीघ्र जारी किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमेंट एककों के लिए राजसहायता

8203. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट एककों के लिए राजसहायता देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती (आभा माईति) : (क) से (ख) : सरकार ने सीमेंट उद्योग की व्यापक समीक्षा करने के लिये एक उच्च स्तरिय समिति नियुक्त की है । समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ लागत ढांचे तथा कारखान से चलते समय के सीमेंट के मूल्यों का नये सिरे से अध्ययन करना शामिल है । सरकार कैप्टिव विद्युत संयत्रों आदि के लिये सीमेंट एककों को राजसहायता देने पर भी विचार कर रही है ।

बिजली परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए समिति की स्थापना

8204. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आयोजित राज्यों के बिजली मंत्रियों और बिजली बोर्डों के हाल के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि देश भर मे बिजली परियोजनाओं के क्रियान्वयन को समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचंद्रन) : (क) और (ख) : यह निर्णय किया गया था कि विद्युत् परियोजनाओं की प्रगति को कारगर मानोटरिंग करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक उपयुक्त संगठन को स्थापना की जाए । राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि इसके लिए मौजदा व्यवस्था को वे समीक्षा करें और जहां भी आवश्यक हो संगठन को सशक्त बनाएं ।

विद्युत् मंत्रियों के सम्मेलन को एक स्थायी समिति बनाने का निर्णय भी किया गया था । यह समिति गठित की जा चुकी है ।

Maharashtra Legislation Regarding Un-Employment Allowance Scheme

8205. **Shri Keshavroa Dhondge :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state

(a) whether the Maharashtra Government have enacted a legislation relating to unemployment allowance scheme and submitted it to the Central Government for their approval;

(b) the reasons for which the Central Government have not given approval thereto;

(c) whether there is great discontentment prevailing among the people and the Maharashtra Government; and

(d) the reaction of the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) The Maharashtra Employment Guarantee Bill, 1977, has been received for obtaining the assent of the President.

(b) The provisions of the Bill, notably those regarding the payment of an unemployment dole, have policy implications, which require careful consideration.

(c) and (d) : The Government of India have no reason to conclude that great discontent is prevailing among the people of Maharashtra. The State Government have, however, asked for early assent to the Bill, which is receiving the consideration of the Government of India.

Control on Newspapers Publishing inciting and Sensational News

8206. **Shri Mritunjay Prasad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the provisions made for exercising control over such newspapers which publish inciting and sensational news having no basis or very feeble basis and tending to create animosity among certain groups of people, unrest in the society and hurt the relegious sentiments of the people or aiming at spreading false rumours and also over the officers, proprietors, editors and correspondents etc. of such newspapers and if need be, for punishing them or for having punishment awarded to them through courts of law etc.; and

(b) the manner in which the misuse of the freedom of the press is checked ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) There are provisions in the Indian Penal Code and Criminal Procedure Code to deal with newspapers indulging in these offences. Sections 124A, 153A, 163B and 295A of Indian Penal Code and Sections 95 and 455 of Criminal Procedure Code deal with the problem of publications which publish sensational or inciting news having no basis or very feeble basis and tend to create animosity among groups of people. Section 95 of Criminal Procedure Code, enables the State Governments to forfeit copies of the publications and issue of search warrants for seizure of copies so declared to be forfeited. Section 108 of Criminal Procedure Code enables demand of security for good behaviour from persons disseminating sensational news etc. The executive power in this regard is exercised by the State Governments and Union Territory Administrations through their enforcement agencies.

(b) While the penal provisions available are made use of by the State Governments, the proposed Press Council will exercise its moral authority over the press to check such tendencies.

कपड़ा मिलों को कोयला और बिजलि का कोटा

8207. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग को दिये गये कोयले के कोटे में 40 प्रतिशत कमी कर दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कपड़ा उद्योग को विद्युत शक्ति की सप्लाई भी अनियमित है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह भी सच नहीं है कि टैक्सटाइलस मिल्स एसोसिएसन ने एक प्रेस रिलीज म 40 प्रतिशत की कटोती की शिकायत कीं है ;

(घ) क्या सरकार ने शिकायत की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : प्रश्न से सम्बन्धित जानकारी रेलवे तथा उर्जा मंत्रालयों से एकत्र की गई है जो निम्नलिखित रुप में है :

(क) तथा (ख) : जी नहीं।

(ग) ऐसी कोई प्रैस रिलीज इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं है।

(घ) तथा (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार और उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

8208. **श्री अधन सिंह ठाकूर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिलावार संख्या कितनी है जिनको बिहार और उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार से पेंशन मिल रही हैं ;

(ख) उपरोक्त राज्यों में उन व्यक्तियों की जिलावार संख्या कितनी है जिनकी पेंशन रोक दी गई है और उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इन राज्यों से पेंशन के लिए कितने आवेदन पत्र अभी तक विचाराधीन हैं और उन के बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल): (क) तथा (ख) : आकड़े इस प्रकार है :--

राज्य का नाम	स्वीकृत मामलों की संख्या	रोके गये/निलम्बित मामलों की संख्या
बिहार	19,126	223
उत्तर प्रदेश	18,096	307

जिलावार ब्योरा सलग्न विवरणों में दिय गये हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० – 214/78]

पेंशनें उन मामलों में निलिम्बत/निरस्त की गई हैं ।जनमें बाद में यह पता चला कि आवेदक पेंशन के लिए पात्र नहीं है क्योंकि :—

(1) उन्होंने न्यूनतम निर्धारित राजनैतिक यातना नहीं भोगी है, अथवा

(2) उनके द्वारा भोगी गई यातना का संबंध स्वतंत्रता आन्दोलन से नहीं है, अथवा

(3) उनकी आय निर्धारित न्यूनतम आय से अधिक है।

(ग) कोई भी आवेदन पत्र प्रारम्भिक पड़ताल के लिये शेष नहीं है । किन्तु बिहार में 12060 तथा उत्तर प्रदेश में 1536 मामले दाखिल दफ्तर किये गये क्योंकि संबंधित स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। यदि इन मामलों में कभी अपेक्षित साक्ष्य/सूचना प्राप्त हुई तो मामलों पर पुनर्विचार किया जाएगा और पेंशन के पात्र स्वतंत्रता सनानियों के मामलों में पेंशन स्वीकार की जाएगी।

दिल्ली ओर महाराष्ट्र में कोयले की मात्रा कम रह जाने के कारण तापीय बिजली एककों में संकट

8209 **श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 26 मार्च, 1978 के 'इकोनमिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कोयले की मात्रा बहुत कम रह जाने के परिणामस्वरूप दिल्ली और महाराष्ट्र के तापीय बिजली उत्पादन संयंत्रों में संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) प्रभावित तापीय बिजली संयंत्रों को कोयला जल्दी पहुंचा कर इसके भंडार को बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये है ; और

(ग) क्या तापीय बिजली एककों में संकट का कारण प्रबंधक-वर्ग द्वारा संकट बचाने के लिये समय पर कार्यवाही न करना है । यदि हां, तो इस भूल के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र और दिल्ली मे ताप विद्युत् केन्द्रों में कोयले की कमी के बारे में रिपोर्टें कुछ समाचार पत्रों में छपी है ।

(ख) प्रभावित ताप विद्युत केन्द्रों को अतिरिक्त मात्रा में कोयला सप्लाई करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए थे अर्थात् (1) संबंधित विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले के अतिरिक्त रैक भेजे गए थे, (2) रेलवे/कोयला सप्लाई करने वाली कम्पनियों से कहा गया था कि प्रभावित ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की अतिरिक्त मात्रा वे प्राथमिकता के आधार पर भेजें (3) महाराष्ट्र के ताप विद्युत केन्द्रों के लिए पेंच और सिंगरोली कोयला खानों से तदर्थ लिंकों की व्यवस्था की गई थी और (4) प्रभावित ताप विद्युत केन्द्रों को कोयला ले जाने के लिए अतिरिक्त वेगन उपलब्ध कराने के लिए रेलवे से अनुरोध किया गया था ।

(ग) महाराष्ट्र और दिल्ली के विद्युत केन्द्रो मे कोयले का स्टाक समाप्त होने के अनेक कारण थे और इसका आरोप विद्युत केन्द्रो के प्रबन्धकों को असफलता पर नहीं लगाया जा सकता । अत: चूक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में खराब डबलरोटी की बिक्री

8210 : श्री गोविन्द मुंडा : क्या उद्योग मंत्री यस बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बेकरियों की खराब डबलरोटी, जो कि मनुष्यों के खाने लायक नहीं हैं, बेची जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे मे कोई जांच करने और इस प्रकार के माल की बिक्री को तत्काल रोकने का है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति):(क) और (ख): सरकार को दिल्ली में खराब डबलरोटी के बेचे जाने के बारे में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डिप्टी सेक्रेटरी के ग्रेड में सी० एस० एस० अधिकारियों की नियुक्ति

8211. श्री गंगा सिंह : क्या गृह मंत्री यह बनान की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि आई० ई० एस०/आई० एस० एस० अधिकारियों की संवर्ग पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति मंत्रालयों से बिना परामर्श किये की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सी० एस० एस० अधिकारियों की नियुक्ति डिप्टी सेक्रेटरी के ग्रेड, में जिनके लिए सचिवालय में पद संवर्ग पद है; भरने के लिए वही तरीका न अपनाये जाने के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील) :(क) भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड I/ग्रेड II अधिकारियों को इन सेवाओं के संवर्ग में सम्मिलित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पदों पर नियुक्तयां संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के परामर्श से की जाती हैं। इन सेवाओं के ग्रेड/III ग्रेड IV के अधिकारियों के मामलें में उन्हें संवर्ग पदों के लिए सीधा नियुक्त किया जाता है ।

(ख) सचिवालय म उप सचिव के पद किसी भी सेवा के लिए संवर्ग पद नहीं है । इसलिए के० स० से० के अधिकारियों का अपने ही संवर्ग पदों मे नियुक्त किए गए भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों की तरह उप सचिव के पदों में नामांकन किए जाने का प्रश्न नही उठता ।

Corruption Charges Against Employees

8212. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of Central Government employees against whom charges of corruption were received during the last three years and the number of employees in whose cases enquiries were conducted and the number thereof found guilty as also the number of those punished and the number of employees exonerated indicating the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Funds Sanctioned by REC for Rural Electrification Schemes of Udaipur (Rajasthan)

†8213. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number of electrification schemes approved and funds provided for Udaipur (Rajasthan) by the Rural Electrification Corporation during the past two years; and

(b) the number of schemes of electrification of the State under consideration of the Central Government ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) During 1976-77 and 1977-78 the Corporation approved 7 rural electrification schemes for district Udaipur in Rajasthan at a total loan assistance of Rs. 2.71 crores.

(b) 8 schemes involving a loan outlay of Rs. 2.66 crores sponsored by the Rajasthan State Electricity Board were pending consideration with the Corporation on 31st March, 1978.

बंगलादेश से सीमा पार करके त्रिपूरा आकर सशस्त्र गिरोहों द्वारा डाली जाने वाली डकैतियों और ढोर उठाये जाने की घटनाओं में वृद्धि

8214. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेश से सीमा पार करके त्रिपूरा आकर सशस्त्र गिरोहों द्वारा डाली जाने वाली डकैतियों और ढोर उठाये जाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदी हाँ, तो क्या इस समस्या से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल अपर्याप्त पाया गया है;

(ग) इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या इस संबंध में सेना को सतर्क कर दिया गया है; और

(ङ) क्या मंत्रालय ने यह मामला बंगला देश सरकार के पास उठाया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ख) । त्रिपुरा-बंगला देश सीमा पर सीमावर्ती डकैतियों तथा पशु चोरियों में कोई खास वृद्धि नही हुई है और सीमा सुरक्षा बल इस समस्या से पर्याप्त रुप से निपट रहा है। सीमा सुरक्षा बल प्राधिकारियों ने सीमावर्ती अपराध को रोकने के प्रबन्धों को अधिक कारगर बनाने के आशय से हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्रीसे सीमावर्ती अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तैनातगी की समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया है।

(घ) और (ङ) : जी नहीं, श्रीमान्।

Training Institutes run in Hindi

†8215. **Shri Ram Prasad Deshmukh** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the total number of training institutes in his Ministry and its attached and subordinate offices;

(b) the total number of courses being run therein;

(c) the number of courses out of them run in Hindi medium and in English medium, separately; and

(d) the steps taken by Government to run in Hindi medium the courses which are being run in English medium at present?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) There are four Thermal Power Personnel Training Institutes located at Delhi, Nagpur, Durgapur and Neyveli. In addition, there is a Power System Training Institute and a Hot Line Training Centre both located at Bangalore.

(b) Two courses,—one for engineering officers and the other for operators are being conducted at Delhi and Neyveli Institutes. At Durgapur Institute, only the operators' course is being conducted and at Nagpur presently the engineering officers course is being conducted.

At the Power System Training Institute, the following six courses are being conducted:

(i) 10-weeks course on Power System Operation.

(ii) 6-weeks Specialist course on Power System Operation.

(iii) 8-weeks course on Computer Application to Power System.

(iv) 4-weeks course on Power System Protection and Instrumentation.

(v) 4-weeks course on Communication in Power System.

(vi) 2-weeks course on Power and tele-communication coordination.

At the Hot Line Training Centre, training is imparted in Hot Line Maintenance Techniques.

(c) All the courses are presently being conducted in English.

(d) Since the courses being conducted are of highly technical in nature, there are no plans at present to run these courses in Hindi.

दियासलाई के कारखानों को बन्द किया जाना

8216. **श्री अहमद हुसैन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय दियासलाई के वर्तमान कारखानों को बंद करन और उनके स्वामित्व को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और उद्योग मंत्री ने हाल में सार्वजनिक सभा में इस आशय की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और किस वैकल्पिक तरीके से वर्तमान कंपनियों को बन्द किया जायेगा और कब तक ऐसा किया जायेगा तथा क्या कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायगी ; और

(ग) देश में दियासलाई के कारखानों की संख्या क्या है तथा उनमें से कितना का स्वामित्व तथा प्रबंध विदेशी कंपनियों के पास है तथा उनमें से कितनों को बंद किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : देश में दियासलाई के 3066 छोटे पैमाने के एकक हैं जिनमें खादी तथा सहकारी एकक शामिल है, य सभी भारतीयों के स्वामित्व में है इसके अतिरिक्त मसर्स

विमको लिमिटेड, बम्बई, जो बड़े क्षेत्र में एकमात्र कंपनी है, उसमें 5 एकक दियासलाई का उत्पादन कर रहे हैं। उद्योग मंत्री ने हाल ही में कोयम्बटर में एक सार्वजनिक भाषण में मैसर्स विमको लिमिटेड के शीर्षस्थ प्रबंधकों के साथ हुई उस वार्ता का उल्लेख किया था जिसमें उन्होंने प्रबन्धकों से आगामी तीन वर्षों की अवधि में उनके दियासलाई के उत्पादन का प्रावस्थाबद्ध रूप विविधीकरण करने के बारे में कहा था। इन कम्पनियों के साथ इसकी कार्यविधि पर विचार किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि अति अल्प स्थानान्तरण हो और विद्यमान रोजगार में लगे लोगों पर इसका प्रभाव न पड़े।

उड़ीसा में नक्सलवादियों द्वारा पुनः दल बनाना

8217. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि नक्सलवादी उड़ीसा में पुनः अपने दल बना रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गृह विभाग द्वारा जारी किये गये पुलिस संबंधी श्वेत-पत्र में बताया गया है कि नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि का कारण यह है कि हाल ही में वे बहुत बड़ी संख्या में जेलों से छोड़े गये हैं और वे विशेषकर किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों में सक्रिय हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ग) : उड़ीसा सरकार के अनुसार, पुलिस के बारे में राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए श्वेत पत्र से लिया गया संगत अंश निम्नानुसार है :—

> "सरकार की नीति के अनुसरण में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के मुख्य कार्यकर्त्ताओं की बड़ी संख्या में रिहाई के बाद, साम्यवादी दल (मा० ले०) कार्यकर्त्ताओं ने स्वयं को फिर से संगठित और समूहबद्ध करना आरम्भ कर दिया। साम्यवादी दल (मा० ले०) कार्यकर्त्ता विशेषकर किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों में सक्रिय रहे हैं। ऐसी कइ घटनाएं ध्यान में आईं जिनमें उन्होंने फसल में साझेदारों और आदिवासियों को उन्हीं के द्वारा जोती गई भूमि अथवा पूर्वजों (से) अवैध रूप में अंतरिम भूमि पर से जबरदस्ती फसल काटने के लिए उकसाया। किन्तु, इस तरह उकसाने के कारण और व्यवस्था संबंधी कोई गम्भीर समस्या उत्पन्न नहीं हुई हालांकि कुछ समय तक तनाव बना रहा। पुलिस सतर्कता बरत रही है।"

राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि नक्सलवादियों की गतिविधियों के कारण अभी तक कानून और व्यवस्था संबंधी कोई गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं हुई है।

Alternative Jobs for Employees rendered unemployed from Sambhar Lake

8218. **Shri Nathu Singh :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that production of salt from Sambhar Lake (Rajasthan) was discontinued one year ago;

(b) if so, the steps being taken by Government to solve this problem;

(c) the number of employees rendered unemployed there; and

(d) whether Government have any scheme to provide them alternative jobs?

The Minister of State in the Minister of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) Production of salt in the Sambhar Lake was discontinued in 1976. However about 10,000 tonnes of salt is expected to be produced during the current year.

(b) The height of Gudha-Jhapog Dam is being raised by 10′ to protect the Salt Works from flood waters. In addition the Company is engaged in raising the embankments of some of its kyars, as a second line of protection from flood waters and to segregate area for manufacture of salt.

(c) No member of the staff has been retrenched.

(d) Does not arise.

कागज का अभूतपूर्व संकट

8219. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तक मुद्रण के क्षेत्र में विशेषज्ञों ने यह आशंका व्यक्त की है कि इस वर्ष कागज का अभूतपूर्व संकट होगा;

(ख) यदि हां, तो देश में कागज की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) कागज की कृत्रिम कमी उत्पन्न करने वाले तथा इसे मनमाने मूल्यों पर बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तथा देश में कागज उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) प्रकाशकों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए है कि कागज उत्पादकों ने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी है तथा प्रकाशकों को किताबें तैयार करने के लिए उचित मूल्य पर कागज प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ।

(ख) और (ग) : कागज और कागज के गत्तों के समग्र उत्पादन में 1977 के दौरान 54.000 मी० टन की वृद्धि हो जाने के बावजूद औद्योगिक किस्मों के उत्पादन की उच्च प्रतिशत के कारण कुल उत्पादन की दृष्टी से कल्चरल किस्मों के कागज के उत्पादन में करीब 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई है । लिखाई और छपाई कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से 8-3-1978 को सरकार ने कागज (उत्पादन विनियमन) आदेश 1978 जारी किया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था की गई है कि 25 मी० टन प्रति दिन या इससे अधिक क्षमता वाली कागज मिलों को अपने कुल उत्पादन के 30 प्रतिशत के बराबर छपाई के सफेद कागज का उत्पादन करना चाहिए तथा लिखाई और छपाई की पांच अन्य आम किस्मों के कागज (क्रीम लेड अथवा वोव पेपर, आफसेट अथवा लीथोपेपर और टाइपिंग पेपर) का कुल उत्पादन के कम से कम 33 प्रतिशत के बराबर उत्पादन करना चाहिए जिसमें से कम से कम 20 प्रतिशत क्रीमलेड अथवा वोव कागज होगा । इससे आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कल्चरल

कागजों की किस्मों की उपलब्धता में वृद्धी होने तथा मूल्यों में स्थिरता आने की आशा है। फिर भी यदि कागज की किसी विशेष किस्म की कीमतों में अनुचित वृद्धि होती है तो सरकार उपभोक्ताओं का हित संरक्षण करने के लिए उपयुक्त अभ्युपाय जिसमें कागज का आयात करना भी शामिल है, करने पर विचार करेगी।

Shortage of Power in U.P.

8220. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Energy be** pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the shortage of power in Uttar Pradesh;

(b) if so, the present requirement (in megawatts) of the State; and

(c) the steps being taken by Government in this matter?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) The Government is aware of shortage of power in Uttar Pradesh.

(b) The power requirements in March 1978 were estimated to be 2420 MW.

(c) The following steps are being taken by the Government to improve power supply in Uttar Pradesh;

(i) Better management of the load & generation balance.

(ii) Project renovation has been launched to improve the availability of the thermal units at Panki, Obra and Harduganj.

(iii) Replacement and re-commissioning of the damaged parts of sick units in Uttar Pradesh Electricity Board system have been arranged.

(iv) Steps have been taken to maximise generation from the existing thermal generating plants by improving their availability and reliability by arranging necessary modifications in the equipment, wherever required, availability of spares, coal of requisite quality etc.

(v) The first 210 MW unit at Obra and 110 MW unit at Harduganj thermal power stations which were commmissioned during the later part of 1977-78 are expected to stabilise and pick up generation during the current year.

(vi) The 2nd 210 MW unit at Obra Thermal Power Station is scheduled to be commissioned during the current year.

(vii) The work on new thermal power projects which have already been sanctioned by the Government has been taken up in hand by the State Electricity Board.

(viii) The proposals for putting up new power stations in the State are under consideration of the Government.

(ix) Necessary assistance is arranged from the Northern Regional Electricity Grid to meet the power requirements in Uttar Pradesh, whenever available.

चर्बी का आयात

8221. **श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से आयातित चर्बी जिसमें गाय और सूअर की चर्बी भी शामिल होती है भारत में साबुन बनाने के उपयोग में आती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में कुछ धार्मिक सम्प्रदाय और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो गाय और सूअर की चर्बी के उपयोग को घृणित और अधार्मिक कार्य समझते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय जनता की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार साबुन निर्माताओं को इस आशय के निर्देश देगी कि चर्बी से निर्मित साबुन के पैकेट पर "चर्बी से निर्मित साबुन" का उल्लेख करें जिससे जनता यह जान सके कि वे इस प्रकार के साबुन का उपयोग करें या नहीं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति आभा माईति) : (क) साबुन के बनाने में चर्बी का उपयोग ऐच्छिक है तथा यह चर्बी और साथ ही अन्य तेलों के मूल्य तथा उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है । जहां तक नीति का प्रश्न है, सरकार संगठित क्षेत्र के साबुन निर्माताओं के उपयोग के लिए चर्बी के आयात की अनुमति नहीं देती । लघु क्षेत्र के साबुन निर्माताओं के उपयोग के लिए सीमित मात्रा में चर्बी का आयात किया जा रहा है ।

(ख) सरकार को साबुन में चर्बी के उपयोग के खिलाफ अभी तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

कृषि पर आधारित कागज मिल का स्थापित किया जाना

8222. **श्री महेंद्र सिंह सैयावाला : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य उद्योग विकास निगम ने कृषि की व्यर्थ जाने वाली सामग्री का मूल सामग्री के रुप में उपयोग करने के विचार से औद्योगिक निगम से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर राज्य में एक कागज मिल स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग विकास निगम द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है और सहायता की धनराशि कितनी है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) होशियापुर जिला पंजाब में कृषि के बेकार पदार्थ (वेस्ट) पर आधारित मुकेरिया पेपर मिल्स लि० के नाम से कागज मिल स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम को एक औद्योगिक लाइसेन्स दिया गया है । इस एकक की कागज बनने की क्षमता 1000 मी० टन रखने का विचार है । यह परियोजना वित्तीय संस्थानों की सहायता से संयुक्त क्षेत्र में क्रियान्वित की जाएगी ।

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने मसर्स मुकेरिया पेपर मिल्स लि० को 6.5 लाख का ऋण मंजूर किया है तथा 20.33 लाख रु० के मूल्य के इक्विटीशेयर जो कंपनी द्वारा जनता में बेचे जाते ये उन्हें खरीदने का जिम्मा भी लिया है।

सड़कों के विकास के लिए नई नीति

8223. **श्री वसन्त साठे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सड़कों के विकास के लिए नई नीति बनाई है और वर्ष 1978-79 के लिए परिव्यय मुख्य वर्गीकरण देते हुए जैसी बातों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या तथा लम्बाई कितनी हैं ;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों ी संख्या तमा मील दूरी में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) विचाराधीन विशेष महत्वपूर्ण प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : संवैधानिक रूप से केन्द्रीय सरकार राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न अन्य सभी सड़कों के लिए उत्तरदायी हैं और अपनी-अपनी आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, उन्हें इन सड़कों की योजना बनाकर उनका विकास और अनुरक्षण करना होता है।

जहां तक राष्ट्राय राजमार्गों का संबंध है, चालू कार्यों को पूरा करने और अत्यन्त आवश्यक नए कार्यों को आरंभ करने पर जोर दिया जाना है। 1978-79 में राष्ट्राय राजमार्गों के विकास के लिए 76 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) संख्या 56 और लम्बाई 28,970 कि० मी० है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Hindi Teaching Scheme

8224. **Shrimati Chandravati :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Department of the Hindi Teaching Scheme is a subordinate office;

(b) if so, the functions of the office of the Joint Director constituted in the Department of Official Language of the Ministry;

(c) whether this office is also a part of the Hindi Teaching Scheme;

(d) if so, the reasons for which the persons working as Research Assistants in this office were taken on deputation from the Hindi Teaching Scheme;

(e) whether pay scale of Hindi Teachers are the same which are being given to Hindi Translators working in the subordinate offices; and

(f) if so, the reasons for which Hindi teachers are not appointed through Service Selection Commission although the office of the Hindi Teaching Scheme is also a subordinate office?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) Yes, Sir.

(b) The Joint Director looks after educational, research and examination matters relating to Hindi Teaching Scheme.

(c) Yes, Sir.

(d) Recruitment rules for the post of Research Assistant are being formulated. In order to ensure that there is no hindrance in the work at Joint Director's Office, suitable lecturers of Hindi Teaching Scheme have, under the ad-hoc arrangement, been appointed to these posts on deputation basis.

(e) & (f) : Yes, Sir. Senior Translators of Central Translation Bureau, a Subordinate Office of the Department of Official Language and Lecturers of Hindi Teaching Scheme are in the same scale of pay. It has already been decided that lecturers of Hindi Teaching Scheme should be recruited only through the Staff Selection Commission.

दिल्ली में कार और स्कूटरों की चोरी

8225. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में कार और स्कूटरों की चोरी की घटनाएं बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट की गई है और पुलिस की जांच के परिणामस्वरुप कितनी मोटारगाड़ियां बरामद की गई हैं; और

(ग) उसी अवधि में पुलिस ने राजधानी में कार उठाने वाले गिरोहों का कितनी बार पता लगाया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) और (ख) : 1976 तथा 1977 के वर्षों के दौरान चुराई गयी तथा बरामद हुई कारों तथा स्कूटरों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	कारें		स्कूटर	
	चुराई गई	बरामद हुई	चुराए गए	बरामद हुए
1976	659	583	558	430
1977	920	737	880	582

(ग) 1976 में 15 गिरोह तथा 1977 में गिरोह 9 समाप्त किए गए।

विदेशों से जहाज प्राप्त करने के लिए मंजूर की गई धनराशि

8226. **श्री विवाद भाई बी० शेठ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों से जहाज प्राप्त करने के लिए कुल कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई; और

(ख) जहाजों की खरीद का देशवार ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) पिछले 5 वर्षों के दौरान, विदेशों के शिपयार्डों से जहाजों की खरीद पर धन लगाने के लिए 220 करोड़ रुपये ऋणों के रुप में तथा 165 करोड़ रुपये गारंटियों के रुप में मंजूर किए गए हैं ।

(ख) खरीदे गए जहाजों का देशवार विवरण निम्न प्रकार से है ।

जर्मन जनवादी गणतंत्र	5
यूनाइटेड किंगडम	2
पौलंड	7
स्वीडन	3
युगोस्लाविया	11
स्पेन	6
जापान	10
बेल्जियम	1
पश्चिम जर्मनी	1

हरिजनों के उत्थान के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

8227. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को हरिजनों के उत्थान के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई, कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और उपयोग न किये जाने के कारण कितनी धनराशि व्ययगत हुई;

(ख) आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त प्रयोजन के लिये कितनी वित्तीय सहायता आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सहायता का उपयोग किन-किन विशेष क्षेत्रों में किया जाता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के वास्ते केन्द्रीय बजट में से पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को निम्नलिखित राशियां दी गई :—

वर्ष	बजट प्रावधान	दी गई राशियां (रुपये लाखों में)
1975-76	1461.50	1413.00
1976-77	1455.50	1471.51
1977-78	1674.00	1650.25

75-76 तथा 77-78 के दौरान राज्य सरकारों ने बजट आवंटन की अपेक्षा कम राशियों की मांगे कीं। इसलिये आवंटन और दी गई राशियों के अन्तर व्ययगत होने दिये गए। लेकिन ये अंतर मामूली हैं।

(ख) वर्ष 1978-79 के लिए 2166.00 लाख रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है।

(ग) हरिजनों के उत्थान के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्य सरकारों की सहायता मंजूर की गई है।

1. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां।
2. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र।
3. कन्या छात्रावास।
4. नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा के लिए तंत्र।

आपात स्थिति के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड के क्षेत्रीय एककों में निर्देशकों की नियुक्ति

8228. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड के विभिन्न क्षेत्रीय एककों, यथा वेस्टर्न कोल फील्ड्स तथा सेन्ट्रल कोल फील्ड्स में श्रमिकों से सलाह किये बिना ही "इन्टक" से संबंधित व्यक्तियों को निदेशकों के पदों पर नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या वे अब भी विभिन्न कोयला क्षेत्रों में निदेशक पदों पर काम कर रहे हैं जिसके फलस्वरुप "इन्टक" से संबंध न रखने वाले श्रमिकों को न्याय नहीं मिल रहा है और कोयला खानों में "इन्टक" के कार्यकर्ताओं को अनुचित लाभ मिल रहे हैं तथा पक्षपातपूर्ण ढंग से पदोन्नतियां मिल रही है; और

(ग) सरकार का विचार आपात स्थिति के दौरान नियुक्त किए गए इन निदेशकों की नियुक्ति कब तक रद्द करने का है ताकि इस प्रकार का पक्षपात तथा भेदभाव समाप्त हो सके ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : इंटक के दो व्यक्तियों को जुलाई, 1976 में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि० के निदेशक मण्डल में नियुक्त किया गया था । ये दोनों 31-12-77 को निदेशक के पद से रिटायर हो गए हैं। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के निदेशक मण्डल में कोई गैर सरकारी व्यक्ति नहीं नियुक्त किए गए थे । इस समय कोल इण्डिया लि० अथवा उसकी किसी सहायक कम्पनी के निदेशक मण्डल में कोई गैर सरकारी निदेशक नहीं हैं ।

इंडियन फील्ड गन फैक्टरी, कानपूर में उत्पादन

8229. **श्री शरद यादव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर में उत्पादन आरम्भ हो गया है और यदी नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, शीघ्र उत्पादन आरम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या प्रबन्धक कुछ भूतपुर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार नही कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा रोजगार क्षमता का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। उत्पादन शुरू हो गया है ।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार प्रबन्धकों द्वारा 42 भूतपूर्व सनिकों को नियुक्त किया गया है ।

रक्षा विभाग प्रयोगशालाओं को विशिष्ट परियोजनाओं का प्रेषित किया जाना

8230. **डा मूरली मनोहर जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976, और 1977 में से प्रत्येक वर्ष के दौरान रक्षा विज्ञान प्रयोगशालाओं की कितनी विशिष्ट परियोजनायें और समस्यायें प्रेषित की गई ; और

(ख) उपर्युक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन प्रयोगशालाओं द्वारा कितनी परियोजनायें पूरी की गई और कितनी समस्याओं का समाधान किया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं द्वारा 1975, 1976 और 1977 के दौरान शुरू की गई नई परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है :—

1975 . . .	215
1976 . . .	241
1977 . . .	256

(ख) 1975, 1976 और 1977 के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है :—

1975 . . .	158
1976 . . .	211
1977 . . .	143

इन आंकड़ों में वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन्हें शुरू तो उक्त अवधि से किया गया था परंतु पूरा उक्त अवधि में किया गया ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हरिजनों के कल्याण और विकास के लिए योजना

8231. **श्री जगन्नाथ शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के हरिजनों के कल्याण और विकास की कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) । केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के हरिजनों के कल्याण या विकास के संबंध में अलग से कोई स्कीमें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए उप-योजना में ऐसी स्कीमें शामिल हैं। इस उप-योजना में विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां देने, विद्यार्थियों को किताबों और सामान आदि के लिए सहायता; कृषि और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए परिवारों को सहायता तथा आश्रम स्कूलों को खोलने की स्कीमें शामिल हैं । इन आधारों पर स्कीमों को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1977-78 की अवधि में वार्षिक योजना में शामिल किया गया है और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। 1978-79 के लिए प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं ।

SC & ST Hindi Officers/Hindi translators

†8232. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi officer, Hindi Translator Grade I and Hindi Translator Grade II in the Department of Power;

(b) the number of posts, out of them, reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the number of employees belonging to these categories working there; and

(c) if there is no employee belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the reasons therefor?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) There is one post of Hindi Officer, one post of Hindi Translator Grade-I and three posts of Hindi Translator Grade-II sanctioned in the Department of Power.

(b) & (c): As these posts have been filled up by persons on deputation/transfer, orders regarding reservation do not apply. Due to non-availability of suitable persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, none has been employed.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजना

8233. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में आगामी वर्ष के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए ग्रेटर बम्बई सहित जिलेवार क्या विभिन्न योजनायें है;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आगामी वर्ष के लिये संघ क्षेत्रों सहित राज्य-वार क्या विभिन्न योजनायें हैं ; और

(ग) प्रश्न के उक्त भाग (ख) के बारे में राज्य/संघ क्षेत्र तथा भाग (क) में जिला स्तर पर सरकार ने क्या तंत्र स्थापित किया है अथवा करने का विचार है और क्या सरकार का विचार क्रीयान्वयन समिति में संसद सदस्यों को भी सम्मिलित करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ग): सुचना राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से मांगी गई है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रशीतक-उद्योग की क्षमता और उनके द्वारा उत्पादन

8234. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रशीतक-उद्योग की विभिन्न एककों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और उनके द्वारा वास्तविक उत्पादन कितना होता है ;

(ख) वर्ष 1976, 1977 और 1978 के दौरान प्रत्येक एकेक द्वारा वस्तुतः कितना उत्पादन किया गया; और

(ग) स्वीकृत क्षमता का अल्प उपयोग होने का क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) : घरेलू रेफ्रीजरेटर बनाने के लिए लाइसेंसीकृत एककों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता तथा उत्पादन और जिनमें 1976, 1977 तथा 1978 (जनवरी-फरवरी) के दौरान तक उत्पादन हो रहा है, निम्न प्रकार है :—

उद्योग	घरेलू रेफ्रीजरेटर		संख्या		
क्रम सं०	फर्म का नाम	लाइसेंसी कृत क्षमता	1976 उत्पादन	1977 उत्पादन	1978 (जनवरी-फरवरी) उत्पादन
1.	मैसर्स गोदरेज एण्ड बायस कं०, बम्बई	30,000	26714	37219	8206
2.	मैसर्स फोडर्स लायड कारपोरशन, नई दिल्ली	10,000	1318	2474	284
3.	मैसर्स हैदराबाद आलविन	30,000	25529	31571	6646
4.	मैसर्स केलविनेटर्स, फरीदाबाद	1,00,000	43714	62466	10955
5.	मैसर्स सूर इन्डस्ट्रीज़ कलकत्ता	2,400	35	24	6
6.	मैसर्स वोल्टाज लि०	11,000	7672	9751	1441

(ग) समस्त क्षमता का कम उपयोग होने का मख्य कारण मांग की कमी है।

राईफल फैक्टरी ईशापुर में रिक्त पद

8235. **श्री गदाधर साहा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों के महा निदेशालय के अधीन राईफल फैक्टरी, ईशापुर एवं मैटल एण्ड स्टील फैक्टरी में गत तीन वर्षों में कर्मचारियों की सेवा नियुक्ति एवं समय पूर्व मृत्यु के कारण कितनें पद रिक्त हुए ;

(ख) रिक्त पदों की व्यवसाय एवं ग्रेड-वार संख्या क्या है ;

(ग) अब तक कितनें पद भरे गयें हैं ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) आयुध कारखानों के महानिदेशालय के आयुध प्रशिक्षण स्कूलों के प्रशिक्षित कारीगरों को रिक्त पदों में खपाने के बारे में सरकारी नीति क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

रेल्वे बोर्ड कार्यालय में सहायकों का वेतन निर्धारण

8236. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या गृह मंत्री रेल्वे बोर्ड कार्यालय में सहायकों का वेतन निर्धारण के बारे में 15 मार्च 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2988 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3-4 वर्षों से विचाराधीन मामले को हल करने के लिये मंत्रियों की समिति द्वारा इस बीच कोई बैठक बुलाई गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो मामले को अन्तिम रुप देने के लिये बैठक कब बुलाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) मंत्रीयों की बैठक उनकी सुविधा के अनुसार, सम्भवतः अगले महीने की किसी तारीख को आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान संशोधन अधिनियम को अन्य स्थानों पर लागू किया जाना

8237. **श्री हरि विष्णू कामत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कर्नाटक में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक के अधीन अपराधों को केन्द्र सरकार द्वारा जांच करने की शक्तियां लागू करने के लिये सहमती को वापस लेने के कर्नाटक सरकार के कथित निर्णय की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त कथित निर्णय के क्या परिणाम हो सकते हैं;

(घ) क्या उक्त निर्णय उप-केन्द्रीय प्रवृत्ति का द्योतक है; और

(ङ) इस निर्णय का केन्द्र के आदेशों के अधीन ग्रोवर आयोग के कार्य तथा कार्यवाही पर तथा ग्रोवर आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन पर आधारित कतिपय मामलों में केन्द्रीय जांच ब्युरो द्वारा जांच कार्य पर क्या प्रभाव पडेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) कर्नाटक सरकार ने अपनी दिनांक 3 अप्रैल 1978 को अधिसूचना द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अधीन पहले दी गई अपनी उस सहमति को वापस ले लिया, जिसके द्वारा विशेष पुलिस स्थापना (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो) कर्नाटक राज्य में अपनी शक्तियों तथा अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ थी।

(ख) से (घ) : राज्य सरकार की इस कार्रवाई से उत्पन्न कानूनी, विवक्षाओं तथा अन्य प्रश्नों का अध्ययन किया जा रहा है।

(ङ) राज्य सरकार कों उपर्युक्त कार्रवाई का ग्रोवर जांच आयोग द्वारा की जा रही जांच पर कोई प्रभाव नही पड़ता, जो पहले की तरह अपना काम कर रहा है। फिर भी, कानूनों विवक्षाओं का अध्ययन किए जाने तक, विशेष पुलिस स्थापना कर्नाटक राज्य में मामलों की आगे जांच नही कर रही है। इनमें इसके द्वारा श्री देवराज अर्स तथा अन्यों के विरुद्ध दर्ज किया गया एक मामला भी शामिल है, जो ग्रोवर जांच आयोग की प्रथम रिपोर्ट के अन्तर्गत आनेवाले आरोपों में से एक पर दर्ज किया गया था।

8—141 L.S.S./ND/78

सूखा पीड़ित राज्यों द्वारा इस्पात, सीमेंट आदि की मांग

8238. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखाग्रस्त राज्यों की सरकारों ने अपने राज्यों में गम्भीर कमी का सामना करने के लिए उठाऊ सिंचाई तथा अन्य योजनाओं के लिये सीमेंट तथा आर० सी० सी० पाईप प्राप्त करने में सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने कितनी सहाय की मांग की और अब तक प्रत्येक राज्य को कितनी माता में इन वस्तुओं का आबंटन किया गया तथा कितनी माता में सप्लाई की गई; और

(ग) आबंटन करने तथा सहायता देने के लिये क्या मापदंड अपनाया जाता है;

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : हाल ही में सहायता के लिए ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु, जून, 1977 में उड़ीसा सरकार से राज्य के अधिकांश भागों में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीमेंट के अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। परन्तु देश में बिजली की कटौती आदि के कारण सीमेंट के उत्पादन में कमी होने से राज्य को अपने लिए आबंटित सीमेंट में से ही व्यवस्था करने की सलाह दी गई थी।

(ग) प्राप्त समग्र सीमेंट में से ही संकटकालीन स्थिती का सामना करने के लिए अतिरिक्त तदर्थ आबंटन के लिए प्राप्त आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। किन्तु अपने समग्र सीमेंट आंबटन में से सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्व्यवस्था करने का मार्ग राज्य सरकारों के समक्ष खुला है।

Introduction of Computers

8239. **Shri Raghavji :** Will the **Prime Minister** be pleased to state whether Government propose to abandon the scheme of introducing computers in the country which affects the employment opportunities, keeping in view the critical problem of unemployment being faced by the country already?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : No, Sir. The policy of Government is to regulate their introduction on a consideration of their essentiality, cost benefits and relevance in the Indian environment alongwith the unemployment situation in the country.

एम० एच० डी० प्रौद्योगिकी द्वारा ऊर्जा उत्पादन

8240. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम० एच०डी० प्रौद्योगिकी जिसमे गर्म कोयला गैस का उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है, ईन्धन जलाकर बिजली बनाने वाले बिजलीघर की उत्पादन क्षमता 50 प्रतिशत बढ़ाने में सक्षम है जो उसी एक टन ईन्धन से डेढ़ गुनी ऊर्जा प्राप्त करने के बराबर है;

(ख) क्या एम० एच० डी० (मेग्नेटो-हाईड्रों-डायनामिक्स) प्रणाली से विद्युत् बनाने के क्षेत्र मे भारत-सोवियत टीम ने इस बारे में कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मग्नेटो-हाइड्रो-डायनामिक्स प्रौद्योगिकी से बिजली के जनन मे ऊष्मा का बिजली में सीधा परिवर्तन कर दिया जाता है। भारत में अनुसंधान तथा विकास के लिए चुनी गई प्रक्रिया के अंतर्गत कोयले का गैसीकरण करके उसे जलाकर उच्च तापमान की गैस उत्पन्न की जाती है, जिसको एक चुम्बकीय क्षेत्र के आर-पार एक नली (डक्ट) से अयनीकृत तथा विस्तारित किया जाता है। नली के अन्दर रखे इलेक्ट्रोडों में इस प्रकार एक विद्युत् धारा उत्पन्न हो जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास का कार्य भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्ज लि० तथा भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर द्वारा संयक्त रुप से किया जा रहा है। भारत सरकार और सोवियत संघ की सरकार के बीच हुए करार के अनुसार इसके लिए तकनीकी परामर्श इन्स्टीट्यूट आफ़ हाई टैम्परेचर मास्को द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार है :—

1. एम० एच० डी० जनन के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के लिए एक उपयुक्त आधार का निर्माण।

2. 5-15 मैं० वा० (ऊष्मीय निवेश) के स्तर का एक एम० एच० डी० प्रायोगिक संयंत्र का विकास करना तथा उसमें प्रयोग करना।

फर्निचर बनाने वाले लघु उद्योगों के लिए उत्पादन शुल्क की छूट

8241. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयम्बटूर जिले के लघु उद्योग संघ द्वारा फर्नीचर बनाने वाले लघु उद्योगों के बारे में दिए गए अभ्यावेदन संख्या 87/771/77 दिनांक 25-7-77 जिसमें उत्पादन शुल्क से छूट देने तथा उत्पादन शुल्क के लिए उत्पादन सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का अनुरोध किया गया है, पर विचार किया है, यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या विचार है;

(ख) क्या उद्योग मंत्री ने वित्त मंत्री से उक्त विषय के अभ्यावेदन के पक्ष में सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : उद्योग मंत्रालय अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों से मोटे तौर पर सहमत था तथा 15-11-77 को स्टील फर्नीचर का उत्पादन करने वाले लघु पैमाने के एककों के लिए उत्पादन शुल्क छूट सीमा 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश की थी।

जिन एककों की बिक्री का मूल्य 15 लाख से अधिक नही है उनके लिए स्टील फर्नीचर पर त्पादन शुल्क की छूट की सीमा 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपय तक बढ़ाने की अधिसूचना वित्त मंत्रालय ने 1-3-78 को जारी कर दी है।

Constitution of Hindi Advisory Committee in the Ministry of Energy

8242. **Shri Surendra Bikram:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in this Ministry; and

(b) if so, the names of Members thereof and the number and names, among them, of those nominated on the recommendations of the Official Languages Committee?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) Yes, Sir.

(b) Names of the Members of the Committee are given in the statement annexed. In addition, some non-official persons will also be included in the Committee and the matter is under consideration. Amongst the present members, Chairman, Central Water Power Projects Board was included on recommendation of the Official Languages Department and Shri Sudhakar Dwivedi was nominated by the said Department as its nominee.

Statement

Statement showing the names of members of Hindi Advisory Committee, Ministry of Energy

1. Minister of Energy	Chairman
2. Minister of State for Energy	Vice Chairman
3. Shri Jamna Lal Bairva, MP, Rajya Sabha	Member
4. Shri Sujan Singh, MP, Rajya Sabha	Member
5. Shri Ram Das Singh, MP, Lok Sabha	Member
6. Shri Surya Narain Singh, MP, Lok Sabha	Member
7. Secretary, Department of Coal	Member
8. Jt. Secretary (dealing with Hindi work), Department of Coal	Member Secy.
9. Secretary, Department of Power	Member
10. Joint Secretary, (Administration), Department of Power	Member
11. Chairman, Central Electricity Authority	Member
12. Chairman, Rural Electrification Corpn.	Member
13. Chairman, National Projects Construction Corporation	Member
14. Hindi Adviser to the Govt. of India & Secretary, Department of Official Languages	Member
15. Shri Sudhakar Dwivedi, Joint Secretary, Department of Official Languages	Representative of Official Languages Dept.
16. Chairman, Kendriya Sachivalaya, Hindi Parishad	Member
17. Chairman, Central Water Power Projects Board	Member
18. Chairman-cum-Managing Director, Coal India Ltd.	Member
19. Chairman-cum-Managing Director, Central Coal fields Ltd.	Member
20. Chairman-cum-Managing Director, Western Coal fields Ltd.	Member
21. Chairman-cum-Managing Director, Eastern Coal fields Ltd.	Member
22. Chairman-cum-Managing Director, Bharat Coking Coal Ltd.	Member

Hindi Advisory Committee

8243. **Shri Surendra Bikram:** Will the Minister of **Electronics** be pleased to state:

(a) whether the Hindi Advisory Committee has been set up in his Department; and

(b) if so, the names of the Members thereof and the number and names of members among them who have been included in the Committee on the basis of the recommendations of the Official Languages Committee?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

छोटे पत्तनों के विकास के लिए नियतन

8244. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1978-79 में छोटे पत्तनों के विकास और पत्तन न्यासों के विकास के लिए भारत सरकार ने कितनी धन राशि नियत की है अथवा नियत करने का प्रस्ताव है;

(ख) गुजरात के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है अथवा बनाने का प्रस्ताव है और इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और उसे किस प्रकार खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) वर्ष 1978-79 के दौरान पत्तनों का विकास करने के लिए गुजरात सरकार ने कितनी धनराशि कि मांग की है और वह किन-किन पत्तनों के लिए की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) : आठ बड़े पत्तन न्यास बोर्डों को पूंजीगत ऋण की व्यवस्था करने के लिए बजट में 53,72,95,000 रुपये का प्रावधान है, जिससे वे अपनी विकास योजनाओं पर धन लगा सकें। इसके अलावा नव तुतीकोरिन पत्तन और नव मंगलौर पत्तन की पत्तन विकास योजनाओं के लिए 27,17,78,000 रुपये की व्यवस्था है। बड़े पत्तनों से भिन्न अन्य पत्तनों के विकास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। चौथी योजना के बाद से प्रत्येक समुद्री राज्य से एक छोटे पत्तन के चयन के आकार पर चुने गए छोटे पत्तनों के विकास के लिए राज्य सरकारों को केन्दीय ऋण सहायता दी जाती रही है। इस प्रयोजन के लिए गुजरात से चुना गया पत्तन पोरबन्दर था। पोरबन्दर के विकास की योजना के लिए स्वीकृत 7.22 करोड़ रुपये की पूरी केन्द्रीय ऋण सहायता पहले ही राज्य सरकार को दे दी गई है।

अप्रैल, 1978 से आरंभ होने वाली योजनावधि में छोटे पत्तनों के विकास के लिए केंद्रीय सहायता के ढांचे पर अंतिम विचार अभीतक नहीं किया गया है। 1978-79 में छोटे पत्तनों के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र में किसी प्रावधान का सुझाव नही दिया गया है।

Expenditure on Inter-State Transmission Lines

8245. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) the total expenditure proposed to be incurred on Inter-State Transmission lines and Load Despatching Stations for power during 1978-79;

(b) the amount out of it proposed to be spent in Gujarat on behalf of Central Government or the Gujarat Government and Gujarat State Electricity Board and the purpose for which it will be spent;

(c) the various schemes submitted to Central Government by the Gujarat Government or Gujarat State Electricity Board for power generation in 1978-79 together with the amount involved in each scheme and the dates of their submission to Central Government; and

(d) the action taken or proposed to be taken by Central Government in this regard and when and what action is proposed to be taken?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Rs. 26 crores.

(b) As all the approved inter-State/Regional transmission lines in Gujarat have been completed, no expenditure on this account, in Gujarat is expected during 1978-79.

(c) & (d) : The power generation schemes concerning Gujarat State pending with Central Govt. for clearance are given in annexure. They are under active consideration.

Statement

Name of Scheme	Estimated cost	Date of submission
	(Rs. in crores)	
1. Wankabori Thermal Extension (3×20 MW) .	213	14-9-77
2. Gandhinagar Thermal Extension (210 MW)	69.30	8-7-77
3. Replacement of Small Thermal units at Shapur, Sikka and Kandla Thermal Power Stations by installing 60 MW unit at each of these places	65.82	6-8-77
4. Replacement of Small Thermal units at Utran by one of 120 MW unit	39.38	13-2-78
5. Lignite Thermal Power Station in Kutch (2×55 MW) .	56.5	3-9-77
6. Kadana Hydro Electric Project (2×60 WM)	32.8	December 1977

Knitting Classes for Destitute Woman in Bantua and Manavadar, Gujarat

8246. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether knitting classes were conducted for destitute women in Bantua and Manavadar cities of district Junagadh under the Rural Artisan Programme by Junagadh District Panchayat of Saurashtra region in Gujarat;

(b) if so, their number and period for which training was given;

(c) whether Junagadh District Panchayat has sought sanction of the Development Commissioner of Small Scale Industries, Government of India, Delhi for monthly stipend to the said destitute women from 31st December, 1977;

(d) if so, the amount thereof;

(e) whether stipend has been sanctioned and if so, when and the amount thereof; and

(f) if not, the reasons therefor and when the said sanction will be given?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) Yes, Sir. Knitting Classes were conducted in Bantua and Manavadar but they were not exclusively for destitute Women.

(b) There was a training Course from 6-8-1977 to 5-12-1977 for Bantua and Manavadar.

(c) No Sir.

(d) Question does not arise.

(e) and (f) : Sanction for a stipend to the trainees was given on 5-1-78. Stipend at the rate of Rs. 50/- per month was paid from 6-8-77 to 5-12-77 when the training ended. The total amount thereof was Rs. 7,932.86.

Take over of Gujarat Textile Mills

8247. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether many textile mills in Gujarat are facing closure and the total number and names of textile mills already closed there;

(b) the reasons for their closure;

(c) whether Government propose to take over these mills; and

(d) if so, when and how and the names of mills proposed to be taken over?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) to (d): Textile mills in Gujarat, as elsewhere, have been facing difficulties on account of demand recession on the one hand and high production costs on the other but it is not possible to say whether and if so, how many textile mills in Gujarat are facing closure. Six cotton textile mills are at present lying closed. Particulars of these six textile mills are:—

No.	Name of the Mill	Reasons for closure
1.	Fine Knitting Co. Ltd., Ahmedabad.	This mill is covered by the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act but the owners have filed a writ petition in Supreme Court against its acquisition by Govt. and the case is sub-judice. Meanwhile, while the spinning section of the mill remains closed, its hosiery section is working under the erstwhile owners under a Gujarat High Court decree.
2.	Shree Bhawati Spg. & Wvg. Works, Khanbalia.	Damage to the mills caused by cyclone.
3.	Shree Mandvi Spg. Mills Ltd., Kutch-Mandvi.	Financial difficulties.
4.	Navyjoti Mills Ltd., Kadi.	Financial difficulties.
5.	Ahmedabad Laxmi Cotton Mills, Ahmedabad.	Financial difficulties.
6.	The Manekchowk & Ahmedabad Mfg. Co. Ltd., Ahmedabad.	Financial difficulties.

Government's policy has been not to saddle National Textile Corporation with further liabilities by way of take over of more closed textile mills, unless such an act becomes unavoidable in the totality of circumstances of the case. Government expects that steps would be taken to reopen the closed textile mills at an early date.

नारियल जटा के भूसे की कीमतों में वृद्धि

8248. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल जटा के भूसे की कमी की वजह से उसकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को सरकार ने जो सहायता दी है, उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल सरकार कोकोनट हस्क कंट्रोल आर्डर, 1973 के अधीन निजी व्यापारियों से नारियल की भूसी खरीदने तथा उसे उद्योग को नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिये कार्रवाई करने पर विचार कर रही है ।

अशोक विहार और केन्द्रीय सचिवालय के बीच डी०टी०सी० बस का सीधा रूट

8249. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अशोक विहार और केन्द्रीय सचिवालय के बीच सीधे रूट द्वारा अर्थात् रोहतक रोड और मंदिर मार्ग से होकर डी०टी०सी० बस की व्यवस्था करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) : रोहतक रोड और मंदिर मार्ग होकर अशोक विहार से केन्द्रीय सचिवालय तक चलने वाले रूट सं० 220 को मोड़ने का सुझाव प्राप्त हुआ है ।

(ख) से (घ) : सुझाव व्यवहार्य नहीं पाया गया है । प्रस्तावित मोड़ से विश्वविद्यालय, राना सचिवालय, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनस और आई० टी० ओ० स्थित कार्यालय कम्पनियों की ओर जाने वाले यात्री मौजूदा बस सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। जो यात्री फ निवास मार्ग और रोहतक रोड होकर जाना चाहतें है, वे अशोक विहार से कनाट सर्कस तक चलने वाले रूट सं० 157 या 14 की बस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, यहां से केन्द्रीय सचिवालय तक जाने के लिए कई बसें उपलब्ध हैं ।

सरकारी कर्मचारियों को राहत के बारे में भारतीय संरक्षण कामगार संघ से अभ्यावेदन

8250. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को भारतीय संरक्षण कामगार संघ सी०ओ०डी०, देहू, (पुणे), महाराष्ट्र के महासचिव से उन सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के बारे में, जिन्हें परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन मिल रही हैं, दिनांक 22-11-77 अथवा इसके आसपास का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। भारतीय संरक्षण कामगार संघ, सैंट्रल आर्डनेंस डिपो, देहू (पुणे) के महामंत्री का 22-11-77 का अभ्यावेदन सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को संबोधित था और यह वित्त मंत्रालय में प्राप्त हुआ था।

(ख) उस मंत्रालय में इस अभ्यावेदन पर अच्छी तरह से विचार किया गया परन्तु उनकी मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया। उक्त मंत्रालय ने संघ को इसी आधार पर उत्तर भेज दिया था।

डाइमिथाइल एनीलाइन के आयात पर रोक

8251. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाइमिथाइल एनीलाइन के आयात पर रोक लगाने के बारे में के०डी० केमीकल्स, बदलापुर, जिला थाना (महाराष्ट्र) से 30 नवम्बर, 1977 का एक अभ्यावेदन विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास मंत्रालय को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और अब यह कार्यवाही कब की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइती (क) जी हां।

(ख) इस वस्तु को प्रतिबन्धित सूची में शामिल करने का निश्चय किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नमक का निश्चित मात्रा से अधिक तोला जाना

8252. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भायन्दर साल्ट मर्चेंट्स एसोसिएशन, थाना जिला (महाराष्ट्र) के प्रेसीडेंट से भारत सरकार के नमक आयुक्त, जयपुर को 22 अक्तूबर, 1977 या इसके आस पास 'नमक के निश्चित मात्रा से अधिक तोले जाने' के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी कार्यवाही अब कब तक की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईती) : (क) नमक आयुक्त को अध्यक्ष, भायन्दर साल्ट मर्चेंट्स एसोसिएशन, थाना जिला (महाराष्ट्र) से कोई अभ्यावेदन प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु नमक के निश्चित मात्रा से अधिक तोले जाने के बारे में नमक आयुक्त के पास एक अभ्यावेदन बम्बई साल्ट मर्चेंट्स एंड शिलोत्रीज एसोसिएशन, बम्बई से प्राप्त हुआ है।

(ख) तथा (ग) : इस अभ्यावेदन पर बम्बई साल्ट मर्चेंट्स और शिलोत्रीज एसोसिएशन, बम्बई के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

Gas Cylinders for Amar Jawan Jyoti

8253. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 195 on 22nd February, 1978 regarding expenditure on Amar Jawan Jyoti and state:

(a) the number of gas cylinders used for the Amar Jawan Jyoti at India Gate during the last three years and the expenditure incurred thereon and the number of gas cylinders used every day and the number of flags hoisted and changed and wreaths placed there per year; and

(b) whether articles referred to in part (a) above are purchased by inviting tenders and if so, the dates on which these tenders were invited and names of the persons who submitted tenders and the number of tenders received?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram):

(a)

(i)

Year	No. of Gas Cylinders	Cost
1975-76	686	Rs. 22,370.46
1976-77	756	Rs. 24,653.16
1977-78	790	Rs. 25,774.90

About 2 to 2.5 cylinders approximately are consumed per day. The daily consumption depends on weather conditions, visits of dignitaries, etc.

(ii) *Flags.*—3 flags, one from each Service, are hoisted at a time. Total number of flags used during a year is 24.

(iii) *Wreaths.*—One wreath is placed every day. Besides the cost of gas cylinders, flags and wreaths, the total maintenance cost of Amar Jawar Jyoti includes expenditure on its upkeep.

(b) Tenders are not invited. Since gas cylinders are purchased from autho rised agents with the quantity/quality/rates fixed, there is no need to invit tenders for this purpose. Having regard to the amount involved, calling of ten ders is not considered necessary for the purchase of flags and wreaths, and thi is done from the open market.

दया याचिकायें

8254. **श्री बापूसाहिब परूलेकर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में "कन्डैम्ड" बन्दियों से कितनी दया-याचिकायें प्राप्त हुई और इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में राज्यवार कितनी-कितनी याचिकायें मंजूर की गयी और कितनी नामंजूर की गयी; और

(ग) कितनी याचिकाओं पर अभी निर्णय लिया जाना है और महाराष्ट्र की ऐसी याचकायें कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) से (ग) : विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2195/78।]

मधाओ नगर काटन मिल्स, सांगली द्वारा चोरबाजारी

8255. **श्री बापूसाहिब परूलेकर :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधाओ नगर काटन मिल्स, सांगली के एक अंशधारी और भूतपूर्व अधिकारी श्री वी० डी० पटवर्धन ने उनको लिखे अपने 19-8-77 के पत्र द्वारा गृह मंत्री से यह शिकायत की थी कि उक्त मिल के प्रबन्धकों द्वारा (एक) कोक (दो) सीमेन्ट (तीन) नियंत्रित धागे की चोरबाजारी की जा रही है;

(ख) क्या इस मिल के प्रबन्धकों द्वारा करघों की अनधिकृत बिक्री के बारे में भी शिकायत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईती) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Promotion of Hindi Stenographers in A.I.R.

8256. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the News Services Division of All India Radio there is great anomaly in the matter of promotion of Hindi and English Stenographers who are working in the same scale of pay;

(b) whether it is also a fact that English Stenographers are promoted to the post of Reporter and Hindi Stenographers are not promoted to this post even after working for a long period as Hindi Stenographers;

(c) whether it is also a fact that there are very few posts of Hindi Reporters in News Services Division with the result that qualified Hindi Stenographers are not promoted; and

(d) whether keeping in view the development of Hindi, Government propose to amend the rules soon so as to have uniform provision for Hindi and English Stenographers?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a): No, Sir.

(b) & (c): There are no posts of Reporters in Hindi or in English in News Services Division other than 8 posts of Reporters (English) in the Monitoring Unit of News Services Division. These posts are filled by promotion of Senior Grade Stenographers (English). There are no posts of Reporter (Hindi) since only English broadcasts are monitored at present.

(d) No such proposal is being considered.

जम्मू और कश्मीर राज्य में सेना के अधीन क्षेत्र

8257. **श्री अबदुल अहमद वकील** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य के अधीन सेना के अधीन कुल कितना क्षेत्र है और इसका जिलेवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि गुरेज के भूमि मालिकों को सेना के उपयोग वाली भूमी का अभी तक कोई किराया नहीं दिया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) उपलब्ध सूचनानुसार, जम्मू और कश्मीर राज्य में सेना के अधीन कुल 57,800 एकड़ भूमि है। इन भूमियों की स्थिति के बारे में जानकारी देना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) जम्मू और कश्मीर अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत गुरेज गांव में कुल 5,843 एकड़ क्षेत्र की तीन सम्पत्तियां ली गई है। इन सम्पत्तियों का 1,45.1.79 रुपए वार्षिक दर से 31-3-77 तक किराया अदा किया जा चुका है। 31-3-78 तक की अवधि का किराया अब देय हो गया है और स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों द्वारा इसे अदा कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3.45 एकड़ और भूमि भी सेना के कब्जे में है और इस भूमि को किराये पर लेने तथा देय किराए की अदायगी के बारे में प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

बड़े उद्योगों द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना

8258. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु क्षेत्र के उद्योगों को दी गई सुविधाओं को हड़पने के लिये बहुत से बड़े उद्योगों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लघु क्षेत्र के उद्योग स्थापित कर लिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : औद्योगिक विकास विभाग द्वारा 19 मई, 1975 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जिसमें लघु औद्योगिक एककों की परिभाषा में संशोधन किया गया था निम्नलिखित शर्त लगा दी गई है "बशर्ते कि इस प्रकार का कोई भी उपक्रम किसी अन्य उपक्रम की सहायक कम्पनी उसके स्वामित्व वाली कंपनी अथवा उसके नियंत्रण में आने वाला उपक्रम नहीं होगा"। इस शर्त तथा पहले जारी किए निदेशों द्वारा बड़े पैमाने की कम्पनी के सहायक अथवा सम्बद्ध सभी एकक जिनकी पूंजी का एक भाग उन कम्पनियों के स्वामित्व में है जो लघु उद्योगों की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती। जिन मामलों में एकक को दी गई अग्रिम राशि के लिए बड़े औद्योगिक एककों द्वारा गारन्टी दी गई है, ऐसे किसी भी एकक को सरकार के लघु उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने का हक नहीं होगा। अतः उद्योग निदेशकों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बड पैमाने की कंपनियों द्वारा स्थापित एककों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। यदि इसे सरकार की जानकारी में लाया जाता है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करके बडे एककों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से छोटे एककों की स्थापना की गई है तो लघु उद्योग एककों को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाएगी। जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन कर के स्थापित किए गए एककों की संख्या के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

इलैक्ट्रानिक्स टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट सेन्टर के निदेशक के विरूद्ध जांच

8259. **श्री भगत राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स टेस्टिंग एंड डेवेलपमेन्ट सेन्टर, जो चंडीगढ़ लघु उद्योग विकास निगम की सहायक कम्पनी है, के निदेशक के विरुद्ध उक्त सेन्टर के कारीगरों द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार और कदाचारों के अनेक आरोपों की जांच का आदेश दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह जांच कब शुरू की गई थी और जांच के लिए क्या कार्य विधि अपनाई गयी है;

(ग) क्या सम्बद्ध कारीगरों से चंडीगढ़ प्रशासन को ऐसी शिकायतें मिली है कि जांच शुरू होने के बाद निदेशक को उनसे द्वेष हो गया है और वह उनसे बदला लेने पर उतारू है; और

(घ) कारीगरों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं और जांच कब तक पूरी होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त ने इलैक्ट्रानिक्स टेस्टिंग एंड डेवलेपमेन्ट सेन्टर के निदेशक के विरुद्ध जांच का आदेश 21-6-77 को दिया और निदेशक, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ की जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ताओं से आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। वह संगत अभिलेखों की भी जांच करेंगे।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) निदेशक, इलेक्ट्रानिक्स टेस्टिंग एंड डेवलपमेन्ट सेन्टर, चंडीगढ़ के विरुद्ध जांच पूरी होने तक, लघु उद्योग विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक को उक्त केन्द्र के मामलों में विशेष दिलचस्पी लेने का निदेश दिया गया है। कारीगरों के हितों की पूरी सुरक्षा की जा रही है। जांच अधिकारी से शीघ्रतापूर्वक जांच पूरी करने के लिए कहा गया है। आशा है कि जांच जल्दी ही पूरी हो जाएगी।

झालावाड़ (राजस्थान) में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए राजसहायता

8260. **श्री चतुर्भुज :**

श्री राम कंवार बेरवा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झालावाड़ (राजस्थान) के पिछड़े जिले में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन पार्टियों अथवा फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त जिले में इस सहायता का लाभ उठाया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) राज्यों के मुख्य मंत्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद समिति के निर्णयों के अनुसरण में योजना आयोग ने देश में रियायती वित्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 247 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया है। झालावाड़ जिला यह सुविधा प्राप्त करने का पात्र है। यह योजना बैंकिंग विभाग द्वारा चालू की गई है। योजना आयोग ने इन 247 जिलों में से 101 जिलों/क्षेत्रों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के लिए पात्र चुना है। झालावाड़ जिला इस योजना के अंतर्गत नहीं आता। केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उद्योग निदेशकों के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री के विरुद्ध जांच

8261. **श्री के० मालन्ना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्नाटक के मुख्य मंत्री के विरुद्ध तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच नहीं कर सकता है जब तक राज्य मंत्री मंडल इसके लिए अपनी स्वीकृति न दे दें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : कर्नाटक सरकार ने अपनी दिनांक 3 अप्रैल, 1978 की अधिसूचना द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अधीन पहले दी गई अपनी उस सहमति को वापस ले लिया जिसके द्वारा विशेष पुलिस स्थापना कर्नाटक राज्य में अपनी शक्तियों तथा अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ थी। इस अधिसूचना को कानूनी विवधाओं का अध्ययन किया जा रहा है। ऐसा अध्ययन होने तक विशेष पुलिस स्थापना, कर्नाटक राज्य में मामलों को आगे जांच नहीं कर रही है। जिनमें श्री डी० देवराज अर्स तथा अन्यों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले भी शामिल है। अभियोग की स्वीकृति का प्रश्न इन जांचों के पूरा हो जाने के बाद उनके परिणामों को ध्यान में रखकर ही उठेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का भरा जाना

8262. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से अब तक उनके मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध और अधीन कार्यालयों में प्रत्येक श्रेणी के पदों में कुल कितने स्थान भरे गये और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों से कितने स्थान भरे गये तथा प्रत्येक श्रेणी में कितने पद अनारक्षित किये गये और इसके क्या कारण है; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी के पदों में कितनी विभागीय पदोन्नतियां की गयी/पदों का दर्जा बढ़ाया गया और इनमें से कितने स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्राप्त हुये ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख): सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रुग्ण कारखानों को पुनः सक्षम बनाना

8264 : श्री के० राममूर्ति : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त और रुग्ण औद्योगिक कारखानों को पुनः सक्षम बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ कदम निम्नलिखित है ।

1. इण्डस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना रुग्ण एककों को पुनः चलाने के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रयोजन से की गई आई० एफ० सी० आई० एवं आई०सी०आई०सी०आई० आदि जैसे अन्य सरकारी वित्तीय संस्थान भी रुग्ण औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता देकर और आवश्यक समझे जाने पर इन रुग्ण औद्योगिक एककों पर इन संस्थानों की बकाया राशि के भुगतान का फिर से समय निर्धारण करके उनकी सहायता करते हैं । केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत किसी औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध का अधिग्रहण कर सकती है, बशर्ते कि यह समाधान हो जाता है कि औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग तथा जनहित के लिए अहितकर ढंग से किया जा रहा है । यह, जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, उन रुग्ण एककों, जिनका प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनिमय) अधिनियम के अन्तर्गत हाथ में लिया गया है, के अधिग्रहण से पूर्व की देयताओं को भी स्थिर कर सकती है । कुछ राज्य सरकारों जैसे तमिलनाडू, केरल, महाराष्ट्र आदि ने उपक्रम सहायता अधिनियम (रिलीफ अन्डरटेकिंग ऐक्ट) बनाये है, जिनके अन्तर्गत किसी औद्योगिक उपक्रम की देयताएं, जो सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा एक रिलीफ अन्डरटेकिंग घोषित कर दिया जाता है, एक निर्धारित समय के लिए उसे वहीं पर रोक दिया जाता है ।

2. केन्द्रीय सरकार ने सुदृढ़ एककों के साथ रुग्ण एककों का विलय करने के लिय प्रोत्साहन के रूप में करों में रियायत देने की व्यवस्था कर आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन भी कर दिया है ।

3. औद्योगिक संकट ग्रस्तता के बारे में एक व्यापक नीति बनाने के लिये प्रारम्भिक अवस्था में ही संकट ग्रस्तता का पता लगाने हेतु एक समुचित संस्थागत व्यवस्था करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

Employees working in D.E.S.U. on Daily Wages

8265. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of employees who have been working on daily wages in the D.E.S.U. for the past two years and the rules made by Government in regard to their regularisation ; and

(b) the number of employees among the above employees already regularised and steps taken to regularise the rest of them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) & (b) : According to the information received from Delhi Electric Supply Undertaking, 473 workcharge employees have been working on daily wages during the last 2 years. According to an agreement with the Workers' Union, workcharge employees, who complete 2 years' continuous service, are considered for regularisation on the expiry of the quarter in which they complete 2 years' service subject to the availability of sanctioned posts. In accordance with this agreement, the cases of 131 employees for regularisation have been finalised by Delhi Electric Supply Undertaking. The cases of the remaining employees will be taken up when they complete two years' continuous service and when sanctioned posts are available

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों से वंचित करना

8266. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्णकालिक रोजगार में लगे अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के छात्रों को, उनकी आय तथा पारिवारिक दायित्वों पर विचार किये बिना ही, मट्रिकोत्तर छात्रवृतियों से पूरी तरह वंचित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन जातियों के पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त छात्रों पर उन्हीं साधन परीक्षणों को लागू करके जो बेरोजगार छात्रों पर लागू किये जाते हैं मैट्रिकोत्तर छात्रवृति देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान। पूर्णकालिक रोजगार में लगे छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की सीमा से निकाल दिया गया है चूंकि ऐसा समझा जाता है कि ये छात्र अपने अध्ययन का खर्च वहन कर सकते हैं और वित्तीय नियंत्रण के भीतर लाभ पूर्णकालिक छात्रों को अधिक जाने चाहिए।

(ग) और (घ) : जी नहीं, श्रीमन।

उर्वरक संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

8267. **श्री जनार्दन पुजारी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कम सप्लाई होने के कारण देश के उर्वरक संयंत्रों के कार्यकरण पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की सप्लाई सुधारने के लिए क्या प्रयास किये जा रह है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) देश के उर्वरक संयंत्रों को कोयले की सप्लाई में कमी के कारण भारी नुकसान होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथ्य तो यह है कि उर्वरक क्षेत्र को 1977-78 के दौरान की गई कोयले की सप्लाई गत वर्षो की सप्लाई से 24.7% अधिक रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर

8268 **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के बारे में राष्ट्रीय नीति बनाने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार से बात-चीत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने स्थानीय निवासियो के लिए रोजगार की कोई प्रतिशतता आरक्षित की है ?

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में कोई औपचारिक सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी राज्य द्वारा स्थानीय निवासियों के लिए रोजगारों को कोई आरक्षण नहीं किया गया है। किन्तु, रोजगार केन्द्रों में गैर-स्थानीय उम्मीदवारों के जीकरण के बारे में कुछ राज्य सरकारों ने कार्य-निष्पादन संबंधी कुछ प्रतिबंध जारी किए हैं।

विदेशों के राजनैतिक विचारों का भारतीय समाचारपत्रों में विज्ञापन किया जाना।

8269. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की कोई जानकारी सरकार को मिली है कि कुछ विदेशी सरकारें भारतीय समाचारपत्रों में अपने राजनैतिक विचारों के बारे में बड़े पैमाने पर विज्ञापन दे रही है;

(ख) क्या विज्ञापनों की राशि ऐसे समाचारपत्रों के लिए आमदनी का एक प्रमुख श्रोत है; ओर

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि भारतीय समाचार-पत्रों को विदेशी सरकारों से धनराशि प्राप्त न हो ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली दूरदर्शन से कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण

8270. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन का कृषि दर्शन कार्यक्रम कितने क्षेत्र तक देखा जा सकता है ;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र की सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यक्रम के प्रारम्भ से इन सलाहकार समितियों के उन सदस्यों के नाम और संख्या कितनी है जो वास्तव में किसान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा कवर किए जान वाल क्षेत्र में दिल्ली और निम्न लिखित जिलों के भाग शामिल है : रोहतक, गुढ़गावां, बुलन्दशहर, मेरठ, देहरादुन, सहारनपुर, मुजफरनगर, बिजनौर, गढ़वाल, अम्बाला, करनाल, टिहरी गढ़वाल, और मुरादाबाद तथा हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती भाग (हिमाचल प्रदेश दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के प्राथमिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है) ।

(ख) वर्तमान विषय समिति के सदस्यों के नाम तथा उनका ब्यौरा क्षेत्रानुसार

दिल्ली

1. श्री वीरेन्द्र प्रकाश, विकास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

हिमाचल प्रदेश

1. श्री जी० एस० चम्याल, कृषि निदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।

उत्तर प्रदेश

1. डा० डी. पी. सिंह, कुलपती, पन्तनगर, कृषि विश्वविद्यालय ।
2. श्री एच. पी. सिंह, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

हरियाणा

1. श्री डी. पी. लाम्बा, कुलपति, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ।
2. श्री एस. आर. मित्तल, कृषि निदेशक, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

वास्तविक किसान :

1. श्री अजित पाल सिंह, प्रगतिशील किसान, कलानौर, जिला रोहतक, (हरियाणा) ।

अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि :

(1) **भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद**

1. डॉ० एस. के. शर्मा, सहायक महानिदेशक, कृषि भवन, नई दिल्ली ।

2. डा० जी. डी. मुदगिल, पोषाहार प्रभाग, राष्ट्रीय डायरी अनुसन्धान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद) करनाल ।

(2) **भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान**

1. डा० के. एन. सिंह, विस्तार प्रभाग प्रमुख, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, पुसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली ।

2. श्री आर. के. छिब्बर, कृषि वैज्ञानिक, रसायन प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, पुसा इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली ।

(3) **भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन**

1. श्री. डी. के. चतुर्वेदी, उप परियोजना प्रबन्धक, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन, अहमदाबाद ।

(4) **आकाशवाणी**

1. डा० ए० डब्लू खान, निदेशक, कृषि और गृह, आकाशवाणी, नई दिल्ली ।

(5) **पत्रकार**

1. श्री जे० एल० भट्ट, सम्पादक, बीज और कृषि, केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन पुसा, नई दिल्ली ।

(ग) रोहतक के एक श्री रमेश वत्रा 1967 से 1977 तक और कलानौर, (जिला रोहतक) के श्री अजीत पाल सिंह 1977 से आगे ।

पोर्टलैण्ड सीमेंट का विकल्प

8271. **श्री के० मालन्ना :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्टलैंड सीमेंट के स्थान पर एक नये प्रभावकारी विकल्प का विकास कर लिया गया है जिसका सीमेंट उद्योग तथा आम तौर से ग्रामों पर आधारित उद्योगों पर काफी प्रभाव पडेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता

8272. **श्री के. मालन्ना :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी स्वामित्व की भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का विचार अपनी उपकरण उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है और इसको कितनी वृद्धि करने की योजना बनाई गई है और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा और इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रक्षा मंत्रालय ने भी भारत इलक्ट्रानिक्स लिमिटेड से आवश्यकताओं को पूरा करने की मांग की है ; और

(घ) सेना के साज सामान की ऐसी वस्तूओं का ब्यौरा क्या है जिसमें रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर हो गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। लेकिन अगले कुछ वर्षों के लिए अपनी निर्धारित योजना के भाग के रूप में भारत इलैक्ट्रानिक्स अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

(ख) उपस्कर उत्पादन की वर्तमान क्षमता लगभग 60 करोड़ रुपये वार्षिक की है। भारत इलक्ट्रानिक्स से क्षमता बढ़ाने की योजना के बारे में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जायेगा।

(ग) इस यूनिट की स्थापना मुख्यतया रक्षा सेवाओं की मांग पूरी करने के लिए की गई थी।

(घ) रक्षा उत्पादन यूनिटों ने हमारी सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता के सभी क्षेत्रों में काफी हद तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है जिनमें आधुनिक लडाकू विमान, युद्धपोत, टैंक, और अन्य गाडियां, आधुनिकतम रेडार और संचार तथा तोप नियंत्रण उपस्कर, फील्ड, माउंटेन, विमान भेदी, टैंक भेदी अन्य तोपें, प्रक्षेपास्त्र, राकेट और प्रणोदक, रसायन और विस्फोटक, छोटे हथियार और वास्तव में तीनों सेनाओं के लिए हर प्रकार के गोला-बारुद शामिल है।

डा० श्यामा प्रसाद मूखर्जी और पंडित दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु के बारे में जांच

8273. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :**
श्री ईश्वर चौधरी :
डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला ने कलकत्ते में फरवरी 1978 को कहा था कि वह डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नजरबंदी के दौरान हुई मृत्यु के बारे में जांच का स्वागत करेंगे ;

(ख) क्या सरकार का विचार एक उच्च शक्ति प्राप्त जांच समिति द्वारा इस मामले की जांच कराने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार पंडित दीन दयाल उपाध्याय की रहस्यपूर्ण मृत्यु के बारे में भी जांच कराने का है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) राज्य सरकार के अनुसार, जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री ने कलकत्ते में ऐसा कोई बयान नहीं दिया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) : इस सदन में दिनांक 16-11-1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

हाथ घड़ियों की मांग

8274. **श्री सरत कार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाथ घड़ियों की कुल कितनी मांग है ;

(ख) किन प्रचलित घड़ियों की अधिक मांग है और स्वदेशी उत्पादन द्वारा मांग कहां तक पूरी की जा रही है; और

(ग) घड़ियों की समस्त मांग कब तक पूरी होने की आशा है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति आभा माईति) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि हाथ की घड़ियों की वर्तमान मांग प्रतिवर्ष 40 और 50 लाख के बीच होगी और आगामी वर्षों में इस के 80 लाख से 1 करोड़ तक बढ़ जाने की आशा है ?

(ख) सरकार ने उन घड़ियों के नामों का, जिनकी देश में अधिक मांग है, पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। तथापि, मैसर्स एच० एम० टी० बंगलौर द्वारा निर्मित घड़ियां उपभोक्ताओं में काफी लोकप्रिय है । इसके अतिरिक्त, अन्य स्वदेशी निर्माताओं द्वारा बनाई गई घड़ियां भी उपभोक्ताओं में लोकप्रिय हो रही है । वर्ष 1977 के दौरान हाथ की लगभग 30 लाख घड़ियों की स्थानीय मांग को स्वदेशी घड़ी एककों द्वारा पूरा किया गया ।

(ग) आशा की जाती है कि मैसर्स एच० एम० टी०, बंगलौर के विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन से तथा निजी, संगठित तथा लघु क्षेत्र में बहुत से घड़ी एककों की स्थापना के फलस्वरूप घड़ियों की स्वदेशी मांग पर्याप्त रूप से पूरी की जा सकेगी ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की चयन तथा अन्य समितियां में मनोनयन

8275. **श्री सरत कार** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) ऐसे कितने व्यक्ति है जिन्हें तीन कार्य-काल से अधिक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की चयन तथा अन्य समितियों के लिये मनोनीत किया गया है ;

(ख) उड़ीसा प्रदेश के कितने व्यक्ति है जिन्हें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की विभिन्न समितियों में नियुक्त किया गया है;

(ग) ऐसे राज्यों के नाम क्या है जहां से इन समितियों में किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है ; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में, चयन समितियों का गठन एक समय के एक विशिष्ठ कार्य के लिए किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार मुख्य कार्यालय की अन्य समितियों में तीन कार्यकाल से अधिक पांच व्यक्ति सदस्य रहे है ।

(ख) चार

(ग) (एक) हिमाचल प्रदेश, (दो) त्रिपुरा, (तीन) मेघालय, (चार) नागालैण्ड, (पांच) मीज़ोरम, (छ) अरुणाचल प्रदेश और (सात) सिक्कीम ।

(घ) विभिन्न विषयों में उनकी विशेष योग्यताओं के आधार पर विशेषज्ञों को मनोनीत किया जाता है ।

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

8276. **श्री एस० एस० सोमाणी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने राज्य में कुछ और उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सरकार के अनुरोध के बारे में क्या ब्योरा है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) : राजस्थान सरकार ने राज्य में केन्द्र द्वारा सरकारी कुछ परियोजनाएं स्थापित किये जाने का एक सामान्य सुझाव दिया है । राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया है कि भारतीय टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित एककों में से एक एकक राजस्थान में भी स्थापित किया जाए। सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय औद्योगिक परियोजना के स्थापना स्थल के निर्णय तकनीकी आर्थिक आधार पर किए जाते है। नई आई० टी० आई० परियोजना की स्थापना करने संबंधी निर्णय लेते समय राजस्थान सरकार के विचारों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

आकाशवाणी द्वारा वाणिज्यक विज्ञापनों के माध्यम से अर्जित राजस्व

8277. **श्री एस० एस० सोमाणी** :
श्री रामदेव सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अर्थात् वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए विज्ञापनों से आकाशवाणी के वाणिज्यिक प्रसारण डिवीजन द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(ख) एजेंसियों को वर्षवार और एजेंसीवार कितनी राशि का कमीशन दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सूचना नीचे दी गई है:—

वर्ष	कुल राजस्व
1974-75	5,27,23,456 रुपए
1975-76	6,11,52,938 रुपए
1976-77	6,40,26,932 रुपए

(ख) क्योंकि वैयक्तिक एजेंसियों से संबंधित सूचना गोपनिय है और उसको प्रकट नहीं किया जा सकता, अतः एजेंसियों के कमीशन की कुल राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	दिए गए कमीशन की कुल राशि
1974-75	78,14,929 रुपए
1975-76	90,00,940 रुपए
1976-77	95,15,663 रुपए

गुजरात के लिए राष्ट्रीय राजपथों के लिए निर्धारित लक्ष्य

8278. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य 1961-1981 की अवधि के लिए नियत न्यूनतम लक्ष्य प्राप्त करने के मामले में लगभग 60 प्रतिशत पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार कुछ मुख्य एवं ट्रंक सड़कों को शीघ्र ही राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने वाली है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार और कब; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) : संभवतया प्रश्न में उल्लिखित 1961-81 लक्ष्य भारत के लिए सड़क विकास योजना (1961-81) पर मुख्य इंजीनियरों की रिपोर्ट में सुझाई गयी 20 वर्षीय योजना से संबंधित है। इस बात के अलावा कि भारत सरकार मुख्य इंजीनियरों द्वारा सुझाई गयी उपरोक्त योजना के लिए वचनबद्ध नहीं है, उस योजना में किसी एक राज्य के लिए, जिसमें गुजरात भी शामिल है, अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। इसमें केवल सम्पूर्ण देश के लिए लक्ष्य दिखाए गए है। यदि रिपोर्ट की सिफारिशों पर पूर्ण रूप से विचार भी करें तो उनका कार्यान्वियन बहुत सी बातों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ, संसाधनों की उपलब्धता भी शामिल है।

वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं के कारण केन्द्रीय सरकार किसी नयी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं कर सकती।

राज्यों की छठी योजना पर टिप्पणियां

8279. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अथवा अधिक राज्य सरकारों ने छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर अपनी प्रतिक्रियाएं अधिकृत रूप से केन्द्र को प्रेषित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के सुझाव आदि स्वीकार कर लिए है ;

(घ) यदि हां, तो उसके मुख्य संकेत क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ) : मुख्य मंत्रियों ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल में हुई बैठक में 1978-83 की योजना के प्रारूप के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे। राज्य सरकारों द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप तैयार कर लिए जाने के बाद, राज्य योजनाओं में परियोजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में और अधिक विस्तार से विचार-विमर्श जल्दी ही किया जाएगा। मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को योजना आयोग योजना को अंतिम रूप देते समय स्वाभाविक रूप से ध्यान में रखेगा।

कार्यकारण के 50 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष में आकाशवाणी द्वारा आयोजित किये गये कार्यक्रम

8280. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने हाल ही में अपने कार्यकरण के प्रथम पचास वर्ष पूरे कर लिए है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई विशेष कार्यक्रम और रूपक (फीचर) आयोजित और प्रसारित किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत में संगठित प्रसारण एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा 1927 में आरंभ किया गया था। भारत में प्रसारण के 50 वर्ष संबंधी समारोह निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए थे :—

(1)	बम्बई . . .	23–7–1977
(2)	कलकत्ता	26–8–1977
(3)	मद्रास	8–1–1978
(4)	दिल्ली	30–3–1978

आकाशवाणी ने अपने प्रसारण के प्रथम 50 वर्ष अभी पूरे नहीं किए है, क्योंकि यह 1937 में अस्तित्व में आई थी।

(ख) इस बारे में विशेष कार्यक्रमों और रुपकों की व्यवस्था की गई थी और उन्हें प्रसारित किया गया था।

(ग) ब्यौरा परिशिष्ट-1 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2196/78]

सैनिक अधिकारियों के वेतनमानों को भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों के बराबर करना

8281. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अधिकारियों के वेतन-मानों को भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों तथा भत्तों के बराबर करने की उनकी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के वेतन-मानों को गुणावगुणों के आधार पर समय समय पर संशोधित किया जाता है। इस समय किसी प्रकार के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वायु सेना के विमानों में दुर्घटनाओं और घटनाओं की संख्या

8282. **श्री यादवेन्द्र दत** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 की अवधि के दौरान सभी किस्म के वायु सेना के विमानों की कितनी दुर्घटनायें और घटनायें हुई थी ;

(ख) इनमें किस किस्म के विमान संबद्ध थे ; और

(ग) कितनी दुर्घटनाओं और घटनाओं में विमान चालक पैराशूट से उतरे थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) पहली जनवरी 1977 से 31 दिसम्बर 1977 की अवधि में प्रति दस हजार उड़ान घन्टों में दुर्घटनाओं की संख्या 3.85 है, इन उड़ानों में विभिन्न प्रकार के विमानों का उपयोग किया गया था। इस बारे में और अधिक ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

Hindi Typists and Stenographers in Prime Minister's Office

8283. **Shri Shambhu Nath Chaturvedi :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total number of trained Hindi typists and Hindi stenographers, separately, in the Prime Minister's Office at present ;

(b) the number of typists and stenographers among them whose services are being fully utilised for Hindi work ;

(c) the reasons for not utilising the services of rest of such Hindi typists and stenographers; and

(d) whether any scheme has been formulated for their utilisation and if so, the details thereof?

Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) 7 and 11 respectively.

(b) 3 and 1 respectively.

(c) & (d): The present staff engaged in Hindi typewriting and stenography is adequate for the quantum of work arising in Hindi in this Office but services of some stenographers are utilised for work both in Hindi and in English whenever need arises.

Names of Publications and Newspapers

†8284. **Shri Shambhu Nath Chaturvedi:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the names of the publications and newspapers and magazines brought out by the Ministry/Department in 1977;

(b) the number of the publications, newspaper and magazines, out of them, brought out in Hindi also and the reasons for those not publishing in Hindi the remaining ones;

(c) whether it is proposed to bring out all such publications and newspapers and magazines in Hindi which are still being brought out in English; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) The following are the names of the publications brought out by the Ministry of Shipping and Transport in 1977:—

(i) Economic Statistics of Indian Overseas Shipping 1975-76.

(ii) Economic Statistics of Indian Ship building and Ship repairing industries 1975-76.

(iii) Basic Road Statistics of India 1974-75.

(iv) Demands for Grants of the Ministry of Shipping and Transport for 1977-78.

(v) Performance Budget of the Ministry of Shipping and Transport for 1977-78.

(vi) Annual Report of the Ministry of Shipping and Transport for 1976-77.

No newspapers and magazines were brought out by the Ministry in 1977.

(b) to (d): Out of the above mentioned six publications, those mentioned at item Nos. (iv), (v) and (vi) were brought out in Hindi also. Action is being taken to bring out the publication mentioned at item No. (iii) in Hindi also. The remaining two publications were not brought out in Hindi on the ground that they are of a specialised nature and are used in other countries in the ESCAP region and elsewhere. However, instructions are being issued for bringing out these publications also in Hindi in future.

कसौली में दूरदर्शन केन्द्र का स्थापित किया जाना

8285. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कसौली में दूरदर्शन ट्रान्समीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ट्रान्समीटर में कितना क्षेत्र सामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) ट्रान्समीटर केन्द्र कब तक स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) ट्रान्समीटर 10 किलोवाट शक्ति का होगा। यह जलन्धर दूरदर्शन केन्द्र के चालू होने पर उसके कार्यक्रम रिले करेगा। परियोजना पर 130 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) कसौली का ट्रान्समीटर पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 13,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (मसूरी और जलन्धर के सेवा क्षेत्र को छोडकर) में सेवा प्रदान करेगा। इसके अलावा यह ट्रान्समीटर हिमाचल प्रदेश के कतिपय पर्वतीय क्षेत्रों में भी सेवा प्रदान करेगा जिसकी सेवा का पता ट्रान्समीटर के चालू हो जाने के बाद क्षेत्रीय शक्ति सर्वेक्षण के माध्यम से ही किया जा सकता है।

(घ) 1980-81 तक।

श्रोता सम्पर्क पर आकाशवाणी द्वारा व्यय की गई धनराशि

8286. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश पर्यन्त श्रोता सम्पर्क पर आकाश वाणी द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) मनोरंजन तथा सूचना प्रसारण के लिए क्रमश: कितना-कितना समय प्रतिदिन दिया जाता है; और

(ग) श्रोताओं को प्रेरणा तथा शिक्षा देने के लिए एवं कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) देश भर में आकाश वाणी द्वारा श्रोता अनुसंधान किए जाने के लिए वर्ष 1977-78 के लिए 10,45,000 रुपये का अंतिम अनुदान था। खर्च की गई वास्तविक राशि अभी तक संकलित नहीं की गई है और जैसे ही यह तैयार हो जायेगी उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) 1977 के दौरान घरेलू और वैदेशिक सेवाओं (विज्ञापन सेवा को छोड़कर) में प्रतिदिन प्रसारण की औसत अवधि इस प्रकार की :–

(1) मनोरंजन	443 घंटे	44 मिनट
(2) सूचना	468 घंटे	57 मिनट
(3) सूचना व मनोरंजन	110 घंटे	57 मिनट

(ग) आकाशवाणी से इस प्रकार के कार्यक्रम समाचारों, समाचार कमेंटियों त ा वार्ताओं और चर्चाओं, तथा कृषकों, युवा छात्रों, औद्योगिक श्रमिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए विषेश कार्यक्रमों और विज्ञान कार्यक्रमों के माध्यम से पहले ही प्रसारित हो रहे हैं। मद्य निषेध अस्पृश्यता उन्मूलन, परिवार कल्याण आदि जैसे विषयों पर भी विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं;

बिरला उद्योग समूह की अधिष्ठापित क्षमता का विस्तार

8287. **श्री के० राममूर्ति : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को प्रस्तुत की गई बिरला उद्योग समूह की अधिष्ठापित क्षमता के विस्तार संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है; और

(ग) किन-किन योजनाओं का अनुमोदन नहीं किया गया है और इन्हें मंजूर किये जाने के क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : 1-1-77 से 31-3-1978 की अवधि में बिरला उद्योग समुह द्वारा नियन्त्रित उद्योगों से पर्याप्त विस्तार करने के लिए 8 लाइसेन्स आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 2 प्रकरणों में स्वीकृति दे दी गई थी 2 रद्द कर दिए गए तथा 1 का अन्यथा निपटान कर दिया गया। 3 आवेदन पत्र विचारार्थ निलम्बित है। रद्द करने का आधार पर्याप्त क्षमता का पहले ही लाइसेन्सीकृत किया जाना है। स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा "वीकली बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेंन्सिस, इम्पोर्ट लाइसेंन्सिस एण्ड एक्पोर्ट लाइसान्सस" और "मंथ ी लिस्ट आफ लैटर्स आफ इन्टेन्ट" में प्रकाशित किया जाता है। संसद के पुस्तकालय में इन प्रकाशनों की प्रतिलिपियां उपलब्ध है।

Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in Delhi Administration

8288. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2900 on 7th December, 1977 regarding scheduled Caste/Tribe employees in Delhi Administration and state :

(a) whether requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay and when the requisite information will be collected and action will be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) to (c): Requisite information has been obtained from the Delhi Administration and is being scrutinised. The information will be laid on the table of House shortly in fulfilment of the Assurance given in answer to Unstarred Question No. 2900 dated the 7th December, 1977.

Appointment of an I. F. S. Officer on the Post of Principal Information Officer

8289. **Shri Ram Sewak Hazari:**
Shri M. Ram Gopal Reddy:
Shri Janardhan Poojary:
Shri Jyotirmoy Bosu:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the officers of the Central Information Service have expressed their resentment against the appointment of an I.F.S. officer on the post of Principal Information Officer;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the action being taken by Government to safeguard their interests?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) The Central Information Service Association have made a representation to the Government in this connection.

(b) The representation is engaging the attention of the Government.

(c) Does not arise.

Pak Spies arrested in Jammu and Kashmir

8290. **Shri Ram Sewak Hazari:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleasd to state:

(a) whether 6 Pakistani spies have been arrested in Jammu and Kashmir area recently;

(b) the outcome of the interrogations made from them; and

(c) the measures being taken by Government to check the activities of such spies?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) According to the information received from the Government of Jammu and Kashmir 6 suspected Pak agents have been arrested so far in the calendar year, 1978.

(b) It would not be in the public interest to disclose this information.

(c) Government are vigilant.

Merger of Chandigarh with Punjab

8291. **Shri Ram Sewak Hazari:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether demand for merger of Chandigarh with Punjab is again gaining momentum;

(b) if so, the measures proposed to be taken by Government in this direction; and

(c) the steps being taken by Government to resolve this dispute at an early date?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) to (c): Some reports on this subject have come to the notice of the Government.

Government are keen to solve all such outstanding issues, but since this issue is inter-State in character, the Government feel that a mutually satisfactory solution should emerge with the willing cooperation of all and consensus among the State Governments concerned.

Earning of Foreign Exchange by Export of Defence Goods

8292. **Shri Ram Sewak Hazari:**
Shri S. S. Somani:
Shri P. Rajagopal Naidu:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the foreign exchange earned by the export of defence goods in 1977-78;

(b) how this amount compares with the amount earned during the last three years; and

(c) the goods imported by India and expenditure incurred thereon?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) to (c): Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

फरक्का में सुपर तापीय बिजली घर

8293. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री ने कुछ समय पूर्व उन्हें एक पत्र लिखा था जिसमें अनुरोध किया गया था कि फरक्का में 1200 मेगावाट क्षमता के एक सुपर तापीय बिजली घर की मंजूरी दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) उक्त अभ्यावेदन पर यदि कोई कार्रवाई की गई है तो क्या ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : 1200 मेगावाट की क्षमता वाली फरक्का सुपर ताप विद्युत् परियोजना को शीघ्रता से स्वीकृति देने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री ने अपने पत्र में अनुरोध किया था । फरक्का सुपर ताप विद्युत् परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम द्वारा तैयार कर ली गई है तथा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी गयी है । केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा परियोजना का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना है कि ईंधन जैसे सभी निवेशों तथा शीतलन जल की आपूर्ति को पूर्ण रूप से लिंक कर दिया गया है तथा विद्युत् विकास के लिए समग्र क्षेत्रीय कार्यक्रम में इस परियोजना की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए इसका तकनीकी-आर्थिक औचित्य ठहरता है ।

स्थानीय निकायों द्वारा लघु सिमेंट संयंत्र स्थापित किया जाना

8294. **श्री डी०डी० देसाई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने स्थानीय निकायों द्वारा लघु सीमेंट संयंत्र आरम्भ किये जाने का समर्थन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे संयंत्र स्थापीय करने हेतु जानकारी की आवश्यकता है ;

(ग) क्या वह समझते है कि स्थानोय निकाय आवश्यक धन जुटा सकते है ; और

(घ) क्या सरकार ने लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) सरकार केवल सीमेंट की क्षमता में वृद्धि करने के लिए हो नही अपितु सुदुर स्थित पिछडे क्षेत्रों की आवश्यकताय पुरी करने के लिए भी यह चाहती है कि देश में मिनी सीमेंट संयंत्रों की अधिकाधिक संख्या में स्थापना की जाये । सरकारने निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा स्थानोय निकायों द्वारा मिनी सिमेंट संयंत्रों की स्थापना का स्वागत किया है ।

(ख) और (घ) : सरकार ने मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रौद्योगिकी और प्रोत्साहनों को जांच करने और सिफारिश करने के लिए समितियां स्थापित की है ।

(ग) यह स्थानोय निकाय के वित्तीय स्तर और उसके द्वारा स्थापित किये जाने वाले संयन्त्र की क्षमता पर निर्भर करेगा ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 और 47

8295. **श्री जार्ज मैथ्यु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार केरल राज्य में प्रवेश होने वाले दो राष्ट्रीय राजपथों की अर्थात् राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 तथा राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 की उनके दक्षिण त्रिवेन्द्रम में राज्य की राजधानी तक पहुंचने तक दो अलग राजपथ मानने को तैयार है; और

(ख) यदि हां तो क्या राज्य सरकार के राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 को अंगमल्ली से बरास्ता, मुवत्तुपुझा, कोट्टायाम, कोट्टाराकारा, त्रिवेन्द्रम बनाने के सुझाव को स्वीकार करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : इस समय राष्ट्रीय राज-मार्ग 47 सलेम से शुरु होकर कोयम्बटूर, त्रिचुर, एडापल्ली, कोचोन, एलाप्पी, कीलोन, त्रिवेन्द्रम से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 महाराष्ट्र में पनवेल से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर एडापल्ली में समाप्त होती है ।

राज्य सरकार का प्रस्ताव अंगमल्ली-मुवत्तुपुझा, कोट्टायम, कोट्टाराकारा, त्रिवेन्द्रम सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है। वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं के कारण भारत सरकार इस समय किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए अपने हाथ में नहीं ले सकती।

आरक्षणों के बारे में कार्यवाही करने वाले अधिकारी

8296. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अधिकारियों की ऐसी भूलचूक को कानून के अधीन दण्डनीय अपराध बनाने के लिए, जो सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के विरुद्ध हैं, संसद् के इसी सत्र में विधेयक पेश करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी उपक्रमों आदि के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण तथा रियायतें संविधान के अनुच्छेद 335 के साथ पठित अनुच्छेद 16(4) के प्रावधानों के अनुसरण में कार्यपालक अनुदेशों द्वारा दी गई है तथा उनमें कानून जितना ही बल है। इन अनुदेशों का सभी नियुक्तीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य रुप से पालन किया जाना आवश्यक है। कार्यपालक अनुदेशों के जरिए किए गए आरक्षणों तथा रियायतों में लचीलेपन का गुण है, क्योंकि उन्हें जब भी आवश्यक हों बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप बढाया जा सकता है, आशोधित अथवा संशोधित किया जा सकता है। इसलिए, यदि विधान का अधिनियमित किया जाना संभव भी हो, तो भी इस प्रयोजन के लिए ऐसे विधान के बनाए जाने में कोई विशेष लाभ नहीं हो सकेगा। कार्यपालक अनुदेशों के जरिए जारी किए गए अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षणों तथा रियायतों से सम्बधित नियमों तथा विनियमों की वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक पाई गयी है। सम्बधित अनुदेशों के अनुपालन न किए जाने पर प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी तथा मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जब कभी अनुपालन न किए जाने के मामले उनके नोटिस में लाए जाएं तो उनकी गम्भीरता से पुःनरीक्षा की जाए तथा उनपर तत्काल कार्रवाई की जाए। फिर, ऐसे किसी विधान के लागू करने में व्यावहारिक प्रशासनिक कठिनाइयां भी होंगी।

प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरणों द्वारा भरे गये पदों में आरक्षण

8297. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न ग्रेडों/सेवाओं में प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरणों द्वारा भरे गये पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे ग्रेडों अथवा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण में कमी की पूर्ति करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की योजना प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू नहो हैं, क्योंकि प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले ऐसे पदों के स्वरूप के कारण ही उनके लिए चयन उन उपयुक्त उम्मीदवारों में से सर्वोत्तम उम्मीदवारों का करना होता है जो अर्हताओं, अनुभव आदि के संबंध में पदों को विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो । इसके अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गए पद भी प्रायः निर्धारित अवधियों के लिए ही भरे जाते है । फिर भी इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्तियों में जो सामान्यतः सीधी भर्ती अथवा पदोन्नती द्वारा भरी जाती है, आरक्षण की योजना लागू होती है । किन्तु ऐसे अनुदेश पहले ही विद्यमान है जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के पात्र उम्मीदवारों के लिए भी अन्य उम्मीदवारों के साथ विधिवत विचार किया जाए । हाल ही में इस आशय के अनुदेश भी जारी किए गए है कि जब किसी मंत्रालय/कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों की संख्या काफी अधिक हो, तो नियोक्ता प्राधिकारी की यह देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि उचित अनुपात में ऐसे पदों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित जनजातियों के कर्मचारियों द्वारा भरा जाता है, बशर्ते कि इन वर्गो के अर्हता-प्राप्त व्यक्ति फीडर संवर्गो में उपलब्ध हों ।

स्कूटर इंडिया लिमिटेड, सरोजिनी नगर, लखनऊ द्वारा बैंकों में जमा राशि

8298. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर इंडिया लिमिटेड, सरोजिनी नगर, लखनऊ ने विजय बैंक तथा इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ में अपने चालू-खातों में, करोड़ों रुपये जमा करा रखे है जब कि उसने 16 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण लिया था ;

(ख) क्या प्राइवेट बैंकों में उक्त राशि स्कूटर इंडिया के उच्च अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके जमा की गई है ;

(ग) प्राइवेट बैंक में इतनी बड़ी राशि चालू-खाते में जमा कराये जाने तथा इसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते में जमा न कराय जाने के क्या कारण है ;

(घ) क्या यह भी एक कारण था कि स्कूटर इंडिया को पीछे करोड़ों रुपये की हानि हुई थी ; और

(ङ) क्या स्कूटर इंडिया अथवा सरकार को हुई हानि की वसूली अविवेकी अधिकारियों से की जायेगी अथवा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, सरोजिनी नगर, लखनऊ का विजया बैंक में किसी प्रकार का खाता नहीं है । इण्डियन ओवरसीज बैंक में उनका एक कैश क्रेडिट अकाउंट और एक चालू खाता है । चालू खाता केवल वेतन के

10—141 L.S.S./ND/78

प्रयोजनों के लिए रखा जाता है, जिसमें श्रमिकों और स्टाफ को वेतन एवं मजूरी का भुगतान करने के लिए धन जमा किया जाता है। कैश क्रेडिट अकाउंट में 31-3-78 को 94.44 लाख रुपये की राशि उधार बकाया थी। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का भविष्य निधि न्यास जमा पी० एफ० की जमा राशि के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक में एक अलग बचत बैंक खाता है। इस खाते से भारत सरकार के विनियमनों के अनुसार निवेश किये जाते हैं। ये निधियां कम्पनी के कार्य संचालन के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं।

(ख) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा किसी भी गैर-सरकारी बैंक में धन जमा नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Setting up of Cement Industries in Rajasthan

8300. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether a representation has been submitted by the Rajasthan Industrial and Mineral Development Corporation to the Central Government for setting up 20 cement factories in the State and if so, the date on which said representation was received and the number of factories sanctioned ;

(b) whether while according sanction, he will instruct that the said factories may be set up in those districts where there is no industry in district headquarters, which is in accordance with Janata Government's policy ;

(c) whether Survey Department does not consider Atru, District Kota (Rajasthan), Jhalawar Region, Chabra, District Kota as suitable places in this regard ; and

(d) if so, whether he will accept the representation in respect of the said backward area ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) No representation for setting up 20 cement factories from the Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation has been received by the Government. However, applications for setting up five mini cement plants at Nimkathana (Sikkar), Bilara (Jodhpur), Kotputli (Jaipur), Ras (Pali), Alesod (Sirohi) have been received and are being examined by the Government.

(b) Does not arise.

(c) & (d) : Cement Research Institute of India surveyed the possible sites in Rajasthan and sites at Atru, Jhalabar region, Chabra (district Kota) were not considered suitable sites.

No permission for setting up of 100 Powerlooms in Bhawani Mandi, Rajasthan

8301. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government of India is not giving permission to set up powerlooms at present and if so, the reasons therefor and whether it is not against the Government's policy announced on 23-12-77 ; and

(b) the reasons due to which permission is not being given to set up 100 powerlooms under small scale industries in Bhawani Mandi (Rajasthan) when skilled persons are available there ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) and (b): The policy of Government as announced on 23-12-1977 does not envisage any expansion in the weaving capacity in the organised mill or power-loom sector as it is felt that the Handloom/khadi sector should be utilised to meet the additional demand for cloth and thus generate employment potential in the rural areas.

पंजीकृत श्रमिक संघों में पत्तन श्रमिकों के सदस्यों की संख्या

8302. **श्री के० लकप्पा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 तक पंजीकृत विभिन्न श्रमिक संघों के पत्तन श्रमिकों की सदस्यता और पारादीप पत्तन न्यास के अधीन कार्य कर रहे पारादीप पत्तन श्रमिक संघों के गुटों की सत्यापन रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पंजीकृत श्रमिक संघों तथा पारादीप पत्तन न्यास के अधीन कार्य कर रहे पारादीप पत्तन श्रमिकों के गुटों में पत्तन श्रमिकों के सत्यापित सदस्यों की संख्या कितनी है; और

(ग) नन्दा फार्मूला के अनुसार पारादीप पत्तन न्यास बोर्ड में विभिन्न युनियनों अथवा युनियनों के गुटों को श्रमन्यासियों की कितनी सीटें आबंटित की गयी हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) श्रम मंत्रालय से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार पारादीप पत्तन म पत्तन कर्मचारियों में सत्यापित सदस्यता संख्या निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	संघ का नाम	पत्तन कर्मचारियों में संघ की सत्यापित सदस्यता
1. (i)	पारादीप पत्तन कर्मचारी संघ (श्री निशामनी गुटियां का ग्रुप)	1528
(ii)	पारादीप पत्तन कर्मचारी संघ (प्रद्युमन बाल का ग्रुप) .	510
2.	पारादीप पत्तन श्रमिक संघ	280
3.	पारादीप श्रमिक कांग्रेस	170
4.	पारादीप पत्तन अनुसचिवीय कर्मचारी संघ	पूरा रिकार्ड नहीं दिया गया
	योग .	2488

परन्तु इस सत्यापन पर उड़ीसा से 12 संसद सदस्यों ने विवाद उठाया है।

(ग) उड़ीसा से 12 संसद सदस्यों ने अभ्यावेदन दिया है जिसमें यह बताया है कि सत्यापन ठीक से नहीं किया गया है। इस से पूर्व कि पत्तन न्यास बोर्ड पर श्रम न्यासियों की नियुक्तियां की जाये। सम्पूर्ण प्रश्न की और जांच की जा रही है।

ददवाड़ा में हनुमान मन्दिर

8303. **श्री लालजी भाई :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा (राजस्थान) के ददवाड़ा क्षेत्र में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां 'दर्शन' के लिये प्रतिदिन सैंकड़ों भक्त जाते हैं लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसके आस-पास की जमीन अधिगृहीत कर ली है और मंदिर जाने के रास्ते को बन्द कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप लोगों में भारी रोष है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख): कोटा (राजस्थान) के ददवाड़ा क्षेत्र में हनुमानजी का एक मन्दिर है जिसे रक्षा भूमि पर बनाया गया था। यह सच नहीं है कि मन्दिर के आस-पास की भूमि पर नये निर्माण कर दिये जाने के कारण मन्दिर जाने का रास्ता बन्द कर दिया गया है। इस बारे में स्थानीय जनता से भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए है।

ग्वालियर में आकाशवाणी तथा टेलीविजन के लिए संगीत अकादमी स्टुडियों की स्थापना

8304. **श्री माधवराव सिन्धिया:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में ग्वालियर में रेडियो तथा टेलीविजन के लिए संगीत अकादमी स्टुडियो स्थापित करने पर विचार कर रहीं है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में मध्य प्रदेश राज्य तथा ग्वालियर शहर के प्रमुख नागरिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) : ग्वालियर में आकाशवाणी के स्टुडियो और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एक अभ्यावेदन संगीत अकादमी स्थापित करने के लिए भी था।

आकाशवाणी ग्वालियर के लिए स्टुडियो स्थापित करने की योजना को फिलहाल कार्यान्वित किया जा रहा है। उम्मीद है स्टुडियो 1980 तक तैयार हो जायेंगे। उस समय ग्वालियर मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाला पूर्ण रूपेण केन्द्र हो जायेगा। संसाधनों की कमी होने के कारण ग्वालियर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है न ही ग्वालियर में संगीत अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, संगीत नाटक अकादमी ने ग्वालियर में हिन्दुस्तानी संगीत का एक स्कूल स्थापित करने के प्रस्ताव पर हाल ही में विचार किया है और उसका यह मत है कि यदि इस प्रकार के स्कूल की स्थापना और उसकी देख-रेख राज्य सरकार द्वारा की जाए तो यह अधिक उपयुक्त होगा।

भारत-स्विस संयुक्त उद्यम द्वारा घड़ी के कारखाने की स्थापना

8305. **श्री माधवराव सिन्धिया : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हेगड़ेज एंड गोले लिमिटेड द्वारा, जो एक भारत-स्विजरलैंड का एक संयुक्त उद्यम है, लघु क्षेत्र में घड़ी बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिए एक पांच सूत्री कार्यक्रम बनाया है और लाइसेंस पाने के लिए उसे सरकार को भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : सम्भवतया प्रश्न के भाग (क) से सम्बधित संदभ मेसर्स हेगडे एण्ड गोले लिमिटड, बंगलौर द्वारा जनता पार्टी के अध्यक्ष तथा अन्य व्यक्तियों को परिचालित दिनांक 10 जनवरी, 1978 के पत्र से है। इस पत्र में इस कम्पनी के अध्यक्ष ने अन्य बातों के साथ साथ लघु क्षेत्र में घड़ी साजों की इंजीनियरी के विकास हेतु कुछ विचार दिये हैं। उन्होंने संक्षिप्त में यह सुझाव दिया है कि घड़ी के केस डायल आदि जैसे पुर्जों तथा सपूर्ण घड़ियों के आयात पर रोक लगा दी जाये, तस्करी अवरोधक निदेशालय में घड़ी व्यापारियों का निरीक्षण करने हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाय ताकि वह तस्करों के लिए भयभीत कर सक। देश में घड़ियों का आयात करने तथा घड़ियां बनाने के सम्बन्ध में नीति की संवीक्षा एक विशेषज्ञों के दल द्वारा की जानी चाहिए। पूर्ण घड़ियों का आयात यदि आवश्यक हो, तो सरकार की ओर से, सरकारी लेबल तथा ट्रेड-मार्क के साथ किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार अर्जित लाभ और एकत्रित सीमा शुल्क को लघुक्षेत्र के एककों को उनके पनपने की अवधि में निवेश पर ब्याज राज सहायता के रुप में उपयोग किया जाना चाहिए।

सरकार ने इन सुझावों की जांच की है तथा इन्हें तस्करी द्वारा घड़ियों के अनाधिकृत आयात कों रोकने एवं घड़ियों की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के सरकार के दोनों उद्देश्यों के अनुरुप नहीं पाया है।

जिला आयोजना निकाय की स्थापना करना

8306. **श्री माधवराव सिन्धिया : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता के सच्चे प्रतिनिधि की भूमिका को निभाने के लिए सरकार का विचार दश के किसी विशेष जिलेसे निर्वाचित संसद् सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्थर पर आयोजना निकाय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श करने का है ;

(ग) क्या सरकार जिला स्तर पर दिन प्रतिदिन की आयोजना तथा प्रशासनिक ढांचे में गांधीवादी तरीके से जनता को भागीदार बनाने के लिए लोक सभा के सदस्यों की संख्या के अनुरूप जिला स्तर पर योजना परिषदों की स्थापना के लिए भी विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : जिला स्तर योजना के लिए तंत्र का, जो कुछ राज्यों में मौजूद है, वर्तमान योजना की अवधि में सामान्य रूप से देश भर में विस्तार किया जायेगा और उसे सुदृढ़ किया जाएगा। जिला योजना के मार्गदर्शन के लिए जिला-स्तर सलाहकार निकाय हो या नहीं, और यदि हो, तो उनका गठन क्या हो यह राज्य सरकारों के निर्णय करने का विषय है।

जिलास्तर पर प्रतिनिधि या निर्वाचित निकायों की आवश्यकता, और योजना के निर्माण तथा कार्यान्वयन में उनकी भूमिका के प्रश्नपर, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित श्री अशोक मेहता के अंतर्गत कार्य कर रही समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद, राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किए जाने की संभावना है।

Setting up of Headquarters in States where Industrial Units are located

8307. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether the headquarters of industrial units are located in the same State where these units are located;

(b) whether State Government do not derive any benefit of an industrial unit in case its headquarters are situated outside that State:

(c) if so, whether Government propose to ensure that the headquarters of an industrial unit are situated in the same State where that unit is being run; and

(d) whether the Bihar Government has approached the Central Government in this regard and if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) to (d): While granting industrial licences to the industrial undertakings their locations, among other details, are also indicated in the industrial licences. Location of headquarters of the undertakings however is decided by its management itself taking into account its own circumstances. Multi unit companies may have their factories located in different States but can have their headquarters only at one place. Under the Companies Act 1956, companies are required to furnish information to the Central Government about the addresses of their registered offices but not the addresses of their headquarters. The major benefit accruing to a State would be by locating the industrial unit there, though there may be some resultant benefits by the locaion of headquarers/registered offices also. Government have no powers either under the provisions of the Companies Act or the Industries (Development & Regulation) Act to direct private sector companies to set up their registered offices/headquarters at any particular place.

No representation from the Government of Bihar regarding location of headquarters of industrial units has been received in the Ministry of Industry.

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पेंशन का रोका जाना

8308. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिमी बंगाल में कितने व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से राजनीतिक पेंशन प्राप्त करते हैं;

(ख) कितने मामलों में भुगतान रोक दिया गया है और निरस्त कर दिया गया है; और

(ग) क्या पेंशन रोकने तथा निरस्त करने के ऐसे आदेश राज्य सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति से उचित परामर्श करने के बाद ही जारी किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 14,479 मामलों में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकार की गई है।

(ख) 313 मामलों में पेंशन का भुगतान रोक दिया गया है तथा 54 मामलों में पेंशन निरस्त कर दी गयी है।

(ग) पेन्शन या तो राज्य सरकार के अनुरोध पर रोकी जाती है या अन्य स्त्रोतों से इस तरह की शिकायतें प्राप्त होने पर रोकी जाती है कि स्वतन्त्रता सेनानी वास्तविक नहीं हैं और धोखा देकर पेंशन प्राप्त करता रहा है। दूसरी प्रकार के मामलों में आगे जांच करके रिपोर्ट देने के लिए शिकायत की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

किसी पेंशन को अन्तिम रूप से निरस्त करने से पहले, स्वतंत्रता सेनानी को अपनी इमानदारी प्रमाणित करने के लिए पूरा मौका दिया जाता है, और यदि वह कोई अभ्यावेदन देता है तो राज्य सरकार से परामर्श करके सावधानीपूर्वक उसकी जांच की जाती है।

छठी योजना के लिये पूंजी निवेश में प्राथमिकताएं

8309. **श्री चित्त बसु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने 18 और 19 मार्च, 1978 को आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में छठी योजना के लिए पूंजी निवेश में प्राथमिकताओं के बारें में कोई नोट प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने निवेश प्राथमिकताओं के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् को कोई नोट प्रस्तुत नहीं किया।

(ग) प्रश्न उपस्थित नही होता।

आंध्र प्रदेश में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा शक्तियों का प्रयोग

8310. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल में निर्णय किया है कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (सी०बी०आई०) की राज्य में शक्तियों के प्रयोग और अधिकार क्षेत्र के बारे में दी गई सम्पती को वापस ले लिया जाए ; और

(क) यदि हां, तो सरकार ने उससे उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटील) : (क) केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से कोई ऐसा सरकारी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पहले दी गई ऐसी स्वीकृतिको वापस ले लिया गया हो, जिसके द्वारा विशेष पुलिस स्थापना आंध्र प्रदेश राज्य में अपनी शक्तियों तथा अधिकारता का प्रयोग करने में समर्थ होती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Tenders for Power Stations in B.H.E.L.

8311. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 3827 on the 21st March, 1978 and state:

(a) the name of the firm given contract by the BHEL for the construction of power stations, together with the volume of work involved therein;

(b) the number of tenders received therefor and the value of each of them together with the basis on which contract was awarded; and

(c) the value of the entire contract?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) M/s. BHEL have secured a contract from the Indian Oil Corporation for the construction of Power station for the Mathura Oil Refinery. This contract covers:

(i) Design, manufacture and supply of 3×12.5 MW turbo-generator sets and 3×150 tons/hr boilers and auxiliaries valued at Rs. 17.23 crores; and

(ii) erection, testing and commissioning of equipment at (i) above, valued around Rs. 3 crores. (Final contract value is yet to be settled).

Major portion of the work will be done by BHEL themselves, but they will sub-contract certain erection and commissioning activities to sub-contractors. They have so far sub-contracted the work relating to the erection, commissioning and testing of the three boilers and accessories to the following firms for the volume of work indicated against each:

Name of the firm	Volume of work
1. M/s. Sahyadri Constructors (P) Ltd., Pune (a subsidiary of M/s. Western Indian Erectors)	Work pertaining to Main Boiler Equipment for all the three units; it amounts to 3776 metric tonnes and value of work is Rs. 38,49,740.
2. M/s. Singh United Engg. & Construction Corpn., New Delhi.	The work pertaining to boiler auxiliaries for all the 3 units It amounts to 2323 metric tonnes and value of work is Rs. 13,24,110.

Tenders for other portions of work relating to the power station are still under process.

(b) The tenders received were 10 in number and the value of each of them is indicated in the attached statement. The contract to the parties mentioned at (a) above were awarded on the basis of lowest technically acceptable tender.

(c) The value of the contract awarded to BHEL till date is Rs. 17.23 crores which includes supply of equipment (for works) for Rs. 1650 lakhs and engineering and project management at a cost of Rs. 73 lakhs. The contract in respect of erection, commissioning and testing of the turbo-generators and boilers has yet to be settled. The above does not include the value of any bought out items like coal handling plant, ash handling plant, electricals, controls and instrumentation, EOT cranes etc.

Statement

Name of Firm	Price quoted for the entire job
	(Rupees in lakhs)
(i) M/s. National Engineers Enterprise, Aligarh	49.105
(ii) M/s Singh United Engg. & Construction Corp., New Delhi	50.63
(iii) M/s. Sahyadri Constructors (P) Limited Pune (a subsidiary of M/s. Western India Erectors)	53.07
(iv) M/s. Gamon India Ltd., Bombay	54.839
(v) M/s. Dairy Ashmore (I) Ltd., Bangalore	56.181
(vi) M/s. Dowel Erectors, Madras	56.73
(vii) M/s. Kassel Power Engineers, Calcutta	57.95
(viii) M/s. Ganga Engineers Works, New Delhi	59.78
(ix) M/s. Dodsal (P) Ltd., Bombay	62.525
(x) M/s. Power Plant and Industrial Equipment Co., Baroda	59.78

Restoration of Recognition to Akashvani Staff Artistes Union

8312. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Akashvani Staff Artistes Union's recognition has been withdrawn and at present there is no recognised union;

(b) whether Akashvani Staff Artistes Union is the only association of staff artistes which had conducted elections at the All India level and which has largest number of membership;

(c) whether Government propose to restore its recognition soon or whether it is proposed to recognise some other association or union; and

(d) if so, whether Government propose to hold consultations with associations representing all categories of staff artistes of Akashvani with a view to solving their problems?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) Yes, Sir. The A.I.R. Staff Artistes' Union was de-registered by the Registrar of Trade Union, Delhi, in March, 1976. With its deregistration, it automatically stood derecognised. There is at present no recognised union of staff artists in All India Radio.

(b) The Government has no information in this regard.

(c) There are three registered Trade Unions of Staff Artistes' in All India Radio, including the A.I.R. Staff Artistes' Union, (which was re-registered). All the three have applied for recognition. Since they were all re-registered with the Registrar of Trade Unions in the period of May-June, 1977 and a waiting period of one year since registration is a pre-requisite under the code of Discipline for consideration for recognition, the question of recognition will be considered only after July, 1978.

(d) Opportunity has been given to all representative associations of Staff Artistes for consultation with Govt. with a view to solving their problems.

Official Languages Implementation Committee

8313. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Official Languages Implementation Committee has been constituted in the Ministry/Department;

(b) if so, the dates on which it held its meetings in 1977 and the decisions taken therein;

(c) the number of decisions, out of them, fully implemented; and

(d) the reasons for the delay for not implementing the remaining ones?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) Official Language Implementation Committees have already been constituted in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms.

(b) to (d): Two meetings of the Official Language Implementation Committee of the Department of Administrative Reforms were held in 1977 on 13-5-77 and 19-12-77. The full detail of the decisions taken in those meetings and the action thereon have been shown in the enclosed statement. **[Placed in Library. See No. L. T. 2197/78].** The meetings of the Official Language Committees of the Ministry of Home Affairs and the Department of Personnel could not be held in the year 1977 and now the meetings of both the committees are scheduled for 29-4-1978.

निरसा, धनबाद में फटका हार्ड कोक भट्टा का अधिग्रहण

8314. **श्री ए० के० राय :** क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरसा भूगमा जोन, धनबाद में चुने हुए फटका हार्ड कोक भट्टा का, पिछले मालिक के साथ विवादों का समाधान करके, अधिग्रहण करने के लिए ई० सी० एल० के प्रबन्धकों ने उर्जा मंत्री को पत्र लिखा है;

(ख) क्या भट्टे का पिछला मालिक न्यायालय में मामला वापस लेने के लिए राजी हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो भट्टे को चलाने और उसका अधिग्रहण करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : भूतपूर्व मालिकों की रिट याचिकाएं कलकत्ता हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसने पहले उन्हें कोक संयंत्रो का कब्जा वापस देने के अंतरिम आदेश जारी किए थे। सरकार को मालिकों की ओर से कोई सूचना नहीं मिली किन्तु उनके वकिलों ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को लिखा था कि क्या वह मामले का निपटारा करने के इच्छुक है, हाईकोर्ट के आदेशों की प्रतिक्षा करना उचित समझा गया।

बी० सी० सी० एल० की कोयला खानों में भविष्य निधि लेखाधारी खनिकों का रखा जाना

8315. **श्री ए० के० राय** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के रुप में पहली किस्त के रुप में भविष्य निधि लेखाधारी सभी श्रमिकों को खपा लेने का बचन दिया था ;

(ख) क्या उक्त वचन के बावजूद विशेषकर मधुबन्द तथा न्यू स्टैंडर्ड लोडना खान (बी०सी० सी०एल०) में भविष्य निधि लेखाधारी कुछ खनिकों को छोड दिया गया था ; और

(ग) क्या भविष्य निधि लेखा के रिकार्ड गैर-सरकारी नियोक्ता के रिकार्ड से अधिक महत्वपूर्ण है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार भविष्य निधि लेखा रखने वाले परन्तु बी०सी०सी०एल० में न रखे गये खनिकों के मामले पर ुनः विचार करेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : चूंकि प्राइवेट नियोजकों के अभिलेख हमेशा ही विश्वसनीय नहीं होते थे अतएव उन कामगारों के खपाने का निर्णय किया गया था जो कोयला खान भविष्य निधि के सदस्य थे। राष्ट्रीयकरण के समय ऐसे सभी कामगारों के दावों पर विचार किया गया था और उसकी पुनरीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं की है। मधुबंद तथा न्यू स्टैंडर्ड लोडना कोलियरी के मामले में स्थिति का पता लगाया जाएगा।

सोवियत रुस द्वारा भारी पानी की सप्लाई

8316 **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या परमाणु उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रुस ने भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भारी पानी की दूसरी किस्त सप्लाई की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : सोवियत संघ ने 200 मीटरी टन भारी पानी की सप्लाई के लिये संविदा की है जिसमें से 55 मीटरी टन भारी पानी सन 1976 में प्राप्त हो गया था और 70 मीटरी टन की दूसरी किस्त की सप्लाई के लिये एक करार किया जा चुका है। इसमें से 16.150 मीटरी टन भारी पानी प्राप्त हो भी चुका है तथा शेष मात्रा के अप्रैल-मई 1978 के दौरान प्राप्त होने की संभावना है। मूल संविदा के अन्तर्गत शेष बचे 75 मीटरी टन भारी पानी के भी वर्ष 1978 में मिल जाने की आशा है।

वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति

8317. **श्री नटवरलाल बी परमार :**
श्री हरि शंकर महाले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवाओं तथा अन्य संगठित सेवाओं के कितने वरिष्ठ अधिकारी पांच वर्ष से अधिक समय से केन्द्र में काम कर रहे है; और

(ख) उनमें से कितने हाल ही में राज्यों को वापस भेजे गए है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटील) : (क) 1-1-1978 को पांच वर्ष से अधिक समय से केन्द्र में कार्य कर रहे संयुक्त सचिव तथा उससे उपर के स्तर के अखिल भारतीय और अन्य संगठित सेवाओं के 57 अधिकारी थे।

(ख) 27 अधिकारियों के अपने-अपने संवर्गों/राज्यों को वापस जाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए है। इनमें से पांच अधिकारियों ने पहले ही अपना कार्यभार सौंप दिया है जबकि 22 अधिकारियों को 30-6-1978 तक वापस लौट जाना है। इसके अलावा दो अन्य अधिकारी जुलाई, 1978 के अन्त तक सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

चीन से वापस आ रहें मिजो व्यक्ति

8318. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 3 अप्रैल, 1978 के स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों को देखा है कि गत वर्ष प्रशिक्षण हेतु चीन में गये मिजो व्यक्तियों का गिरोह मिजोरम वापस लौट रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मिजोरम में पुन: प्रवेश को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) ऐसे एक समाचार को सरकार ने देखा है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी सतर्कता रखी जा रही है।

राज्यों के बिजली मंत्रियों और राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही

8319. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1978 में आयोजित सम्मेलन में राज्य के बिजली मंत्रियों और राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने कोई अनुवर्ती कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन के विभिन्न निष्कषा पर तथा राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मलन को सिफारिशों पर अनुगामी कार्यवाई आरंभ कर दी गई है। अन्य मामलों के साथ-साथ वर्ष 1978-79 के लिए ताप विद्युत और जल-विद्युत और उत्पादन के लक्ष्यों को अन्तिम रुप दे दिया गया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि चालू किए जाने के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हों, विद्युत कार्यक्रमों को उच्च स्तरीय मानिटरिंग करने के लिए प्रबन्ध करने आदि जैसे राज्य प्राधिकारियों से संबंधित मामलों पर उन्हे लिखा गया है।

राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन की सिफारिशों तथा विद्युत राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की "कार्रवाही की मदों" के कार्यान्वियन की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन की एक स्थायी समिति गठित की गई है।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) जीवन बीमा निगम, कलकत्ता के नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा भूख-हड़ताल का कथित समाचार

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : जीवन बीमा निगम में नैमित्तिक श्रमिक काम कर रहे है। गत वर्ष उन्हें नियमित बनाने के लिये मांग की गई थी और कुछ संसद-सदस्यों के हस्ताक्षेप से 5-सूत्री समझौता हुआ था। एक सूत्र था नैमित्तिक श्रमिकों को धीरे-धीरे नियमित बनाना। ऐसा नहीं किया गया है। अत: अप्रैल 1978 से कर्मचारी संघ ने हिन्दुस्तान बिल्डिंग के सामने कलकत्ता में अनिश्चित काल के लिये भूख-हड़ताल का मार्ग अपनाया है। यह सुनिश्चित करने के लिये तुरंत कदम उठाये जाने चाहियें कि नैमित्तिक श्रमिकों की समस्याएं बिना और विलम्ब के हल की जायें।

(दो) बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड कलकत्ता के प्रबंधकों द्वारा देश में अपने कारखाने तथा बिक्री कार्यालयों को बन्द करने का कथित समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धकों ने 29 अप्रैल, 1978 से सारे देश में अपने कारखानों तथा बिक्री कार्यालयों को बन्द करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से 2100 मजदूर बेकार हो जायेंगे। इस कम्पनी के ये यूनिट बहुत सी जीवन रक्षक दवाइयाँ बनाते है। अत: सरकार को इस महत्व-पूर्ण औषध उद्योग को नष्ट होने से बचाने के लिये यथासंम्भव सभी कदम उठाने चाहिये।

(तीन) हशीश, चरस, अफीम की तस्करी का कथित समाचार

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : हशीश, चरस, अफीम, आदि औषधियों की तस्करी गत 3 वर्षों में बहुत कम हो गई थी और हमें विशिष्ट गिरोह द्वारा बड़े-पैमाने पर तस्करी करने की रिपोर्ट नहीं मिली है। अब प्रतीत होता है कि ये गिरोह फिर उठ खडे हुए हैं और उन्होंने अपनी गतिविधियां पुन: धडहले से चालू कर दी हैं। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। केवल तीन

[श्री एस० आर० दामाणी]

दिन पहले ही राजस्व आसूचना निदेशालय ने 400 किलोग्राम हशीश पकड़ी है जो ट्राली टायरों में छिपाई गई थी और जिसे कनाडा में मांट्रियाल हवाई जहाज द्वारा भेजा जाना था। कल फिर उन्होंने 160 कि० ग्रा० पकड़ी है। विदेशी राष्ट्रीक को भी पकड़ा गया जिसने 700 ग्राम चरस अपने पास छुपाई हुई थी। सरकार को ऐसे छुट-पुट मामलों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इनके पीछे व्यावसायिक गिरोहों का हाथ है। उन्हें उत्पादन केन्द्रों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिये और पड़ौसी देशों से अपने देश में इन वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए सीमा चैक-पोस्टों पर अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिये।

(चार) 6 अप्रैल, 1978 को कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं द्वारा बिना टिकट यात्रा करते पाये जाने के बारे में आकाशवाणी का प्रसारण

श्री वसंत साठे (अकोला) : हाल में आकाशवाणी से लगातार तीन दिन तक यह प्रसारण किया गया कि 6 अप्रैल, 1978 को कालका मेल से कांग्रेस (आई) की प्रेसीडेंट, श्रीमती इन्दिरा गांधी के डिब्बे में तीन कांग्रेसी कार्यकर्ता बिना टिकट यात्रा करते हुए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा पकड़े पाये गये और प्रत्येक पर 100 रुपये जुर्माना किया गया। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आकाशवाणी द्वारा दिया गया समाचार न केवल झूटा है अपितु शरारतपूर्ण है और जन-प्रचार साधनों का घोर दुरुपयोग करके श्रीमती इन्दिरा गांधी को बदनाम करने के कार्यक्रम का एक भाग है। यह समाचार रेलवे प्राधिकारियों तथा राज्य सभा में रेल मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में इनकार करने के बाद भी प्रसारित किया गया। अब समय है कि सरकार इस प्रकार शरारतपूर्ण प्रचार पर गंभीरतासे ध्यान दे और चरित्र हनन के लिये जनप्रचार माध्यमों के दुरुपयोग को रोके।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रारुप पंचवर्षीय योजना 1978-83

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (1) मैं प्रारुप पंचवर्षीय योजना, 1978-83 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी० 2180/78**]

लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उत्पादों सम्बन्धी विवरण

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) : (2) मैं राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उत्पादों सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2181/78**]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड नई दिल्ली की वर्ष 1975-76 की कार्यकरण समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बतलाने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मैती) : मैं निम्न प्रपत्र सभापटल पर रखती हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1)

के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2182/78]

फौजदारी न्यायालय तथा सनिक न्यायालय (अधिकारिता का समायोजना नियम) 1978 और अखिल भारतीय सेवाये अधिनियम, 1951

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०डी० पाटील) : मैं निम्न प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दण्ड-प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1973 की धारा 475 की उपधारा (1) के अन्तर्गत-जारी किये गये फौजदारी लय तथा सैनिक न्यायालय (अधिकारिता का समायोजन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 15 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ०488 में प्रकाशित हुए थे।

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2183/78]

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं (पेंशन का संराशिकरण) संशोधन विनियम, 1978 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां०नि० 227 (ड़) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम 1978, जो दिनांक 8 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 450 मे प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) दूसरा संशोधन नियम, 1978, जो दिनांक 8 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 451 में प्रकाशित हुए थे।

[श्री एस० डी० पाटील]

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1978, जो दिनांक 8 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 452 मे प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1978 जो दिनांक 8 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 453 में प्रकाशित हुए थे ।

(छ:) भारतीय बन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1978 जो दिनांक 8 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 454 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2184/78]

भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फाजल रहमान) : मैं भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय विद्युत् (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1723 में प्रकाशित हुए थे; सभापटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2185/78]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 101/78—सेन्ट्रल एक्साइजेज (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभापटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 2186/78]

सभा के कार्य के बारे में
RE. BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 3 बजकर 45 मिनट पर पेश किया जायगा । मंत्री महोदय ने कहा है कि तब तक इस विषय में अपक्षित जानकारी प्राप्त हो जायेगी ।

श्री वयालार रवि (चिरंयिकील) : जब प्रधान मंत्री सभा के समक्ष प्रतिवेदन पेश कर रहे है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नही **(व्यवधान)** ।

श्री वयालार रवि : मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री सौगत राय (बैरकपूर) : कल मैंने वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने के बारे में एक प्रश्न की सूचना दी थी। मैंने बैंककारी सेवा आयोग के संबंध में नियम 377 के अधीन भी एक सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : शायद आपको कल अवसर मिलेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने मद संख्या 2 पर एक सूचना दी है कि इस पर सभा में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : श्रीमान मैंने नियम 377 के मेडिकल कालेज के हड़ताली छात्रों के बारे में नियम 377 के अधीन एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करुंगा।

लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
9वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम—संगठन, प्रशासन और वित्तीय मामलों में कुप्रबंध—पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
आठवां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपूर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बम्धी समिति के प्रतिवेदन
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
19वां तथा 20वां प्रतिवेदन

श्री सूरजभान (अम्बाला) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय—फिल्म प्रभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनु- सूचित जनजातियों के आरक्षण तथा उनके नियोजन पर 19 वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसार मंत्रालय—आकाशवाणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा उनके नियोजन पर 20 वां प्रतिवेदन।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
18वां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापूर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 18 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधियां संशोधन विधेयक
COAL MINES NATIONALIZATION LAWS (AMENDMENT) BILL

उर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन)- मैं प्रस्ताव करता हूं

कि कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री पी० रामचन्द्रन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

अनुदानो की मांगे, 1978-79—जारी
DEMANDS FOR GRANTS 1978-79—Contd.
गृह मंत्रालय—जारी

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड गई है कि राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में सीधे राष्ट्र को अपील करने सम्बन्धी असाधारण कदम उठाना पडा है । पिछले दिन देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने भी देश में सामान्य स्थिति लाने के लिए विरोधी पक्षों से सहयोग करने की अपील की थी।

हमारे देश में संविधान द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है लेकिन अभी कुछ दिन हुए वाराणसी में श्री सम्पूर्णानन्द की प्रतिमा को धोया गया क्यों उसे एक अस्पृश्य ने छू दिया था । यह संविधान के प्रति अपराध है और अब उस क्षेत्र में संविधान के स्थान पर अनुसंहिता रखने की बात चल रही है । यह बडी गम्भीर बात है जिस पर गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए ।

पिछले 1 वर्ष की घटनाओं से देश में एक नई स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में तो नागरिक युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। प्रधान मंत्री जी ने एक वक्तव्य में कार्यवाही करने का उल्लेख किया है। लेकिन वह आश्वासन दे कि वह श्रमिकों, कृषकों, कृषि मजदूरों और छात्रों पर, जब वे उचित अधिकारों के लिए लड रहे हों, गोली नहीं चलायेंगे।

पंतनगर दुर्घटना के बारे में हम सरकार से आश्वासन चाहते है कि पी० ए० सी० को कालेज परिसर में से निकालने के लिए तुरन्त निर्देश दिए जायेंगे। सारे मामले की न्यायिक जांच करायी जाए।

श्रीमती रानो एम० शायजा (नागालैंड): मैंने अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि नागालैंड में लोगों को कानून और व्यवस्था का सबसे कम ज्ञान है। वहां विचित्र स्थिति यह है कि वहां कानून और व्यवस्था का विषय राज्यपाल के पास है अतः यह सीधे ही केन्द्र के अधीन हो जाता है।

शिलांग समझौते के अनुसरण में 22 व्यक्तियों का एक दल सीमा के अपने मित्रों से सम्पर्क करने जा रहा था। इस दल को सुरक्षा दल ने 18-3-78 को अखवेगो पुल के पार येलूरी में गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा दल की हिरासत में 7 व्यक्तियों पर बहुत जूल्म किए गए। उनमें से एक व्यक्ति चोटें पहुंचाये जाने के कारण मर गया। इसी प्रकार की अन्य घटनाओं के कारण नागा लोगों के मन में शिलांग समझौते के प्रति सरकार की निष्ठा के बारे में सन्देह पैदा हो गया है।

श्री लाल डेंगा संविधान के अन्तर्गत कोई हल ढूंढने पर गम्भीरता और ईमानदारी से विचार कर रहे है। इस समस्या का हल ढूंढने का और अच्छा मौका नहीं मिल सकता। पिछले शासन द्वारा नागालैंड में जो गलती की गई थी उसे दोहराया न जाये।

अरुणाचल में ईसाइयों पर अत्याचार जारी है। गिरजाघरों को तोड़ा गया है और उनकी सम्पत्ति जलाई जा रही है। अरुणाचल में प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। मैं सरकार से अपील करती हूं कि वहां सभी धर्मों के संसद सदस्यों का एक दल स्थिति की जानकारी के लिए भेजा जाये।

कुछ ईसाइ मिशनरियों को धार्मिक उत्सवों में नहीं जाने दिया गया। इस पक्षपातपूर्ण रवैया से समस्या और भी उलझती है। अच्छा तो यही है कि सरकार देश के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।

Shri Balbir Singh Jasrotia (Jammu): It is difficult to accept the contention that during last one year the law and order situation has become more serious. However, if a probe is made into the incidents of last few months it will expose the forces behind it and it will be known that there is a big conspiracy to malign the Janata Government. Let the Home Minister come out with full facts so that people are not misguided by that conspiracy.

So far as Jammu and Kashmir is concerned, it is very strange that even though it is a part of India the laws passed by Indian Parliament are not applicable there so long as they are not adopted by the State legislative. So far it has

[Shri Balbir Singh Jasrotia]

adopted 150 such laws. Now the State Government has set up a Commission to consider as to which laws have to be retained. There is no reason why the laws which the State Assembly had adopted in the past should now be dispensed with. The Home Minister should pay special attention to this matter.

It has become a practice that the discussions about the atrocities on Harijans have been completely ignored by the Home Ministry. According to the Constitution and the rules of procedure it is the special responsibility of the Home Ministry to protect the interests of the Harijans. We would like to know from the Home Minister how may Harijans have been murdered during the last one year. In one State alone, namely Madhya Pradesh 105 Harijans were murdered in one year. The House will be very much interested to know the total number of Harijans murdered, the number of rape cases, house burnt etc. Let the Home Minister give us a complete and correct picture.

It is regrettable that the minorities in Jammu and Kashmir are being suppressed and a situation is developing there which can be dangerous for the country.

It is strange that while here the opposition people say that there should be no MISA and Preventive Detention Act, they support the National Conference in regard to the Public Safety Act of the State. This kind of double standard is really surprising.

The Home Ministry should keep a close watch on the developments in Jammu and Kashmir and try to improve the conditions there with a view to maintain the unity and integrity of the country.

श्री जी० एम० बनातवाला (पोनान्नी) : वास्तव में यह दुर्भाग्य की बात है कि देश में हिंसा और अव्यवस्था का वातावरण है। जब हमने इस तथ्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा, गृह मंत्री ने हमेशा यह दिखाने के लिये आंकड़े प्रस्तुत किये कि देश में शान्ति है और कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। गृह मंत्री को यह महसूस करना चाहिये कि कानून और व्यवस्था कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मापा जा सके। भ्रान्तिपूर्ण आंकड़ों से यह परिणाम निकला है कि गृह मंत्री ने स्वयं अपना विश्वास खो दिया है।

कानून और व्यवस्था को बिगड़ती स्थिति के लिये उत्तर दायी महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण यह है कि जांच की स्थिति और मुकदमें चलाना सन्तोषजनक नहीं है। 1977 में 27,413 हत्या, डकैती और लूट के मामलों में मुकदमा चलाया गया परन्तु उनमें से अधिकांश सफल नहीं हूए क्योंकि इस्तगासे ने 7 दिन के भीतर आरोप पत्र दर्ज नहीं किया जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधित धारा 167 के अधीन उपेक्षित है। मशीनरी को सुदृढ़ बनाना चाहिये।

केवल व्यवसायिक अपराधियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा ही अपराध नहीं किये जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था की वर्तमान बिगड़ती हुई स्थिति के दुर्भाग्यपूर्ण पहलू हैं। पहले हालात में श्रमजीवी वर्ग के विरूद्ध हिंसा में भारी वृद्धि हुई है। दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों के विरूद्ध सुसंगठित और पूर्व-आयोजित अत्याचार किये जाते ह। इस स्थिति को सुधारने के लिये कुछ ठोस कदम उठाने होंगे।

गत वर्ष साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं में भी वृद्धि हुई जो पहले कम थी। 1974 में 248 साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। 1975-76 में ये 205 थे और 1976 में इनकी संख्या 169 थी। परन्तु गत वर्ष में, जिसमें जनता पार्टी सत्तारुढ थी, इन घटनाओं में वृद्धि हुई है और इस में 188 साम्प्रदायिक दंगे हुए।

हम अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति का स्वागत करते हैं। इसका चेयरमेन एक मुस्लिम होना चाहिये और इसका एक स्वतंत्र दर्जा होना चाहिये।

केन्द्रीय सरकारी सेवा में मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या के बारे में सरकार के पास आंकड़े नहीं है। सम्बन्धित सूचना को एकत्रित करना भी सरकार वांछनीय नहीं समझती। इससे अल्पसंख्यकों की समस्याओं के प्रति उनके रवैये का पता चलता है। अल्पसंख्यक आयोग को सरकार के इस विशेष रवैये की ओर ध्यान देना चाहिये।

रिपोर्ट में सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी नामक एक गैर-सरकारी निकाय द्वारा एक तारकुंडे आयोग गठित किये जाने का उल्लेख है। उसी निकाय ने दाऊदी बोहरा के धार्मिक मामलों की जांच के लिए एक अन्य आयोग गठित किया है। मुसलमानों में व्यापक असन्तोष है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस प्रकार का हस्तक्षेप न हो। हमें आशा है कि सरकार इसी पर ध्यान देगी और यह देखेगी कि मुसलमानों की भावनाओं का आदर हो और ऐसी समिति भंग की जाये।

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj): It is true that the Janata Government has restored the freedom of the press and today there is a free atmosphere in the country they have failed to give a new direction to the administration and continued to follow the track laid by the Britishers and followed by the previous Government. If timely action is not taken to give a new direction to the administration the Janata Government is bound to be derailed as had happened with the previous Government. Let them remember that when we here elected last year we had taken an oath at Rajghat that we would take the country on the path shown by Mahatma Gandhi and see that his dream was realised. We would like to know from the Government whether we have been able to do so. Let this matter be reconsidered.

In order to establish people's supremacy we have to have decentralisation of power. As long as power remained confined to the four walls of the Secretariat and is not vested in the people and they are not made real participants the dream of Gandhiji would remain unrealised.

So far as law and order is concerned, I am not happy with the present position. Inspite of the figures given by the Home Minister to prove that the situation has improved, the people are not satisfied. It is becaue we have not been able to bring about as much peace as the people expected.

There is no need to increase the police force. The present strength is enough to deal with the situation; the only thing is that it has to be freed from corruption and made more duty conscious and responsible.

The C.B.I., which is our anti-corruption organisation, should be reorganised. Only honest officers should be posted in that organisation. But this has not yet been done. We would like to know as to when would it be done.

[Shri Ram Deo Singh]

The Government has given an assurance to end corruption. But this has not yet been accomplished. People want to see that it is completely eradicated. This would have to be done only then we could give a new turn to history.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): A demand has come from the opposition quarters that there should be a public discussion on Centre-State relationship. In my view there is no need to amend the constitution. It is so flexible that any problem arising in regard to Centre-State relations could be resolved within its framework. The Administrative Reforms Commission has also recommended that there is no need for amending the constitution.

The main difficulty is in regard to financial matters. The Centre could discuss those things with the states. But there is no need for a public dislogue. The matter could be resolved by mutual discussion.

In our country we have got some states which are very big in size. If a state is very big in size it could not develop as quickly as a small state could do. We have seen that when Punjab, Haryana and Himachal Pradesh were one State it remained backward. But after the formation of three small states all of them had developed rapidly. It is, therefore, necessary that the bigger states like U.P., Bihar. Madhya Pradesh and Andhra Pradesh were divided into smaller states. This need not be done immediately because at present the atmosphere is not favourable. We should, therefore, first try to create a favourable atmosphere.

So far Delhi is concerned, at present there is multiplicity of authorities there and the Metropolitan Council is nothing more than a debating society as it has no powers. This multiplicity of authority must be ended and Delhi should have a strong structure whereby the aspirations of the people could be realised. So let the Home Minister declare that Delhi would have an Assembly. Scheduled tribes have a population of 6 crores in the country. But it is amazing to know that the irrigational facilities provided in tribal areas are only 1%, while the average for the entire country is 22%. According to the figures of 1972, there was no college in the tribal areas. The per capita consumption of essential commodities in tribal areas is minimum. I would, therefore, request that a survey in regard to the per capita consumption of essential commodities, the socio-economic conditions prevailing there and the development made there so far should be conducted and on the basis of the results of that survey action should be taken for speedy development of tribal areas.

Today a sense of insecurity has developed among the citizen of Delhi. The goonda elements are active during the day and in the crowded markets even. This is very alarming. Unless the law and order situation is set right the socio-economic conditions shall not improve.

The law and order situation in the colleges, universities and factories is very bad. I agree that the genuine grievances should be removed; but if they are not removed it does not mean that the students or labourers should be free to commit violence. Violance should not be tolerated in any way. It is correct that Cong. (I) people are responsible for instigating violence as a preplanned conspiracy everywhere, but all other parties, including my party, are also responsible for the maintenance of law and order. We should introspect ourselves. I welcome the formation of code of conduct proposed by the Prime Minister but the Janata Party should first of all set its own house in order. If our performance is not good the coming generation would not excuse us. People have very high expectations from the Janata Party; they should be fulfilled.

The reservation for backward classes in Bihar, in the way it has been introduced, is not going to bring any good results. It would rather result in further breaking up the society. If we are really serious to help the poor, that help should be extended on the economic basis, irrespective of the caste or creed of the poor people. Help on the basis or caste would further aggravate the caste conflict.

It is good that action has been taken for repealing MISA. But in view of the deteriorating law and order situation in the country, it is essential to take some strict measures. I would suggest that all party leaders should sit together and frame a code of conduct which should be implemented seriously. A legislation might also be set up to deal with the undesirable and anti-social elements on the pattern of legislation enacted in UP for this purpose.

There should be clear guidelines in regard to the appointments etc. of the Governors. Recommendations of the A.R.C. might be implemented in this regard.

Shri Keshavrao Dhondge (Nanded): Marathi-speaking people of Districts Belgaum, Karwar, Nipani, Malki, Santpur, Aurad, Hamnabad of Maharashtra and Karnataka have been crying for justice for the last 22 years. But all these years a deaf ear has been paid to their demand. Justice should be given to these Marathi speaking people on the basis of Pataskar formula without any further delay.

Atrocities on the backward and depressed classes would not end until *Brahaminwad* is abolished from Hinduism. If timely action is not taken for the protection of depressed classes, a day would come when they would demand for separate *Dalitsthan* and we all would be responsible for it.

The neo-Buddhists wanted to go out of Hinduism, but then the facilities being extended to them would be withdrawn. I would request that those facilities should not be discontinued. Similarly facilities should be granted to all people of the backward class, irrespective of their caste or creed.

Ceiling should be imposed in regard to employment also. If in a family two-three persons are in employment, no other person of that family should be provided employment. Similarly, employment should not be provided to any member of that family who owned land or was running any business or engaged in any other occupation.

Great atrocities were perpetrated on employees, old persons and youths during the emergency under the Chief Ministership of Shri Shankar Rao in Maharashtra. An enquiry should be conducted into all those cases and those found guilty should be punished, even if they have changed their party affiliations.

Reforms should be brought in jails. Police personnel should be allowed to frame their unions and their conditions of service should be improved.

Acharya Vinoba Bhave had strengthened the hands of Shrimati Indira Gandhi, a dictator, by declaring the emergency as *Anushashan Parva.* He observed fast in support of demand for ban on cow-slaughter, but never observed any fast for the protection of depressed classes. He was a great supporter of *Varnashrama Dharma* and wanted untouchability to continue. Action should be taken against him and his Pavnar or Ashram.

[Shri Keshavrao Dondge]

On the one hand pick-pockets or persons involved in small crimes were awarded punishment, while on the other hand sentences of those notorious dacoits were remitted who surrendered before Shri Bhave or Shri Jai Prakash Narayan. This practice should be stopped at once.

It is a matter of regret that many freedom fighters or the relatives of martyrs of Maharashtra have not been granted any sort of assistance as yet. This should be looked into early.

The anniversary days of Shivaji, Mahatma Bashweshwar, Mahatma Jyoti Rao Phoole, Dr. Ambedkar and Maharana Pratap should be declared as public holidays.

The performance of the Janata Party during the past one year has been very poor in all respects. Things continue to be the same as they were during the previous regime. If this continued for long and the monopoly of certain few persons in administration is not removed, no power on the earth would be able to excuse the Janata Government.

Dr. Sushila Nayar (Jhansi): The criticism of Sant Vinobaji and Shri Jayaprakash Narayan in the context of surrender by the dacoits is very improper. Remission of sentences is done only in those cases in which the dacoits had unhesitatingly accepted the punishment awarded to them by the courts and had led a totally peaceful life in jails like a model prisoner as they had firmly resolved to change their life. There is no justification of comparing them with the pickpockets. We are to end the crimes, not the criminals.

It has also been said that no one has sacrificed his life for the removal of untouchability. What did Gandhiji do then? I will request that no such thing should be done or said as will create vested interests in backwardness too. I fully agree that backwardness should be removed, but we should be careful to see that while doing so we do not create any new problems. Gandhiji had vehemently opposed the proposal for separate electorate for Harijans, as it will put a label of untouchability on them forever. It is good to have a socio-economic criteria but to have reservations in the name of backwardness will be great injustice to the coming generations. If we are to form a classless society, we should not strengthen the feelings of casteism or classism by such acts.

Demand for holidays on the anniversary days of certain great persons is totally unjustified, as we are already having a large number of holidays.

A demand has also been made for an Assembly in Delhi. I will like to remind that there was an Assembly in Delhi which was abolished later. It is not in the interest of good administration to bring changes very often. Efforts may be made to make the Metropolitan Council more effective.

I support the view that small states have made much progress. It is correct that administration of small states can be carried on more efficiently and, therefore, it will not be improper if big States are divided keeping in view the administration aspect and the general problems of the people.

Special attention is needed to be given to the development of Schduled Castes and Scheduled Tribes. The report of Commission should come in time. Time scheduled should be preserved for consideration of the reports and for implementation of the recommendations made therein.

Setting up of a Minority Commission is a welcome step. But the demand that only a Muslim should be its Chairman is totally unjustified.

It is good that a Police Commission has been set up under the Chairmanship of Shri Dharma Vira and I hope that it will bring good results. People have a regard for police personnel in U.K. etc. but in our country the people are very much afraid of police. One of the main reasons behind this is the misuse of police during the emergency. Training should be imparted to the police personnel on right lines and necessary facilities should be provided to them. But if they are found taking the law into their own hands to harm the people, strict punishment should be awarded to them without any delay. Complaints against the police personnel should be attended to promptly and properly.

It is observed that sycophant officials get early promotions and other encouragements while the honest and sincere officials are transferred frequently and suffer in other respects also. This should be checked and stopped.

Incidents of violence should be checked by all sorts of strict measures. There is no use of comparing the figures of incidents of violence which took place during the emergency and thereafter. In any way we have to check and prevent them. The sense of insecurity seen in the people at present will have to be removed at all costs. A feeling of faith in administration and Government employees should be generated in the people.

Mere promises will not do. All efforts will have to be made to bring all round development, paying particular attention to the backward and weaker sections. It can be done if there is an atmosphere of law and order, of peace and security in the country.

श्री चित्त बसु (बारासाट) : केन्द्र तथा राज्यों के वर्तमान आपसी सम्बन्धों का पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की जानी चाहिये तथा संवैधानिक उपबन्धों की भी पुनः समीक्षा की जानी चाहिये। भारत में अनेकता में एकता रही है तथा यह एकता केवल दिखाने की नहीं होनी चाहिये। वे शक्तियां जो देश में इस प्रकार की दिखावटी एकता चाहती हैं वे अन्ततः देश को नष्ट भ्रष्ट कर देंगी।

हम अल्पसंख्यक आयोग के गठन का स्वागत करते है। परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि अल्पसंख्यक लोगों का भी आयोग में विश्वास हो। सरकार को अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने से पूर्व सभी प्रकार की राजनैतिक विचार धाराओं के लोगों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श करना चाहिये था।

गत एक वर्ष में हरिजनों पर जो अत्याचार हुये है, उनकी जांच करने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का विशेष न्यायालय का गठन किया जाना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि हिंसा को समाप्त करने के लिए बातचीत की जानी चाहिये। राष्ट्रीय एकता परिषद एक ऐसा मंच है जिसका उपयोग इस कार्य के लिए किया जा सकता है। इस परिषद की पिछली बैठक 1968 में हुई थी। परिषद ने क्षेत्रीय, शैक्षिक व साम्प्रदायिक पहलूओं तथा प्रचार साधनों से सम्बद्ध पहलूओं के बारे में कुछ सिफारिशें की थी उदाहरणार्थ साम्प्रदायिक स्थिति का जायजा लेने के लिए इसी परिषद की उपसमिति की बैठक सम्भवतः 1969 में हुई थी। सरकार को इन सभी बातों की ओर ध्यान देना चाहिये।

[श्री० चित्त बसु]

हाल ही में सदन में देश की कानून और व्यवस्था पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान यह बात बार बार स्पष्ट की गई कि विद्यार्थियों, श्रमिक वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में काफी असंतोष व्याप्त है।

इस समस्या से निपटने के लिये सरकार को इस असंतोष के आधारभूत कारणों का पता लगाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त असंतोष का अध्ययन करने के लिये गृह मंत्रालय को विशेष अध्ययन करना चाहिये। गृह मंत्रालय नेएक ऐसा अध्ययन 1969 में आरंभ किया था जिसमें उसने देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा कृषकों के तनाव सम्बन्धी समस्याओं के लिये महत्वपूर्ण सिफारशें की थीं। क्या हम जनता सरकार के गृह मंत्री से यह आशा कर सकते हैं कि वह उस प्रतिवेदन का अध्ययन करें तथा कृषक वर्ग की समस्याओं का समाधान करने के लिये उचित कदम उठायें?

भारत सरकार को देश में बढ़ती हुई हिंसा की समस्या का अध्ययन गहराई से करना चाहिये। वास्तव में पुलिस तथा नौकरशाही ही हिंसा को बढ़ावा देती रही है। यदि इनकी यह प्रवृती जारी रही तो लोग भी मनमानी करने लग जायेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आज से 300 दिन पूर्व जब हमने गत वर्ष गृह मंत्रालय की मांगों पर विचार किया था, उसके बाद दो ऐसी घटनाये घट चुकी हैं जिनका राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्व है। प्रथम घटना दक्षिण में हुये चुनावों की है जहां कि जनता दल की अपेक्षा अन्य दल सत्ता में आये है। यह ठीक ही हुआ है क्योंकि एक तरह से राष्ट्रीय मंच पर एक प्रकार का राजनीतिक ध्रुवीकरण आरम्भ हो गया है। दूसरे सम्पूर्ण देश में एक ही दल का शासन होना ठीक भी नहीं है, जैसा कि हमारा गत 30 वर्षों का अनुभव रहा है। अब लोगों को यह जानने का सुअवसर प्राप्त हो जायेगा कि कर्नाटक की सरकार अच्छी है, या आन्ध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की द्विदलीय सरकार अच्छी है या अन्य दलों की सरकार अच्छी है। लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यह अच्छा ही है।

एक अन्य बात तो काफी दुःखदायक है, वह यह है कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ दलों तथा प्रचारकों द्वारा इस समस्या को इसके वास्तविक अनुपात की अपेक्षा काफी बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह बहुत ही दुःख की बात है। परन्तु इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि देश में कुछ ऐसे तत्व, शक्तियां, दल तथा व्यक्ति है जो जानबूझ कर अराजकता तथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न कर रहे है। इस प्रकार की शक्तियों या व्यक्तियों की नेता हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, छोटी तानाशाह हैं जो व्यक्तिगत सत्ता प्राप्ति की अतृप्त लालसा से पागल हो कर झूठा प्रचार करने में लगी हुई हैं।

मैं गृह मंत्रालय को एक बात के बारे चेतावनी देना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति जो 11 वर्ष तक सत्ता में रहा हो, प्रशासन में उसके प्रशंसकों, चाटुकारों, पिछलगों तथा चापलुसों का हो जाना, स्वाभाविक ही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि

प्रत्येक मंत्री सरकार के प्रत्येक विभाग, यहां तक कि खुफिया विभाग पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए क्योंकि ऐसे स्रोतों से अपेक्षित जानकारी उसके चाटुकारों तथा खिदमतगारों तक पहुंचायी जाती है।

शाह आयोग ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन 13 मार्च को दे दिया था। यह मालूम नहीं है कि उसे कब सभा पटल रखा जाएगा। राजधानी में इस प्रकार कि अफवाये भी सुनने में आ रही है कि शाह आयोग के प्रतिवेदन को सभापटल पर नहीं रखा जाएगा क्योंकि तीनों प्रमुख नेताओं में इसके बारे में मतभेद है कि प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की जायें। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है— जैसा कि मुझे पता चला है कि आजकल इस प्रतिवेदन का अध्ययन सचिवों की समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्षता मंत्रीमंडल के सचिव कर रहे है। इस तरह के प्रतिवेदन को, अध्ययन के लिए सचिवों की समिति की अपेक्षा सीधे ही मंत्रीमंडल की उपसमिति को सौंप दिया जाना चाहिए था।

प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में शायद विलम्ब इसलिए हो रहा होगा कि न्यायाधीश शाह ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें की है तथा वह कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे है। उन्हें किसी निर्णय पर पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। किन्तु मैं गंभीरता से सुझाव दे रहा हूं कि यदि इस प्रतिवेदन में किसी के विरूद्ध भी न्यायधीश शहा द्वारा बताया गया अपराध भारतीय दंड संहिता के क्षेत्राधिकार में न आता हो तो फिर संसद को एक विशेष कानून पारित करना चाहिए, जिसके अन्तर्गत वह किसी भी प्रकार के अपराधी चाहे वह विरोधी हो अथवा संविधान विरोधी, के विरूद्ध मुकदमा चला सके। जिसने संविधान का अपमान किया है, जिसने लोकतंत्र तथा न्यायपालिका का हनन किया है, उस अपराधी के विरूद्ध मुकदमा करने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण होना चाहिए यह प्रतिवेदन इसी सत्र के दौरान सभा पटल पर रखा जाना चाहिए और उस पर चर्चा की जानी चाहिए ताकि अपराधी बिना दंड पाये न रह जायें।

पता चला है कि कर्नाटक सरकार ने केन्द्र द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की जांच करने की अपनी समवर्ती शक्तियों को उपलब्ध करने की अपनी सहमति वापस ले ली है। इस कार्यवाही में गंभीर संवैधानिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक जटिलताएं है और यह भारत संघ के लिए खतरनाक है। अतः सभा जानना चाहती है कि ग्रोवर आयोग की जांच तथा आयोग द्वारा पेश किए गए अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा हाल ही में की जा रही जांच के सम्बन्ध में कर्नाटक सरकार के निर्णयों के क्या परिणाम निकले है।

जहाँ तक कानून और व्यवस्था की स्थिति का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि समाज-विरोधी तथा संविधान विरोधी तत्व सक्रिय हैं और स्थित का लाभ उठा रहे हैं क्योंकि सभी निवारक नजरबन्दी कानून रद्द कर दिये गये हैं। इस समस्या का दूसरा पहलू भी समान रूप से महत्वपूर्ण है और वह यह है कि सरकार ने सामा-एवंजिक-आर्थिक कार्यक्रमों को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करने का काम शुरु नही किया है।

[**श्री हरी विष्णु कामत**]

एक वर्ष हमने राजनितिक चार्टर में लगाया तथा यह आवश्यक है कि दूसरा तथा तीसरा वर्ष भारत के निर्माण में लगाया जाये जिससे कि देश का सामाजिक आर्थिक निर्माण हो सके।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : वे इस प्रस्ताव को जन-विरोधी बताते हैं।

श्री हरी विष्णु कामथ (होशंगाबाद) : इस उद्देश्य के लिए जनता का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। संविधान में आरक्षण 10 वर्ष के लिए उपबन्धित किए गए थे। उन्हें बाद में 10-10 वर्ष के लिए बढ़ा कर 30 वर्ष कर दिया गया। सम्भवत: इसे 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाये।

30 वर्ष पूर्व डा० अम्बेदकर ने कहा था इस देश में अल्प संख्यक तथा बहुसंख्यक गलत रास्ते पर चले है। किसी दिन यह आवश्यक हो सकता है कि अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक एक हो. जाये।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने 20 प्रतिवेदन दिये है। मुझे पता नहीं कि उनमें से कितने प्रतिवेदनों पर विचार किया गया।

पुलिस इस समय कठिन समय से गुजर रही है। मुझे उम्मीद है कि सरकार पुलिस को काम करने की तथा जीवन यापन करने की दशाओं पर विचार करेगी। हमें पुलिस आयोग के साथ साथ जेल सुधार आयोग की भी स्थापना करनी चाहिए।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुर) : देश में कानून और व्यवस्था के विषय की इस लिये अवहेलना यह मान कर नहीं की जा सकती कि यह एक राज्यों का विषय है। इस देश के 17 करोड़ हरिजनों की दशा समूचे विश्व के विशेष ध्यान का आकर्षण बनी हुई है। जाति व्यवस्था के कारण हरिजनों के लिये अर्ध मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। इनके शताब्दियों से मानवीय अधिकार समाप्त—समाप्त है।

यदि हम समूचे देश में होने वाले अत्याचारों को देखें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। गृह मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1977 में उत्तर प्रदेश में अत्याचारों की कुल 4090 घटनाएं हुई। चिन्ता की बात यह है कि इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। हरिजनों के विरुद्ध होने वाली अहिंसा बढ़ रही है। परन्तु गृह मंत्री का इस स्थिति से निपटने का तरीका बहुत निराशा जनक है।

जागरूक हरिजनों को समाप्त करने के लिए सुनियोजित ढंग से अत्याचारों को अपनाया जा रहा है। हरिजनों की जागरूकता के कारण ही मानव होने को बुनियादी वास्तविकता महसूस की जा रही है। वे लोग आर्थिक रुप से भी कमजोर हैं। यह श्रमिकों के शोषण का परिणाम है।

वास्तव में यह समस्या सामाजिक है और जब तक लोगों में जातिवाद के प्रति परिवर्तन नहीं आता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस समस्या के दो व्यावहारिक समाधान है। पहला यह कि एक शक्तिशाली प्रशासनिक तन्त्र हो जिसके राज्यवार कार्यालय हो, जो कि कर्तव्य-निष्ठ हरिजन अधिकारियों के अधीन हों। उनका कार्य उन सरकारी अधिकारियों को दण्ड देना होना चाहिए जो गैरवफादार है। दूसरे असहाय हरिजनों को अपनी रक्षा के लिए हथियार दिए जाने चाहिए।

Shri Nathu Singh (Dausa): Every one is very much concerned with the growing number of crimes and lawlessness in the country. Neither, any single factor nor previous Government nor the present Government is responsible for this. It is the cumulative result of various factors of the system prevailing in the country. It has got to be admitted that nothing much has been done in this country to bring in administration reforms. The police has no adequate means to check the incidents of crimes in the country. In fact it is one particular group which is encouraging lawlessness in every field including judiciary and law-courts. It is the conspiracy of this particular group to create the conditions of chaos and anarchy. They have even distributed pamphlets denigrating the nation, the constitution and the national flag.

It appears that there are still certain persons in C.B.I. and C.I.D. which have sympathy with the previous Government. It means that there are still certain people in the administration who have an intention to defame this government. Government should take measures to expose such officers and should take stern action against them. It is learnt that the Ex-Prime Minister is being presented large purses. Government should find out wherefrom this black money is being presented to her in the form of large purses.

A good deal has been said about the backward classes. But the fact must be noted down that Kaka Kulalkar's report has not been taken into consideration so far. Therfore, this report must be considered and it should be decided whether reservation should be given on the basis of backwardness or on the basis of economic consideration. If, necessary, a commission should be set up to reconsider this issue.

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण मध्य) : कानून और व्यवस्था का प्रश्न इतना भ्रामक हो गया है और यह समझ नहीं आता कि क्या देश में यह केन्द्रीय सरकार की या राज्य की जिम्मेदारी है कि कानून और व्यवस्था बनी रहे। ऐसा जान पड़ता है कि गत 30 वर्षों मे प्रशासन किसी की जिम्मेदारी नहीं थी और किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए कोई तरीका भी नहीं अपनाया गया। गत 30 वर्षों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर 2 लाख से अधिक अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। अतः इस बारे में कुछ मानदण्ड तय किये जाने चाहियें। यदि स्थिति उस मानदण्ड से अधिक खराब हो जाती है तो गृह मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिये और वह कानून और व्यवस्था को सुधारने में असफल रहता है।

बिगड़ी कानून और व्यवस्था की घटनाएं छुटपुट नहीं है। यह एक बहुत उलझी हुई समस्या है। इसलिये प्रधान मंत्री ने एक सम्मेलन बुलाया है। इस सम्मेलन को कानून और व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था की समस्या से निपटना चाहिये। इस सम्मेलन को उस सरकारी पद्धति पर भी विचार करना चाहिये जिसमे अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को संरक्षण मिल सके। यदि आवश्यक हो तो राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी देकर इन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विधायकों की विशेष शक्ति प्राप्त समितियां गठित की जायें जो इन हितों के संरक्षण पर ध्यान दे। प्रस्तावित सम्मेलन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विधान मंडलों मे प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जाना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपूर) : इस सरकार ने देश के लोगों को बताया है कि आपात स्थिति के दौरान जिन लोगों ने आंसुका तथा भारत रक्षा नियम का दुरुपयोग किया है, उनके विरुद्ध अब तक क्या कदम उठाये गए है। किंतु यह पता करने के लिए

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

कि उस दौरान क्या क्या हुआ है, केवल आयोगों की स्थापना करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह है कि दमन, तानाशाही तथा आपात स्थिति के दौरान किए गए बुरे कार्यों को समाप्त करने के लिए कदम कब उठाये जाएंगे। हम जानना चाहते है कि गृह मंत्रालय का इस बारे में क्या विचार है। ऐसा लगता है कि आज भी गृह मंत्रालय में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि पुरानी सरकार के तरीकों को जारी रखने के इच्छुक हैं। वे गलत कार्यों को छिपाने के अधिक इच्छुक है न कि उन्हे प्रकट करने के। वे भविष्य में इन बातों को रोकने के लिए वास्तविक कदम नहीं उठा रहे है।

राज्य सरकारों का अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिन्हें राज्य सरकार सेवाओं के लिए रखना चाहती है, उन्हे वहां नहीं रहने दिया जाता। ये निर्णय राज्यों के साथ परामर्श करके नहीं लिये जाते। यह तरीका देश के राज्यों का समान विकास करने के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुए है।

यह बात सिद्ध करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ो को देने की आवश्यकता नहीं है कि देश के पूर्वी भाग को विभिन्न साधनों तथा निवेशों से वंचित किया गया है। जब कि देश के अन्य भागों को वे उपलब्ध है। अतः यह उचित अवसर है कि हम देश में वास्तविक संघीय ढांचा स्थापित करें। इस समय शक्ति वितरण ऐसा है कि केन्द्र के पास अधिकाधिक शक्तियां एकत्रित हैं। इसलिए हमे केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियां बांटने के बारे में बातचीत करनी चाहिए।

केन्द्रिय आरक्षित बल तथा सीमा सुरक्षा दल जैसे विभिन्न पुलिस दल है। कोई भी जानना चाहगा कि भविष्य में इन पुलिस बलों को क्या भूमिका रहेगी क्योंकि अतीत में उनका उपयोग लोकतांत्रिक आंदोलनों के दबाने के लिए किया गया था। इनका प्रयोग देश में तानाशाही प्रवृत्ति लान के लिए लिया गया। इन्हे दमनकारी तथा प्रतिक्रियावादी बलों मे बदल दिया गया। कोई भी यह जानना चाहेगा कि केन्द्रीय आरक्षित बल तथा सीमा सुरक्षा दल को प्रयोग में लाने की जनता सरकार की क्या नीति होगी। तथा अनुसंधान और विश्लेषण विंग की वर्तमान भूमिका क्या होगी।

पुलिस जांच प्रणाली के बार में ऐसा लगता है कि सरकार पुराने ही तरोके को अपना रही है। हम जानना चाहते है कि क्या इस सरकार में इस देश के नागरिक का काम करने का अधिकार पुलिस द्वारा दी गई स्वीकृति पर निर्भर करेगा। गृह मंत्री को इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कोटा के निकट हुई खान दुर्घटना में परिणामस्वरूप होने वाली मौतों का समाचार

श्री सरत कार : श्रीमान, मैं संसदीय कार्य और श्रम मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हुं और उनसे प्रार्थना करता हुं कि वे इस सम्बद्ध में एक वक्तव्य दें।

22 अप्रेल, 1078 को कोटा (राजस्थान) के निकट हुई खान दूर्घटना, जिसमें 8 व्यक्ति मारे गये अनेक घायल हुए का समाचार।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : 22 अप्रैल, 1978 को शाम के लगभग 6 बजे राजस्थान के कोटा जिले में रामगंज मंडी के निकट मैसर्स वेस्ट सुकेत को-आपरेटिव लेबर कण्ट्रैक्ट सोसाइटी लिमिटेड, सुकेत की कुकरा चूना-पत्थर खान में एक दुर्घटना हुई। ओपन कास्ट वर्किंग के छिदरे मलवे तथा कछारी भूमि युक्त 7.5 मीटर की उंचाई वाले 'टॉप बैंच" की ओवर हैंगिंग साइड के तल पर उस समय लगभग 40 श्रमिकों का एक दल कार्य कर रहा था, जब कि 7.5 मी० × 7.2 मी० × 1 मी० के आकार की एक दीवार ढह गई और 15 श्रमिक नीचे दब गए। यह कहते हुए मझे खेद हो रहा है कि सात श्रमिक घटना-स्थल पर ही मर गए। दो श्रमिकों का झालावार के सरकारी अस्पताल में बहिरंग रोगियों के रूप में इलाज किया जा रहा है। बाकी के छः श्रमिकों को गम्भीर चोटें आई हैं और उनका इलाज अंतरंग रोगियों के रूप में उसी अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि उन सब की हालत खतरे से बाहर है।

इस दुर्घटना की जांच-पड़ताल की जा रही है। खान सुरक्षा महानिदेशक ने इस दुर्घटना के स्थल का निरीक्षण किया है। उनसे प्राप्त हुई प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना दीवार के गिरने के कारण हुई और उन्होंने दुर्घटना के लिए खान के प्रबन्धकों को जिम्मेदार ठहराया है। जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

खान सुरक्षा महानिदेशक ने ऊपर से नीचे की तरफ "बैंचिंग" द्वारा खानों को सुरक्षित बनाने से संबंधित कार्य के अलावा इस खान में आगे काम बंद कर देने का आदेश दिया है।

राजस्थान की राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री के राहत कोष में से मृत व्यक्तियों के परिवारों को एक-एक हजार रुपये तथा घायल हुए श्रमिकों को प्रत्येक श्रमिक की हालत की गम्भीरता पर निर्भर करते हुए 100 रुपये से 500 रुपये तक अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया है।

सरकार को इस दुर्घटना के होने और इसमें शिकार हुए अभागे व्यक्तियों की मृत्य पर गहरी चिंता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करेगी कि इस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए और उन्हे उपयक्त कड़ी सजा दी जाए। गैर-कोयला खानों में सुरक्षा की दशाओं में सुधार करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने हेतु खान सुरक्षा पुनरीक्षा समिति की शीघ्र ही बैठक होगी। खानों में श्रमिकों की सुरक्षा की सरकार को भारी चिंता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम भरसक आवश्यक कदम उठाएंगे। हमारा लक्ष्य न केवल दुर्घटनाओं को कम करना है, बल्कि सभी खानों मे दुर्घटना की संभावना को शून्य बिन्दु तक पहुंचाना हैं।

श्री सरत कार (कटक) : मंत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि यथा संभव कदम उठाय जायेंगे किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई घटना हो जाती है, उसी के बाद उपाय किए जाते हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध हैं कि भविष्य मे चसनाला जैसी कोई दुर्घटना न हो। एसी दुर्घटनाएं कम से कम होनी चाहिए।

[श्री सरत कार]

पता चला है कि मृतकों के परिवारों को मुख्य मंत्री कोष से प्रत्येक को 1000 रुपय दिए गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की वहां मृत्यु हुई है क्या उनके बच्चों को रोजगार दिया जायगा ताकि वे कठिनाई में न रहें। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अपंग हुए है उन्हें स्थायी तौर पर कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मंत्रीजी ने मृतकों की संख्या 7 बताई है किन्तु कोटा तथा जयपुर से निकलने वाले राष्ट्रदूत नामक दैनिक समाचार पत्र ने बताया कि वहां 30 श्रमिकों की मृत्यु हुई है।

भारतीय मजदूर संघ ने इस दुर्घटना की न्यायिक जांच करने की मांग की है। क्या मंत्री जी इस दुर्घटना की न्यायिक जांच करना आवश्यक समझते है? यदि आवश्यक हो तो श्रमिकों को संतुष्ट करने के लिए न्यायिक जांच करा देना चाहिए।

खान सुरक्षा के निदेशक ने प्रबन्ध व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराने का निर्णय लिया है। जहां तक मैं समझता हूं कि यह खान श्रम कंट्रैक्ट सोसायटी द्वारा चलायी जाती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि जिम्मेदारी किस पर डाली जायेगी क्योंकि ऐसे में सभी मालिक होते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह कहना गलत है कि दुर्घटना हो जाने के पश्चात ही सुरक्षा उपाय किये जाते है। दुर्घटनाएं पूर्व सरक्षा उपाय किए जाने के बाद भी हो जाती है। जहां तक सरकार तथा प्रशासन का सम्बध है, सभी यथा संभव उपाय ठीक समय पर किए जाते है।

जहां तक मुआवजा देने की बात है, हम इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। इस बारे में हमारी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। माननीय सदस्य ने मृतकों के लडकों तथा लडकियों को रोजगार देने की बात कहीं है। यदि यह संभव हुआ तो हम उनके बच्चों को यहां रोजगार दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि वहां 30 श्रमिक मरे है, मै उन्हे बता दूं कि वहां केवल 7 श्रमिकों की मृत्यू हुई है। इसके अतिरिक्त उन्होने प्रबन्धकों को जिम्मेदार ठहराने की बात की है। यह सही है कि यह कोपरेटिव सोसायटी है, किंतु ऐसी सोसायटी के भी पदाधिकारी होते है। इसलिए वे जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

श्री सौगत राय (बैरकपूर) : मैने मंत्री जी के विवरण तथा श्री सरत कार द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से सुना है। फिर भी मै इस बात पर पुनः जोर देता हुं कि खान सुरक्षा महानिदेशालय सुरक्षा उपायों के प्रति उतना सजग नहीं हो जितना कि होना चाहिए। क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं प्रायः हो रही है।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि 1977 के दौरान कोयला खान दुघटनाओं मे 230 व्यक्तियों की मत्यू हुई और गर कोयला खानों में 84 व्यक्ति मारे गए। जहां तक दुर्घटनाओं का सम्बध है, कोयला खानों में 2000 दुघटनाएं तथा गैर कोयला खानों में 780 दुर्घटनाएं हुई है।

कोटा में चूना पत्थर खान दुर्घटना में जो 7 आदमी मरे है, उनमें 4 पुरुष तथा 3 महिलाएं थी। हमें पता नहीं कि महिला श्रमिकों को भी समान पारिश्रमिक दिया जाता है अथवा नहीं।

कोयला खान (सुरक्षा) विनियम अधिनियम में कई परिवर्तन किए गए हैं। किन्तु जहां तक गैर कोयला खानों का सम्बन्ध है, उन पर अभी भी खान अधिनियम, 1952 तथा खान नियम 1955 लागू होते है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य में कुल खान सुरक्षा मशीनरी कितनी है। क्या सरकार का विचार खान अधिनियम 1952 तथा खान उपाय 1955 में संशोधन करने का है ताकि इन खानों में सुरक्षा उपाय उपलब्ध हो सके।

हर्ष की बात है कि मंत्री जी चाहते हैं कि दुर्घटनाएं बिलकुल भी न हों। किन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि खान दुर्घटनाओं में कोई कमी नही हों रही है। गैर-सरकारी खान मालिकों के विरूद्ध विशेष उपाय किए जाने चाहिए। वे कोयला खानों को चूना पत्थर डोलोनोमाईट आदि खानों के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं।

श्री रविंद्र वर्मा : माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय सुरक्षा उपायों के प्रति अधिक रूचि नहीं रखता। जब कि वास्तविकता यह है कि इस निदेशालय की स्थापना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यदि वह इस बात पर बल देते है कि इस संगठन को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए तो उनका ऐसा कहना उचित है।

उन्होंने उल्लेख किया है कि 31 मार्च को तारा में हुई दुर्घटना के बारे में नोटिस बोर्ड में सूचना देर से दी गई है। मैं उन्हें बता दूं कि इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यदि मृतकों की संख्या पांच या उससे अधिक होती है तो सूचना लोक सभा के नोटिस बोर्ड पर लगानी होती है। किन्तु आम प्रक्रिया यह है कि प्रारम्भिक रिपोर्ट के पश्चात ही सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है न कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर। इस मामले में जानकारी 25 तारीख को मिली और प्रारम्भिक रिपोर्ट आज ही मिली है। दुर्घटना 22 तारीख 6 बजे शामको हुई। मंने प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर ही आज विवरण पेश किया है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने गैर-कोयला खानों का उल्लेख किया है। विभिन्न खानों की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती है। मंत्रालय भविष्य में भिन्न-भिन्न खानों के बारे में भिन्न-भिन्न जानकारी प्रदान करने का पूरा प्रयास करेगा।

उन्होंने काम की दशाओं का भी उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मरने वालों में 4 महिला श्रमिक भी थे। यह एक ओपन कास्ट खान है और ऐसी खानों में महिलाओं पर काम करने पर रोक लगाने के लिए कोई कानून नही होता। उन्होंने यह भी कहा है कि क्या सरकार का विचार खान अधिनियम में संशोधन करने का है। हम इस अधिनियम में ऐसा संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं; जिससे कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को अधिक कठोर दंड दिया जा सके तथा अन्य कमियों को दूर किया जा सके।

[रवीन्द्र वर्मा]

उन्होंने एक खान सुरक्षा संस्थान की स्थापना का सुझाव भी दिया है । यह अच्छा सुझाव है । हम सुरक्षा उपायों के लिए लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं । उन्होंने दुर्घटनाओं को शून्य स्तर पर लाने के बारे में मुझे आशावादी बताया है । मेरा विचार है कि इस बारे में सभी को आशावादी होना चाहिए।

Shri Mahe Lal (Bijnaur): It is unfortunate that a number of mine-workers are killed in mine accidents from time to time. In this particular case the workers were supposed to work in the mine upto 5 P.M. but they were compelled to work in the mine after 5 P.M.

I want the Minister to find out whether this Cooperative Society is a bogus cooperative society and the contractor on the pretex of cooperative has taken this mine for availing certain exemptions? I want to know whether any fund will be set up from where the families of the workers killed in mine accidents may get unemployment allowance on permanent basis. Arrangements should be made for getting immediate information about any mine accident. What are the measures to be adopted for reducing the mine accidents to zero level.

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या श्रमिक निर्धारित समय के बाद भी खान में काम कर रहे थे । प्राप्त सूचना के अनुसार यह दुर्घटना 6 बजे शाम को हुई।

दूसरे उन्होंने कहा है कि वह सहकारी समिति नकली है । लेकिन यह सहकारी समिति बहुत समय से चली आ रही है । इस समिति को खनन लायसेंस कुछ वर्ष पूर्व ही मिला था और इसका 1975 में तीसरी बार पांच वर्ष के लिये नवीकरण किया गया था । जांच के दौरान इस समिति के स्वरुप और गठन को भी जांच की जायगी ।

हम इस समुचे मामले की जांच करेंगें और यदि केन्द्रिय जांच ब्यूरो या किसी अन्य एजेंसी की सहायता आवश्यक समझी गई तो हम उनकी सहायता अवश्य ही लेगें । इस मामले की गहराई से जांच की जायेगी और इसके लिए जिम्मेदार लोंगों का पता लगाया जायेगा तथा उन्हें दण्ड दिया जायेगा ।

न्याय के लिये अपेक्षित सभी प्रकार की सहायता ली जायेगी । यदी यह आवश्यक समझा गया कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये तो हम ऐसा निकाय नियुक्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखायेंगे ।

Shri Chaturbhuj (Thalwar): I would request you to send there 3 member Parliamentary delegation to inquire into the incident and matter should be enquired by C.B.I.

अनुदानों की मांगे 1978-79—जारी
DEMANDS FOR GRANT, 1978-79—**Contd.**

गृह मंत्रालय—जारी

Shri M. Satyanarayan Rao (Karimgunj): After Janata Party came into power they have appointed one commission after another. Crores of rupees are being wasted on these commissions.

Bhargava Commission has been appointed to inquire into the killing of Naxalites by police in Andhra Pradesh. This Commission is not serving any useful purpose. The state police has been demoralised. The Chief Minister of Andhra Pradesh has written to the Prime Minister and the Home Minister to wind up this commission. The Central Government should wind up this Commission as requested by the Chief Minister.

A news item has been appeared in the 'Blitz' that the Home Minister has written to the Prime Minister about certain things against his son Kanti Desai. If there is any truth in the press report the Government should appoint a commission of inquiry in this matter; otherwise action should be taken against the concerned paper.

There is a sense of insecurity among the people especially in the Capital City of Delhi. There is a general impression among the Kulaks and others that the Janata Party Government is their own Government and as such they can do anything they like. Steps should be taken to dispel this impression.

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : गृहमंत्रालय की इस देस में न केवल अपने कार्यों से बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी एक समुचित वातावरण पैदा करना चाहिए। इस तरह की धारणा पैदा की गई है कि गृह मंत्री का कोई भी कहना नहीं मानता। आपात स्थिति समाप्त करने के पश्चात् लोगों में राहत की भावना पैदा हुई। यह भावना अब गुण्डों, डाकुओं तथा समाज विरोधी तत्वों में घर कर गई है। ये अब इसका दुरूपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि देश में कानून और व्यवस्था की कई समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। इसीलिए केन्द्र में गृह मंत्री का ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जिसका समुचे राष्ट्र पर प्रभाव पड़े। यदि इसी तरह की स्थिति चलती रही तो फिर हमारे समक्ष एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियोंका सम्बन्ध है उनके प्रति केवल दिखावे मात्र को सहानुभूति प्रकट की गई है। देहातो में हम उन्हें गांव से पृथक रखते ह। उन्हें गांवों के बीच बसाया जाना चाहिए। तभी हम वर्गहीन समाज की स्थापना कर सकते हैं।

समाचार पत्रों में बताया गया है कि प्रत्येक उपसचिव को अनिवार्य रूपसे हिन्दी सीखने के लिए बाध्य् किया जा रहा है। सरकार लोगों को हिन्दी सीखने के लिए बाध्य कर रही है। मैं अंग्रेजी की वजह से ही बिहारी, कश्मीरी तथा पंजाबी की विचारधारा को समझ लेता हूं और अंग्रेजी की वजह से ही मुझ में राष्ट्रीय भावना है। मै अंग्रेजी की बदोलत ही इलाहाबाद, पटना उच्च न्यायालय और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयो का उदाहरण दे सकता हूं।

कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए नौकर शाही को दोष देना व्यर्थ है। सरकार ही उन्हे नियम पुस्तिका देती है और उन्हें इसका पालन करने के लिए कहा जाता है। उन्हें सरकार के आदेशों का पालन करना पड़ता है।

केन्द्रीय सरकार तथा गृह मंत्रालय को देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति सम्बन्धी समस्याओं के प्रति गम्भीरता से विचार करना चाहिए, जिसके लिए केन्द्र को कई कानून बनाने होगें। ऐसा करते समय यह देखना होगा कि राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप न हो। मुख्य मंत्रियों तथा राज्यों के गृह मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : यदि यह सरकार माननीय सदस्यों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो कटौती प्रस्तावों का उद्देश्य वैकल्पिक सुझाव देना है। उन्होंने क्या वैकल्पिक सुझाव दिएं हैं ? सरकार की नीतियों की केवल आलोचना करने से कोई लाभ नही।

जनता सरकार ने पिछली सरकार के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया है। इस कारण विपक्ष में कुछ असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। उनका मनोबल गिर गया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन विपक्ष के किसी भी सदस्य ने तमिलनाडु, आन्ध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कुछ नही कहा है। वे इस स्थिति को जानते है और जानबूझकर सरकार की निन्दा कर रहे हैं।

जहां तक हमारी अखिल भारतीय सेवाओं के योगदान का प्रश्न है, आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की कटु आलोचना की गई है। इन सेवाओं के बारे में हमारे मन खुले होने चाहिए। बहुत कुछ मंत्री पर भी निर्भर करना है। यदि मंत्री स्वयं अपना स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ हो तो नौकर शाही उन्हें अंधेरे में नही रख सकती।

इस बात को समझा जाना चाहिये कि आज नौकर शाही पुराने जमाने की नौकर शाही नही है। अब यह लोगों के हित में है। हम उनके साथ बैठकों में बातचीत करते हैं और उन्हें कहते है कि जब तक उनका दृष्टिकोण जनोन्मुखी नही होगा, तब तक वे देश को नियंत्रित नही कर सकेंगे। अतः वे इस बारेमें प्रयत्नशील है। हम इतने जल्दी उनमें परिवर्तन नही ला सकते। यह अपना समय लेगा।

कहा गया है कि राज्य पुर्गठन आयोग द्वारा जिन तीन सेवाओं की सिफारिशें की गयीं थी उन्हें अभी तक अखिल भारतीय सेवा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारतीय वन सेवा का गठन किया जा चुका है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इसके लिए भर्ती की जा रही है। भारतीय इंजीनियरिंग तथा स्वास्थ्य सेवाओं को हमने गठित नही किया है क्योंकि हम विकेन्द्रीकरण की ओर जा रहे है।

भारतीय आदिवासी सेवा तथा राज्य आदिवासी सेवा गठित करने की चर्चा भी की गई है। अनुच्छेद 312 के अन्तर्गत केवल अखिल भारतीय सेवा आती है। यदि हम क्षेत्र विशेष के लिये सेवा का गठन कर तो इस का चरित्र अखिल भारतीय नहीं होगा क्योंकि अखिल भारतीय सेवा का काम भारत की एकता बनाये रखना है। यदि हम सेक्शनल सेवा का गठन करें तो इससे पृथकतावादी प्रवृतियां पैदा होंगी। अतः सरकार इसके पक्ष में नहीं है।

श्री चटर्जी ने राज्यों के अखिल भारतीय सेवा पर नियंत्रण की चर्चा की है, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार है। बड़े बड़े देशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कों अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्तियां हैं। अन्य बातों के लिए राज्य सरकार का आई०ए०एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों पर नियंत्रण रहता है। इन सेवाओं के अधिकारियों का दृष्टिकोण अखिल भारतीय होना चाहिए, अतः हम उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित करते है।

जहां तक अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग का सम्बन्ध है, यह इससे पहले प्रजातंत्र विरोधी कार्यों में लगा रहा होगा, लेकिन अब इसके बारे ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

जहां तक पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाणीकरण का सम्बन्ध है, यह नितान्त आवश्यक है। जब तक हम किसी व्यक्ति के चरित्र का सत्यापन नहीं करते तबतक उसको नियुक्त करना सुरक्षा तथा अन्य बातों की दृष्टि से सुरक्षित नहीं होगा।

जहां तक शाह आयोग के प्रतिवेदन को सभा पटल में रखने का सम्बन्ध है, इस पर सचिवों द्वारा व्यापक रुप से विचार किया जा रहा है। वे कार्यवाही करने के लिए कुछ सुझाव देंगे। जो भी सिफारिशें विचारणीय होंगी, उन्हें सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद सभा पटल पर रखा जायेगा।

एक बात कही गई है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त आरक्षण नहीं किया जा रहा है। 1977-78 के लिए प्रतिवेदन में दिए गए आंकड़ों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उनके आरक्षण की संख्या बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य को बात है कि कई अभ्यार्थी अपेक्षित स्तर या योग्यता के नहीं पाये जाते क्योंकि उन्हें आवश्यक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय विभिन्न संस्थाओं को सहायता दे रहा है जहां वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण पूर्व क्लासें लगाते है ताकि वे परीक्षा के लिए तैयारी कर सकें।

अंतिम बात प्रशासन के विकेंद्रीकरण के बारे में है। सरकार इस बात से सहमत है कि प्रशासनिक क्षमता में सुधार करने के लिए विभिन्न निर्णय लिए जाने वाले स्तरों को प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान करना वांछनीय है। साथ ही प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। प्रधान मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रीयों को दो पत्र लिखे है, जिसमें उन्होंने प्रशासन के विकेंद्रीकरण तथा शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने नियमों तथा प्रक्रिया के सरलीकरण तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करने पर भी बल दिया है। प्रधान मंत्री ने भारत सरकार के सचिवों को भी मौखिक रुप से इन सारी बातों के विषय में कहा है।

श्री अहमद हुसेन (धुबरी) : जब से जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से अपराध बढ़ रहे है और देश में अराजकता बढ़ रही है और सरकार उन्हें समय पर रोकने में असमर्थ रही है। सबसे बुरी दशा पद दलितों, हरिजनों तथा जनजातियों और मुसलमानों की है। आपात स्थिति के समय की तुलना में अब लोग अपने आपको अधिक असुरक्षित पाते हैं।

आसाम में अल्पसंख्यक लोगों को संख्या 40 प्रतिशत है और उनमें से अधिकांश घाटी क्षेत्रों तथा ब्रहमपुत्र के द्वीपों में बसे हुए हैं। उनकी कई समस्याएं हैं। अल्प संख्यकों के इस वर्ग के लोग हर प्रकार से पिछडे हुए हैं। अल्प संख्यक लोगों में व्याप्त आर्थिक असमानता से इन वर्गों के लोगों में निराशा को भावना पैदा हो गई है और इसका निहित स्वार्थ वाले लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

गोलपाडा के जिले के गरीब लोग जो कि ब्रहमपुत्र घाटी के सीमा द्वीपों में रह रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और उन्हें बाजार में अपने उत्पादनों को बेचने के लिये

एक घाटी से दूसरी घाटियों के चक्कर काटने पडते हैं। सीमा सुरक्षा दल के लोग उन्हे तंग करते हैं और यह कह कर उनकी वस्तुऐ छीन लेते हैं कि ये बंगला देश से चुराई गई वस्तुऐं हैं। उन्हें इस तरह नही सताया जाना चाहिए।

बंगला देश के घुसपैठियों के नाम पर पुलिस वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मुसलमानों को तंग करते हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री बकिन पर्टिन (अरुणाचल-पूर्व) : यह कहते हुए मुझे खेद होता है कि गृह मंत्रालय अरुणाचल के बारे में जानकारी केवल नौकरशाहों द्वारा प्राप्त करता है जो कि वहां गृह मंत्रालय की निगरानी के बिना काम कर रहे हैं। मुझे इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं कि इससे पहले की केन्द्रीय सरकार अरुणाचल प्रदेश के जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए कार्य करें, इसे सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। गृह मंत्रालय को संसद में वहां के प्रतिनिधियों के विचारों को अधिक महत्व दना चाहिये न कि नौकरशाहों के विचारों को। नौकरशाहों द्वारा दी जाने वाली सूचना पर पूर्णतया निर्भर रहना खतरनाक है क्योंकि इस संघ राज्य क्षेत्र में नौकरशाही शासन कायम करने मे उनके अपने स्वार्थ निहित हैं।

अरुणाचल में आपात स्थिति अभी भी लागू है। वहां अभी भी उपराज्यपाल की तानाशाही कायम है और उन्होंने उसे व्यक्तिगत सम्पत्ति समझ रखा है। इस कार्य के लिए उसके अपने साथिओं का एक गुट है। उन्होंने लोक तांत्रिक प्रणाली को हास्यास्पद बना रखा है। उपराज्यपाल दलीय राजनीति में हिस्सा लेकर भाईभतीजावाद और पक्षपातपूर्ण नीति चला रहे हैं। अपनी शान-शौकत बनाये रखने के लिए धन का दुरुपयोग कर रहे हैं।

उपराज्यपाल पक्षपात और भाईभतीजावाद में सैनिक अधिकारियों को विशेष लाभ पहुंचाते हैं। स्पष्ट है कि सभी उच्च पदोंपर सैनिक अधिकारियों को रखा जाता है। प्रदेश के बाहर के योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किये जाने के मैं विरुद्ध नहीं लेकिन उपराज्यपाल तो क्षेत्रीयता को बढ़ावा दे रहे हैं जो आपत्तिजनक है।

अरुणाचल में एक और खतरनाक बात यह है कि ईसाइ गिरजाघरों के विरुद्ध राजा द्वारा उत्प्रेरित अभियान चलाया गया है। नौकरशाही का कहना है कि पी. पी. ए. ईसाइयों की पार्टी है जिसकी वफादारी देश से बाहर है और उसे बाहर से ही धन मिलता है। अतः वहां पहली बार साम्प्रदायिकता के बीज बोये जा रहे हैं।

पिछले लोकसभा चुनावों में उपराज्यपाल ने वायुसेना के विमानों और हेलीकाप्टरों की सहायता से निर्वाचनों में हिस्सा लिया यद्यपि ऊपर से वह दौरा करने का ढोंग कर रह थे लेकिन उनका असली उद्देश्य कांग्रेस का प्रचार करना था। मैंने राजा द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध गृहमंत्री और प्रधान मंत्री को आवेदन दिये हैं जिनका कोई फल नहीं निकला। जब तक सरकारी तंत्र पर भ्रष्ट व्यक्ति का हाथ है अरुणाचल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। पिछले विधानसभा चुनावों में गड़बड़ी हुई थी। पी. पी. ए. के चुनाव एजेंटो को, यह देखने के लिए कि निष्पक्ष मतदान हो रहा है या नहीं, मतदान केन्द्रों में नहीं जाने दिया गया।

वर्तमान अरुणाचल मंत्रालय उपराज्यपाल और उनके गुर्गों के हाथ में है। उन्हीं के आदेशपर सारे कांग्रेसी जनता दल में आअ गये और अब फिर सभा में हैं। खेद है कि दल के हाईकमान ने उन लोगों के पिछले जीवन को न देखा करके उन्हें दल में शामिल कर लिया। अरुणाचल में राजनीतिक अवसरवादिता का बोलबाला है और जनता विचारधारा के प्रति निष्ठा का अभाव है। राजनीति के माध्यम से लोग जलदी ऊपर उठना चाह रहे हैं। यह एक आकर्षक व्यवसाय हो गया है। इसलिए अब वह प्रदेश भ्रष्टाचार भाईभतीजावाद और पक्षपात का अड्डा बन गया है। वहां के मंत्रियों की पत्नियां और उनके रिश्तेदार सिनेमागृहों, पेट्रोल पम्पों, आटा मिलों आदि के मालिक बन गय हैं और उन्हो को व्यापार के लाइसेंस मिलते हैं। उपराज्यपाल के साथ इन सभी को सांठगांठ है। अत: मैं गृहमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उपराज्यपाल को हटाकर वहां उच्च शक्ति प्राप्त जांच समिति नियुक्त की जाये जो नौकरशाही कुशासन की जांच करे। स्वच्छ प्रशासन के बिना उस संवेदनशील क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता।

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): It has been said by some Members that the respect for law and order is going down. The Prime Minister has said that incidents of violence and lawlessness in whichever parts of the country they may occur, are a matter of concern for us all. I have suggested an all party conference to discuss the law and order issue. The opposition leaders should accept this suggestion with full sincerity and participate in the proposed conference.

We all are distressed whenever violence takes place. But it is the responsibility of the Government to maintain law and order. The Government will never shirk their responsibility and allow lawlessness to prevail in the country. Respect for law and maintenance of law and order are vital for the success of democracy to which the Janata Government stand committed.

Maintenance of law and order is primarily a state subject. On the one hand, it is pleaded that more autonomy should be given to States, on the other, it is suggested that Centre should have more powers in this matter. We full respect the autonomy being enjoyed by States and we do not want it to be eroded. The Centre will give advice and help to the States for maintaining law and order whenever they ask for it.

Some references have been made to the views of the Home Minister. I will like to tell the House that the Home Minister has all along been opposed to caste system. In 1956, I had written to Pandit Jawaharlal Nehru that inter-caste marriages should be made compulsory for entry into all-India services. At that time, Pandit Nehru did not accept this suggestion. When Chaudhary Sahib became the Chief Minister of U.P., he made an effort for this again but the constituent parties in the Government did not agree to it.

On 2nd October, 1977, the Home Minister wrote a letter to Chief Ministers, stating that caste system was at the root of Harijans problem. Such are the views of the Home Minister.

Shri Ramanand Tiwary expressed great concern about our police force. It is a fact that during the last 30 years no improvement has been made in the service conditions of policemen and this has affected their morale a great deal.

A Police Commission has been set up. This commission wants to improve the lot of policemen. This Commission should have been set up soon after attainment of independence so as to examine as to what relationship should be between the police and the people. The Police Commission will be given an interim report on urgent problems.

The condition of jails is not good and there is need for improving our jails. This is a State subject. We will write to State Governments in this regard and will give them necessary assistance.

The Government will give all protection to Harijans. We want to improve their condition.

अध्यक्ष महोदय : अब में श्री बनतवाला द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2, 22, 25, 48 और 67 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री धोंगड द्वारा पेश किय कटौती प्रस्ताव संख्या 3 और 7 से 10 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शिब्बन लाल सक्सेना द्वारा पेश किया गया कटौती प्रस्ताव संख्या 5 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The cut motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मनोरंजन भक्त द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव संख्या 27 से 47 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरिधर गोमांगो द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव संख्या 85 से 126 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were put and negatived.

गृह् मंत्रालय के सम्बन्ध में वर्ष 1978–79 के लिये निम्नलिखित अनुदानों की मांगे मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई :

The following Demands for grants relating to the Ministry of Home Affairs for the year 1978-79 were put and adopted :

मांग संख्या No. of Demand	मांग का नाम Name of Demand	सभा की स्वीकृति के लिए पेश किए जाने वाले लेखानुदान में मांग की राशि Amount of Demand for Grant on account to be submitted to the vote of the House	
1	2	3	4
		राजस्व Revenue रुपए Rs.	पूंजी Capital रुपए Rs.
	गृह मंत्रालय **MINISTRY OF HOME AFFAIRS**		
47.	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	41,40,000	..
48.	मंत्रिमंडल Cabinet	21,39,000	..
49.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग Department of Personnel and Administrative Reforms	1,23,80,000	..
50.	पुलिस Police	36,43,94,000	1,21,67,000
51.	जनगणना Census	86,63,000	
52.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	31,76,58,000	14,15,34,000
53.	दिल्ली Delhi	23,67,78,000	14,64,33,000
54.	चंडीगढ़ Chandigarh	3,59,64,000	1,61,87,000
55.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह Andaman and Nicobar Islands	4,16,27,000	2,24,50,000
56.	दादरा और नागर हवेली Dadra and Nagar Haveli	42,41,000	42,76,000
57.	लक्षद्वीप Lakshadweep	84,63,000	31,76,000

वर्ष 1978-79 के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following demands for grants relating to following Ministries/Departments for the year 1978-79 were put and adopted:

मांग संख्या No. of Demand	मांग का नाम Name of Demand	सभा की स्वीकृती के लिए पेश किए जाने वाले लेखानुदान में मांग की राशि Amount of Demand for Grant on account to be submitted to the vote of the House	
1	2	3	
		राजस्व Revenue रुपए Rs.	पूंजी Capital रुपए Rs.
13.	नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता Civil Supplies and Cooperation	6,25,38,000	3,67,57 000
	संचार मंत्रालय **MINISTRY OF COMMUNICATIONS**		
14.	संचार मंत्रालय Ministry of Communications . .	31,14,000	2,21 87,000
15.	विदेश संचार सेवा Overseas Commuications Service .	1,88,68,000	1,84,02,000
16.	डाक-तार—कार्यकरण व्यय Posts and Telegraphs—Working Express . .	1,08,84,15,000	
17.	डाक-तार—सामान्य राजस्व को लाभांश, प्रारक्षित निधी में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी Posts and Telegraphs—Dividend to General Revenues, Appropriations to Reserve Funds and Repayment of Loans from General Revenues	31.08,97,000	..
18.	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Posts and Telegraphs . .		57,89,73,000
28.	ऊर्जा मंत्रालय Ministry of Energy . .	11,28,000	..
29.	विद्युत विकास Power Development .	10,65,28,000	34,96,43,000
30.	कोयला और लिग्नाइट Coal and Lignite	4,71,15,000	66,16,50,000

मांग संख्या No. of Demand	मांग का नाम Name of Demand	सभा की स्वीकृति के लिए पेश किए जाने वाले लेखानुदान में मांग की राशि Amount of Demand for Grant on account to be submitted to the vote of the House	
1	2	3	
		राजस्व/Revenue रुपए/Rs.	पूंजी/Capital रुपए/Rs.
	वित्त मंत्रालय Ministry of Finance		
32	वित्त मंत्रालय Ministry of Finance	5,61,86,000	..
33	सीमा शुल्क Cus toms	5,50,73,000	..
34	संघ उत्पाद शुल्क Union Excise Duties	8,44,02,000	..
35	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर Taxes on Income, Estate Duty, Wealth Tax and Gift Tax	8,31,78,000	..
36	स्टाम्प Stamps	3,10,17,000	21,00,000
37	लेखापरिक्षा Audit	10,26,97,000	..
38	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल Currency, Coinage and Mint	8,46,45,000	3,63,28,000
39	पेंशनें Pensions	11,12,50,000	..
40	अफीम और एल्कलाइड फैक्टरियां Opium and Alkaloid Factories	28,61,99,000	38,62,000
41	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण Transfers to State and Union Territory Governments	280,93,58,000	..
42	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय Other Expenditure of the Ministry of Finance	40,65,86,000	304,46,73,000
43	सरकारी सेवकों आदि को उधार Loans to Government Servants, etc. . .		11,66,67,000
	विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय Ministry of Law, Justice and Company Affairs		
67	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय Ministry of Law, Justice and Company Affairs .	2,35,35,000	17,000
68	न्याय प्रशासन Administration of Justice	6,42,000	..

मांग संख्या No. of Demand	मांग का नाम Name of Demand	सभा की स्वीकृति के लिए पेश किए जाने वाले लेखानुदान में मांग की राशि Amount of Demand for Grant on account to be submitted to the vote of the House	
1	2	3	
		राजस्व/Revenue रुपए/Rs.	पूंजी/Capital रुपए/Rs.
	योजना मंत्रालय **Ministry of Planning**		
72	योजना मंत्रालय Ministry of Planning	43,000	..
73	सांख्यिकी Statistics	2,29,85,000	..
74	योजना आयोग Planning Commission	79,86,000	..
	इस्पात और खान मंत्रालय **Ministry of Steel and Mines**		
79	इस्पात विभाग Department of Steel	2,13,61,000	89,80,48,000
80	खान विभाग Department of Mines	5,83,000	..
81	खान और खनिज Mines and Minerals	8,75,17,000	10,04,83,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय **Ministry of Tourism and Civil Aviation**		
85	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय Ministry of Tourism and Civil Aviation	8,90,000	..
86	मौसम विज्ञान Meteorolcgy	2,89,52,000	1,39,76,000
87	विमानन Aviation	4,68,78,000	4,69,61,000
88	पर्यटन Tourism	78,62,000	56,03,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग **Department of Atomic Energy**		
94	परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy	8,57,000	..
95	परमाणु ऊर्जा, अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं Atomic Energy Research, Development and Industrial Projects	12,95,18,000	32,86,54,000
96	न्यूकलीयर स्कीमें Nuclear Power Schemes	9,55,50,000	7,89,89,000

मांग संख्या No. of Demand	मांग का नाम Name of Demand	सभा की स्वीकृति के लिए पेश किए जाने वाले लेखानुदान में मांग की राशी Amount of Demand for Grant on account to be submitted to the vote of the House	
1	2	3	
		राजस्व/Revenue रुपए/Rs.	पुंजी/Capital रुपए/Rs.
	इलेक्ट्रोनिक्स विभाग Department of Electronics		
99	इलेक्ट्रोनिक्स विभाग Department of Electronics	1,68,86,000	5,74,40,000
	विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग Department of Science and Technology		
100	विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग Department of Science and Technology	5,55,60,000	20,83,000
101	भारतीय सर्वेक्षण Survey of India	3,26,67,000	—
102	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान Grants to Council of Scientific and Industrial Research	7,68,92,000	..
	अंतरिक्ष विभाग Department of Space		
103	अंतरिक्ष विभाग Department of Space	7,37,91,000	5,24,07,000
	संसद्, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग Parliament, Department of Parliamentary Affairs, Secretariats of the President and Vice-President and Union Public Service Commission		
104	लोक सभा Lok Sabha	83,04,000	..
105	राज्य सभा Rajya Sabha	33,11,000	
106	संसदीय कार्य विभाग Department of Parliamentary Affairs	4,44,000	..
107	उपराष्ट्रपति का सचिवालय Secretariat of the Vice-President	94,000	

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक
APPROPRIATION (NO. 3) BILL

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1978-79 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधी में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि वित्तीत वर्ष 1978-79 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधी में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव
MOTION UNDER RULE 388

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1978 के बारे में नियम 218(2) का निलम्बन किया जाना

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 218 के उपनियम (2) को, जहां तक वह विनियोग (संख्या 3) विधयक 1978 पर विचार किये जाने तथा उसे पास किये जाने के प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बित करती है।"

श्री हरी विष्णू कामत (होशंगाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 218 के उपनियम (2) को निलम्बित करने की मांग की गई है। सभा के समक्ष न तो विचार करने और न ही पास करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है। यह बाद में आयेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप तकनीकी रुप से सही हैं। मंत्री महोदय पहले विचार करने का प्रस्ताव पेश करें और बाद म निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करें।

श्री एम० कल्याणसुंदरम (तिरूचिरापल्लि) : मैं नियम 218 को निलम्बित करने सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसे निलम्बित करने का अर्थ यह होगा कि विनियोग विधेयक जल्दबाजी में पास किया जायेगा। विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद के लिये उचित अवसर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद कल जारी रहेगा।

श्री एम० कल्यणसुंदरम : तब नियम को निलम्बित क्यों किया जाना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा इसलिये होना चाहिये कि इसे आज पास किया जा सके और वित्त विधेयक कल लिया जा सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 218 के उप पैरा (4) के अनुसार सदस्य को एक सूचना देनी चाहिये जिसमें वह सभी ब्यौरा होना चाहिये जिसके बारे में वह बोलना चाहता है।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : विनियोग विधेयक दो या तीन स्तर होते है। कुछ मांगों पर हम चर्चा नहीं कर पाय हैं। इस स्तर पर हम चर्चा कर सकते हैं। आप नियम को इस प्रकार निलम्बित नहीं कर सकते। मैं निलम्बन प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस समय सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। निलम्बन प्रस्ताव सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित होना चाहिये। अत: नियम 388 यहां लागू नहीं होता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। नियम 218, उपनियम (5) के अनुसार केवल उन्हीं सदस्यों को, जिन्होंने व्याख्यात्मक नोट सहित नोटिस दिया है, बोलने का अधिकार है, दूसरों को नहीं।

श्री सी० एम० स्टीफन : उप-नियम (2) के अधीन आपको वह तारीख निर्धारित करनी होगी जिस दिन वाद-विवाद होना हो। जब तक तारीख तथा समय निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक मुझे सूचना देन की आवश्यकता नहीं है।

श्री वयावलार रवि (चिरयिंकील) : यह नीति सम्बन्धी मामला है और बजट से सम्बन्धित है। इसपर वाद-विवाद होना चाहिये, इस सन्दर्भ में प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : इस मामले में इस सभा के मूल अधिकारों का प्रश्न जुड़ा हुआ है। संविधान के अधीन विनियोग विधेयकों के बारे में हमारे कुछ विशेष अधिकार है, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : नियम 388 तभी लागू किया जा सकता है जब मामला बहुत जल्दी का हो। यदि ऐसा होता है तो हम समझेंगे कि सरकार फेल हो गई है या खजाना खत्म हो गया है या सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। अन्यथा आप सदस्यों को उनके बोलने के अधिकार से क्यों वंचित कर रहे है? मैं जानना चाहता हूं कि इस समय गिलोटीन करने और नियम 388 को निलंबित करने की क्या आवश्यकता थी?

Shri Hukumdeo Narain Yadav (Madhubani): Sir, under Rule 221 you can exercise all such powers as are necessary for the purpose of the timely completion of all financial business.

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : कार्यसूची की मद संख्या 16 विनियोग विधेयक को पुर: स्थापित करने के बारे में ही है। इसे पुर: स्थापित कर दिया गया है। अब सभा के समक्ष क्या कार्य है जिसके बारे में आप नियम को निलम्बित कर रहे है? यदि इस स्टेज पर आप नियम को निलम्बित कर देते है तो विनियोग विधेयक का क्या होगा? क्या आप इसे पुन: सभा के समक्ष ला सकेंगे क्यों कि आपने इसे पास करना है?

अध्यक्ष महोदय : यदि हम विधेयक को कल ले तो इसमें क्या कठिनाई है।

श्री एच० एम० पटेल : कोई नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तब निलम्बन आवश्यक नहीं है। मैंने कल की तारीख निर्धारित कर दी है।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

16 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 16 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन् पीठासीन हुई
Shrimati Parvati Krishnan in the Chair]

आधे घंटे की चर्चा
HALF AN HOUR DISCUSSION

टायरों के मूल्यों में वृद्धि

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : टायरों के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा इस सरकार की दोहरी आर्थिक नीतियों का द्योतक है। औद्योगिक सामन्तवाद को समाप्त करने सम्बन्धी जनता पार्टी के प्रस्ताव का स्वागत है। इस मूल्य वृद्धि में मिली भगत से प्राकृतिक रबड़ के कच्चे माल के उत्पादकों और पंजाब जैसे राज्यों में 3 लाख से अधिक एक ट्रक वाले मालिकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है और इसके फलस्वरूप समूचे मूल्य स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। टायर उद्योग पर काफी हद तक बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का वर्चस्व है। उन्होंने एम० आर० टी० पी० अधिनियम का उल्लंघन किया है। उन्होंने 1971 के प्रतिबन्धनकारी व्यापार व्यवहार जांच संख्या 1 के मामले में विशिष्ट एम० आर० टी० पी० आदेश का उल्लंघन किया है। यह इस आदेश तथा अधिनियम के उपबन्धों का घोर उल्लंघन है।

इससे पूर्व मंत्री ने यह आरोप लगाया कि ये लोग मूल्य बढ़ा रहे हैं और हड़तालों तथा ताला बन्दियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कच्चे माल के मूल्य टायरों के निर्माण में आने वाले माल के प्रतिशत के अनुपात में कम हो गये है। रबड़ उत्पादकों की यह मांग है कि उन्हें उचित मूल्य दिये जाये जिसका विरोध इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। लाखों किसान यह मांग कर रहे है और बागान श्रमिकों ने इसका समर्थन किया है। इस सरकार की बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों तथा कुछ अन्य हितों से मिली भगत है।

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य बढ़ा कर 760 रुपये करने की मांग का विरोध किया जा रहा है। टायर निर्यात के नाम पर राज सहायता भी दी जाती है जो टायर निर्माताओं को दी जाती है। प्राकृतिक रबड़ पर 10 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपकर लगाया गया है।

राजस्व आय में भी वृद्धि हुई है। गत वर्ष 1975 की 3.68 करोड़ रुपये की तुलना मे 5.68 करोड़ रुपये की राजस्व आय हुई लेकिन टायरों के निर्यात के संबध में दी जाने वाली राजसहायता को बन्द कर दिया गया है। इस राजसहायता से देश में बनाए जाने वाले टायरों को भारी संख्या में निर्यात करने में काफी सहायता मिलती।

जहां तक उत्पादशुल्क का संबंध है, इससे लघु क्षेत्र के 80 प्रतिशत पारवहन संचालकों और $4\frac{1}{2}$ लाख वाहनों पर प्रभाव पड़ा है। वह लोग अपने रोजगार में लगे हुए है और अधिकांश लोगों के पास अपना एक ट्रक है जिसके जरिए वे जीवन यापन कर रहे है, ऐसे लोग की स्थिति दिन प्रतिदिन बदकर हो रही है। हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहते है कि छोटे ट्रक संचालको की सहायता के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है, साथ ही इस क्षेत्र में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति वह क्या रवैया अपनाएंगे और जो लोग एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का पूर्णतः उल्लंघन कर रहे है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं मंत्री महोदय से पहला सवाल यह पूछना चाहता हूं कि यह विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने उत्पादों को घटिया किस्म बना कर उत्पाद शुल्क देने से कैसे बच जाती है? दूसरे क्या यह सच है कि यद्यपि मूल्यों में 15 से 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि स्थानीय उत्पादकों के लिए बहुत कम मूल्य वृद्धि की अनुमति प्रदान की गई है? इसका क्या कारण है? क्या कारखाने से उत्पादित वास्तविक मुल्य का पता लगाने के लिए की लेखा-जौखा किया गया था? क्या यह सही है कि एक सोवियत दल ने कहा था कि इस देश में टायर का मूल्य 350 प्रतिशत से भी अधिक है? यदि हां, तो सरकार डनलप, गुडर्याअर, फायरस्टोन आदि जैसे एकाधिकार-वादियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री वयालार रवि (चिरायिंकील) : क्या यह सही है कि टायर कम्पनियां एक क्विटल कच्चे रबड़ का मूल्य एक हजार रुपया लगा कर अपने टायरों की कीमत लगाती है?

श्री जार्ज मैथ्यू (मुवत्तुपुजा) : मैं यह जानना चाहता हूँ यद्यपि रबड़ का मूल्य 655 रुपय प्रति क्विटल है परन्तु फिर भी उसका मूल्य 760 रूपये क्विटल उधृत किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कितना मूल्य उदृत करते है तथा वह इस सम्वन्ध में क्या करने जा रहे है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : यह सच है कि 1 अप्रैल से टायरों के मूल्य में वृद्धि हुई है। जून 1977 में टायर कम्पनियों ने टायरों के मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया था। दिसम्बर 1977 के बाद टायर कम्पनियों ने मूल्य बढ़ाने का मामला फिर से उठाया और कहा कि टायरों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कुछ कच्चे माल की कीमत बढ़ गई है इसलिए टायरों के मूल्य में वृद्धि की जाएं। जिन मदों के मूल्य में वृद्धि बताई गई, वे यह है—सिंथेटिक रबर, रिक्लेमड रबर, कॉटन फैबरिक, रेयन फैबरिक, बीड वायर, कार्बन ब्लैक, पिगमेंट और रसायन। मजूरी में वृद्धि, कुछ इंधन की कीमत में वृद्धि तथा बिजली और अन्य कुछ वस्तुओं की कीमत इत्यादि में वृद्धि से टायर की निर्माण लागत में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि बताई गई। लेकिन यह भी सच है कि कच्चे रबड़ और ब्याज दरों में समुचित कमी हुई है। अतः सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने टायर उद्योग को कहा कि मूल्य बढ़ाने का कोई औचित्य नही दिखाई देता। अब हम स्थिति में सुधार के लिए उपाय करेंगे।

[श्री जॉर्ज फर्नान्डिस]

कम्पनियों का तर्क यह था कि उद्योग अतिरिक्त लागत के कारण अच्छी स्थिति में नहीं है और उन्हें कुछ रियायतों की आवश्यकता है। यद्यपि हमें मूल्य वृद्धि में कोई औचित्य नहीं दिखाई दिया, फिर भी सभी टायर कम्पनियों ने मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए कहा। वास्तव में यह केवल एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया विनियमों का उल्लंघन नहीं है, अपितु 1976 में एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के बनने से पहले टायर कम्पनियों द्वारा दिए गए इस वचन कि वह उद्योग समूह के रूप मे कार्य नहीं करेंगे, का भी उल्लंघन है। यह स्पष्ट है कि टायर कम्पनियों ने अपना वचन नहीं निभाया है। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया विनियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है और टायर कम्पनियों ने उद्योग समूह बनाकर जो मूल्य में वृद्धि कराने का तरीका अपनाया है उसके विरुद्ध जाँच करने के लिए सरकार कार्यवाही करेगा। कोई सांविधिक मूल्य नियंत्रण नहीं है लेकिन वे सब मिलकर मूल्य को बढ़ाना चाहते है। अतः इस मामले को एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को भेजा जाएगा ताकि इस नए उद्योग समूह की जाँच कराई जा सके। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो भी इस प्रश्न से अवगत है। जैसे ही हमे वास्तविक लागत के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, हम इसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष रखेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : जहां तक टायरों के लिए राजकीय सहायता का सम्बन्ध है, मैंने रबड़ उपकर का उल्लेख किया था। यह उपकर रबड़ का निर्यात करने के लिए दी जाने वाली राजकीय सहायता के मात्रा पर लिया जाता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो तैयार हूं, परन्तु इसके लिए मुझे कुछ समय का नोटिस चाहिये।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 27 अप्रैल, 1978/7 वैसाख, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on the Thursday, the 27th April, 1978/Vaisakha 7, 1900 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 3—141 एल०एस०एस० (एन० डी०)/78—9-8-78—210,